तृतीय माला, खण्ड १५—अंक २४

गुरुवार, २१ मार्च, १९६३
३० फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ५१६ से ५१८, ५२० से ५२५ और ५२७ से ५३१	२३०९—३८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	२३३५—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२६ और ५३२ से ५३४	२३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०२२ और १०२४ से १०५२	२३४२—५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५८
राज्य सभा से संदेश	२३५८–५९
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न के बारे में	
अनुदानों की मांगें—	
खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय	२३५९—७३
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	२३५९
श्री दे० द० पुरी	२३५९–६०
श्री प० कुन्हन	२३६०
श्री मरंडी	२३६०—६२
श्री कृ० चं० पन्त	२३६२–६३
श्री बासप्पा	२३६३–६४
श्री उटिया	२३६४–६५
श्री शिवनरायण	२३६५—६७
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	२३६८
श्री स० का० पाटिल	२३६८—७३
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	२३७३—२४१३
श्री प्रभातकार	२३७३—७७
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	२३७७—८०
श्री म० ला० द्विवेदी	२३८०—८४
श्री अन्सार हरवानी	२३८४—८६
श्री यू० द० सिंह	२३८६–८७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक सभा

गुरुवार, २१ मार्च, १९६३

३० फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शाहदरा (दिल्ली) में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

\+

†*५१६. { श्री भक्त दर्शन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री शाहदरा (दिल्ली) में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना सम्बन्धी ९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस मामले पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू होगी ; और

(ग) क्या योजना को गाजियाबाद में भी लागू करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) से (ग). राष्ट्रीय आपातकाल में जब सम्भव हो सकेगा तभी शाहदरा तथा गाजियाबाद में अंशदायी स्वास्थ्य योजना चलाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस योजना को दिल्ली शहर में लागू हुए काफी वर्ष हो गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब शाहदरा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं, तो शुरू में ही वहां पर इस योजना को चालू क्यों नहीं किया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

3226 (Ai) LSD—1.

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : शाहदरा में एक तो आबादी बहुत बिखरी हुई है और दूसरे, जहां जहां थोड़े थोड़े लोग बैठे हैं, उनके बीच में इण्टर कम्युनिकेशन्ज़ नहीं हैं। वहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाना कठिन है। आम तौर पर डिस्पेंसरी करीब दो हजार फैमिलीज़ को एटेन्ड करने के लिए बनाई जाती है। इसलिए वहां पर इस स्कीम को लागू करना मुश्किल है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि शाहदरा में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी निवास कर रहे हैं और अगर वहां पर इस स्कीम को जारी किया गया, तो उन पर कितना खर्च आयगा।

डा० सुशीला नायर : जमुना पार की कालोनीज़ में उनकी संख्या करीब २३०० है, लेकिन वे छोटी छोटी कालोनीज़ में बिखरे हुए हैं। अगर हम किसी एक जगह पर डिस्पेंसरी बना देंगे, तो वे उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए वहां पर डिस्पेंसरी नहीं खोली जा सकती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गाजियाबाद में निवास करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की जनसंख्या के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है और क्या शाहदरा तथा गाजियाबाद में रहने वाले उन लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

†**डा० सुशीला नायर** : गाज़ियाबाद में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में ठीक ठीक अनुमान मेरे पास नहीं है। मेरे सहयोगी का विचार है कि कदाचित वे लोग २ हजार से कम हैं और गाज़ियाबाद के भिन्न भिन्न भागों में बिखरे हुए रहते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मेरे प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहती थी कि इन लोगों को क्या चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्रदान की जा रही है ?

†**डा० सुशीला नायर** : वहां म्युनिसिपल औषधालय आदि हैं और उनकी उनके व्ययों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

माताटीला परियोजना

†*५१७. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में माताटीला परियोजना का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या बिजली घर भी पूरा हो गया है ; और

(ग) परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) परियोजना की प्रथम अवस्था का कार्य पूर्ण हो गया है। द्वितीय अवस्था का कार्य प्रगति कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) माताटीला जलविद्युत् योजना को मिलाकर परियोजना की कुल लागत २० करोड़ २२ लाख है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : माताटीला में विद्युत् योजना का जो कार्य था, वह दूसरी योजना में समाप्त होने के लिए मुकर्रर किया गया था । अब तीसरी योजना का तीसरा साल आ रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बिजलीघर का काम कब तक शुरू होगा और कब तक लोगों को बिजली मिलना शुरू हो जायगा ?

श्री सै० अ० मेहदी : यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि १९६४ में बिजली मिलना शुरू हो जायगा, लेकिन उस स्कीम में कुछ तब्दीली की गई है, उसको बढ़ा दिया गया है । इसलिए यह तख़मीना लगाया गया है कि तकरीबन १९६६ तक यह काम होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या माताटीला के पास सुकवाहुकवा से भी बिजली जेनीरेट करने का काम शुरू किया जा रहा है ? यदि हां, तो उससे कितने किलोवाट बिजली तैयार होगी ?

श्री सै० अ० मेहदी : इसके साथ तो अभी बनाने की कोई स्कीम नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या यह पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है कि इस परियोजना को पूरा करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है और क्या यह सच है कि कुछ विद्युत् पहले ही से कानपुर क्षेत्र को बेच दी गई है जिसके सम्बन्ध में भारी रोष है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** इस बिजलीघर को कानपुर से मिलाने की एक योजना है । उसने अभी सम्भरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है । मेरा विचार है कि इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । कुछ योजना में थोड़ा सा सुधार तथा परिवर्तन कर दिया गया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि उस उपकरण के न होने का कारण जिसके लिये कुछ विदेशी मुद्रा का व्यय किया जाना था कार्य की गति धीमी पड़ गई थी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** विदेशी मुद्रा प्राप्त करते में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जापानी फर्म को मशीनों का सम्भरण करने आदि के लिये कह दिया गया है । ऐसी किन्हीं भी आकस्मिकताओं के कारण कार्य में विलम्ब नहीं हुआ है ।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा : क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि माताटीला से कानपुर के लिए जो हाइडल लाइन बन रही है, उसमें पोल लगाने का काम रबी के हरे खेतों में ट्रक दौड़ा कर किया जा रहा है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि इस माताटीला बांध में कुछ दरारें पड़ गई थीं ? अगर हां, तो उनकी मरम्मत में कितना खर्च हुआ ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** ऐसी कोई भी दुर्घटना हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है ।

श्री कछराय : यह जो बिजली जनता को दी जायगी, यह किस हिसाब से दी जायगी और इससे सरकार को साल में कितनी इनकम होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अभी बिजली आने तो दीजिए ।

श्री कछवाय : इनकम का अनुमान क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्राम प्रसाद ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बांध से कितने क्षेत्रफल में सिंचाई होगी और जब यह पावर-स्टेशन बन जायगा, तो उसमें कितनी बिजली जेनीरेट होगी ?

†**श्री सं० अ० मेहदी :** कुल मिलाकर लगभग ४ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कितनी बिजली उत्पन्न की जायेगी ?

†**श्री सं० अ० मेहदी :** ३० मैगावाट ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी फ़ारेन एक्सचेंज की आवश्यकता होगी और क्या फिनांस डिपार्टमेंट ने उसकी स्वीकृति दे दी है ?

श्री सं० अ० मेहदी : इसमें करीब ५५ लाख की फ़ारेन एक्सचेंज की जरूरत होगी और जहां तक मुझे मालूम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ।

ग्रामीण जल संभरण के लिये अग्रिम परियोजनायें

†*५१८. +
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० वेंकटासुब्बया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन सम्भरण की अग्रिम परियोजनायें बनाई जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों में परियोजनायें बनाई जायेंगी ; और

(ग) ये सारी परियोजनायें कब बनाई जायेंगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) और (ख) जी, हां । संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की एक सहायता योजना के अन्तर्गत बिहार, गुजरात, मद्रास, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ग्रामीण जल सम्भरण अग्रिम परियोजनायें बनाने का एक प्रस्ताव है ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श में परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और उनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुबोध हंसदा : इन अग्रिम परियोजनाओं के लिये केवल कुछ राज्य ही क्यों चुन लिये गये हैं और दूसरे राज्य क्यों छोड़ दिये गये हैं ?

†डा० द० स० राजू : विचार यह है कि अग्रिम परियोजनाओं का कुछ ऐसे राज्यों में प्रयोग करके देखा जाय जहां कि वातावरण सम्बधी स्वच्छता को भी स्वास्थ्य योजनाओं में मिलाया जाना है।

†श्री सुबोध हंसदा : संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा इन परियोजनाओं के लिये कुल मिला कर कितनी सहायता प्रदान की जायेगी ?

†डा० द० स० राजू : संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा लगभग ५ लाख डालर दिये गये हैं ?

†श्री स० चं० सामन्त : क्या ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जांच करने के लिये अनेक विशेष समितियां नियुक्त की गईं थीं और यदि हां तो उनकी क्या प्रतिक्रियायें थीं और क्या यह अग्रिम परियोजनायें उन्हीं के परिणामस्वरूप बनाई जायेंगी।

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जल-संभरण तथा स्वच्छता के सम्बन्ध में एक विशेष समिति थी और उस समिति का प्रतिवेदन गत वर्ष सभा-पटल पर रख दिया गया था। इन अग्रिम परियोजनाओं को बनाने का विचार उन कुछ चर्चाओं के परिणामस्वरूप उठा जो कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से की थीं और जिनमें हमने यह प्रयत्न किया था कि वे हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की जल-सम्भरण समस्याओं में रुचि लें। यह छः क्षेत्र इसलिये चुन लिये गये हैं क्योंकि उनमें कुछ योजनायें पहले ही से चल रही थीं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में कुछ विशेष समस्यायें भी थीं जैसे कि उदाहरणार्थ राजस्थान में चिल्लड़ कीड़ों (गिनी वॉर्म्स) की समस्यायें, कुछ दूसरे क्षेत्रों में अंकुश कृमियों (हुक वौर्म्स) की समस्यायें आदि आदि।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में पहले ही से ग्रामीण जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजनायें चल रही हैं और क्या कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है और वहां बहुत सी बीमारियां हैं, जैसा कि माननीय मंत्री ने संकेत किया था ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार का इस योजना को आंध्र प्रदेश की जल-सम्भरण तथा स्वच्छता योजना से मिलाने का विचार है ?

†डा० सुशीला नायर: माननीय सदस्य जिस योजना का उल्लेख कर रहे हैं वह एक राष्ट्रीय योजना है। यह प्रत्येक राज्य में चलाई जा रही है। यह अग्रिम परियोजनायें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उस राष्ट्रीय जल-सम्भरण योजना के बाहर हैं।

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पीने के पानी की जितनी भी योजनायें आज तक चालू हुई हैं, उन में जनता को पैसे या परिश्रम के द्वारा शामिल होना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्कीम में स्थानीय जनता और राज्य सरकारें कितना पार्ट अदा करेंगी ?

†डा० सुशीला नायर : श्रीमान्, ग्रामीण जल-सम्भरण योजनाओं के लिये भारत सरकार ५० प्रतिशत राजकीय सहायता देती है। शेष ५० प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसमें से कितना भाग वे स्थानीय लोगों से लेती हैं, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कदाचित वहां यह बहुत अधिक नहीं है । तदापि, श्रीमन्, सामुदायिक विकास के स्थानीय कार्यों के अन्तर्गत एक ऐसी योजना है जिसमें लोग श्रम, सामग्री आदि के रूप में अंशदान करते ही हैं ।

श्री यशपाल सिंह : जिन ग्रामों में यह स्कीम पहले चालू हो चुकी है, वहां की टंकियां भी पंद्रह दिन चलने के बाद खाली हो गईं और दुबारा कोई इंतजाम नहीं हुआ, क्या यह सच है ?

डा० सुशीला नायर : ऐसी तो हमारे पास कोई खबर नहीं है । माननीय सदस्य किसी विशेष जगह की खबर देंगे तो उसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो सूचना दे रहे हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ़** : क्या जल-सम्भरण के लिये इन अग्रिम परियोजनाओं के अन्तर्गत जो प्रयोग किये जायेंगे वह पृथ्वी की गहराई से पानी निकालने की गुरुत्वाकर्षण-शक्ति पद्धति के होंगे अथवा पम्पिग पद्धति के होंगे, ताकि यदि यह अग्रिम परियोजनायें सफल होती हैं तो अन्य स्थानों पर भी उनका अनुसरण किया जा सके ?

†**डा० सुशीला नायर** : श्रीमान्, भिन्न भिन्न ढंग हैं । जहां जन संख्या बहुत थोड़ी होती है वहां हाथ से चलाने वाले पम्पिग सैट्स लगाने का प्रस्ताव किया जाता है । अन्य कुछ क्षेत्रों में जहां पानी बहुत गहरा हो कुछ अन्य ढंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे कि उपरली टंकी (ओवरहैड टैंक) बनाना आदि ।

बड़े नगरों में गन्दी बस्तियां

+

†*५२०. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : / **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की भांति राज्यों के अन्य बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों का सामान्य सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और विस्तृत कार्यक्रम बनाने का परामर्श दिया गया है ; और

(ग) संघ सरकार ने, राज्यवार, योजना को कितनी सहायता दी है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) मद्रास नगर के अतिरिक्त किन्हीं भी बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों का कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण जिसमें १८ मार्च, १९६३ तक विभिन्न राज्यों को गन्दी बस्तियों को हटाने अथवा सुधार करने की परियोजनाओं के लिये (राजकीय सहायता को मिलाकर) दी गई वित्तीय सहायता दिखाई गई है सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

विवरण जिसमें गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत, मई १९५६ में योजना के लागू किये जाने के समय से लेकर १८ मार्च, १९६३ तक राज्य सरकारों को (राजकीय सहायता को मिलकार) दी गई केन्द्रीय सहायता दिखाई गई है ।

(रुपये लाखों में)

राज्यों का नाम	ऋण	राजकीय सहायता	योग
१. आंध्र प्रदेश	११·६३	५·४८	१७·११
२. आसाम	६·३९	३·१४	९·५३
३. बिहार	१३·७९	६·८०	२०·६८
४. गुजरात	२०·३६	३०·७४	५१·१०
५. जम्मू तथा काश्मीर	—	--	--
६. केरल	१४·३९	६·८१	२१·२०
७. मध्य प्रदेश	१२·६६	६·३०	१८·९६
८. मद्रास	७१·८४	५९·९३	१३१·७७
९. महाराष्ट्र	१६९·२१	१४३·७८	३१२·९९
१०. मैसूर	१६·१०	७·५७	२३·६७
११. उड़ीसा	१०·५१	४·९८	१५·४९
१२. पंजाब	१४·३८	७·१४	२१·५२
१३. राजस्थान	४·३२	२·१५	६·४७
१४. उत्तर प्रदेश	११४·७२	७४·०४	१८८·७६
१५. पाश्चम बंगाल	६२·५९	५३·१०	११५·६९
योग	५४२·८९	४१२·०५	९५४·९४

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : दिल्ली में किये गये सर्वेक्षण के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सरकार का यह विचार है कि इस विवरण में जितने रुपये की केन्द्रीय सहायता दिखाई गई है वह इस समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : हमने जो नीति निर्धारित की है उसके अधीन हम जो केन्द्र से राजकीय सहायता देते हैं उसकी धनराशि भी निर्धारित की गई है इस समय उसमें परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि भारत के प्रधान मंत्री ने अपने कानपुर के दौरे में इन गन्दी बस्तियों के निवासियों के भाग्य पर अपनी मानसिक पीड़ा व्यक्त की थीं; और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने, प्रधान मंत्री के वक्तव्य के पश्चात्, इस समस्या को हल करने वाले प्रयत्नों को तीव्र करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा विचार है कि उससे प्रेरित होकर समिति बनी है और अधिक रुपयों की मंजूरी दी गई । यह कई वर्ष पहले हुआ था ।

श्री तुलशीदास जाधव : जो रकम आप ने हर स्टेट को दी है, उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है ? क्या इसके बारे में सरकार के पास कोई फिगर्ज हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे पास फिगर्ज हैं । मैं अर्ज कर सकता हूं कि हम ने २८५ के करीब प्राजैक्ट सैंक्शन किए हैं । उन में ७८००० या ७९००० मकान बनेंगे । चौबीस पच्चीस हज़ार के करीब अब तक बन चुके हैं । तमाम स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद हैं और सब बातें बताने में बहुत समय लग जाएगा ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या प्रत्येक ऐसे नगर की जनसंख्या के सम्बन्ध में जो कि राजकीय सहायता अथवा अनुदान का अधिकारी है कोई प्रवर्गीकरण कर लिया गया है अथवा राज्य सरकार को अपनी पसन्द के चाहे किसी भी स्थान में उपयोग करने के लिये एक एकमुश्त अनुदान दे दिया जाता है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : गन्दी बस्ती अधिनियम के अन्तर्गत गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों की बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है और उसी के अनुसार मूल्यांकन किये जाते हैं तथा राजकीय सहायता दी जाती है ।

श्री शिव नारायण : कानपुर बहुत बड़ा शहर है और गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां भी मकानात बनाये गए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने मकानात अब तक कानपुर को आपने दिए हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : कानपुर की मेरे पास फिगर्ज नहीं हैं । उत्तर प्रदेश की आप चाहें तो मैं दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कानपुर की नहीं है तो रहने दिया जाए ।

श्री शिव नारायण : कानपुर उत्तर प्रदेश में ही तो आता है ।

श्री बेरवा कोटा : गन्दी बस्तियों की समस्या दिल्ली की तरह किस किस शहर में ज्यादा भयंकर है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : गन्दी बस्तियां गन्दी बस्तियां ही होती हैं, जहां भी हों । वे गन्दी बस्तियां ही रहेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य किन नगरों में यह इतनी खराब हैं जितनी कि दिल्ली में हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : श्रीमन्, गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत हमने छः बड़े बड़े नगरों का वर्गीकरण किया है और दिल्ली उनमें से एक है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या उन स्थानों में जहां से कि यह गन्दी बस्तियां हटायी जाती हैं उन व्यक्तियों को जो कि इन गन्दी बस्तियों में रह रहे थे उसके बदले में स्थान दिया जायेगा ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक सम्भव हो सके उन लोगों को मूल स्थानों पर ही वापस ले जाने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सोनावने : जब गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान गन्दी बस्तियों को हटा दिया जाता है, तो बाद में गन्दी बस्तियों का बनना रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : इस सम्बन्ध में अधिनियम है ही । इस मामले पर मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की गई है और हम अधिनियम में और आगे सुधार करने का विचार कर रहे हैं । सम्भवतया इसी सत्र में मैं विधान सभा के सम्मुख ले आऊं ।

†श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में उल्लिखित बातों से मुझे पता लगता है कि ऋण अथवा राजकीय सहायता देने का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं है । आसाम को ६ लाख ३० हजार रुपये का ऋण तथा ३ लाख १४ हजार रुपये को राजकीय सहायता दी गई है । मद्रास के मामले में यह क्रमशः ७१ लाख ८४ हजार रुपये तथा ५६ लाख २३ हजार रुपये है । क्या कोई निश्चित प्रतिरूप है अथवा यह ऋण तथा राजकीय सहायता मांगों तथा आवश्यकताओं के अनुसार दी जाती हैं ?

†श्री पू० शे० नास्कर : एक निश्चित प्रतिरूप है । आसाम को १ लाख रुपये का नहीं अपितु ६ लाख ३० हजार रुपये का ऋण दिया गया था । राजकीय सहायता ३ लाख १४ हजार रुपये की दी गई थी । जब कभी राज्य सरकारें प्रतिपूर्ति के लिये प्रार्थना करती हैं, हम उन्हें रुपया देते हैं । निश्चित प्रतिरूप पहले ही से है, और यह केन्द्रीय सहायता का ७५ प्रतिशत है । इस ७५ प्रतिशत में से ३७½ प्रतिशत ऋण के लिये है तथा ३७½ प्रतिशत राजकीय सहायता के लिये ।

उधार कार्यक्रम

†*५२१. { श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का विचार १९६३-६४ में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम का केन्द्रीकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां । परन्तु केवल उधार लेने के समय के लगभग ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) केन्द्रीय आय-व्ययक में अगले वर्ष ४०० करोड़ रुपया खुले बाजार से उधार लेने का उपबन्ध है जिस में राज्यों के लिए १०० करोड़ रुपये का उधार भी सम्मिलित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या यह स्टेट की स्थिति को देख कर रकम तय की जायेगी या ऐसे ही तय कर दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह रकम जो सौ करोड़ पये रखी गई है यह अभी स साल जितना सब राज्यों ने कर्ज के रूप में मार्किट से लिया था, उसी को देख कर रखी गई है ।

श्री विभति मिश्र : कोई स्टेट ज्यादा धनी है, कोई कम नी है । प्रत्येक स्टेट की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह किया जायेगा, या फ्लैट रेट पर किया जायेगा या पापुलेशन बेसिस पर किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : कुछ पापुलेशन बेसिस इसमें नहीं आ सकता है । उन की जो ताकत है लोन लेने की, उसको ध्यान में रख कर किया जाता है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार को योजना आयोग से ऐसी कोई मंत्रणा मिली है जिस में ऋण प्राप्त करने के लिये निधियों के सम्बन्ध में केन्द्र के मुकाबले में राज्य सरकारों को दिये जाने वाले विशेषाधिकारों का रूप बताया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जब इस मामले पर विचार किया गया था तथा यह राशि नियत की गई थी, तो योजना आयोग की मंत्रणा भी ली गई थी । वास्तव में, अन्त में यह वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के रक्षित बैंक के परामर्श में निश्चय की गई थी ।

†**श्री हेडा** : क्या राज्य सरकारों के विद्यमान ऋणों को भी मिला डालने की कोई योजना है अथवा यह केवल भविष्य के लिये ही एक योजना है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी, नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : हमारी कांस्टीट्यूशन में प्राविजन है कि इस बारोइंग प्रोग्राम के ऊपर पार्लिमैंटरी कंट्रोल होना चाहिये । में जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक इसका फैसला करेगी कि पार्लिमेंट से पूछ कर इस प्रोग्राम को तय किया जाये ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को यह कह दिया गया है कि वे पूंजी बाजार से उधार न लें और उन्हें यह आश्वासन दिलाया गया है कि संघ सरकार ही उनकी ओर से पया उधार लेगी ? यदि हां, तो क्या इन उधारों में से राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा सरकार द्वारा नियत कर दी गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था और इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिद में यह निश्चय किया गया था कि उधार लेने के कार्यक्रमों का केन्द्रीकरण किया जाना चाहिये । जहां तक वर्तमान आयव्ययक का सम्बन्ध है, हम ने चालू वर्ष के उधार तथा अगले वर्ष के प्राक्कलनों का भी ध्यान रखा है । इन सब बातो पर ठीक ऋण लेने के समय पर ही विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आपात जोखिम बीमा

†*५२२. श्री हेडा :
श्री बेरवा कोटा :
श्री दाजी :
श्री धर्मलिंगम :
श्री बासप्पा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६३ के अन्त तक तथा १५ फरवरी, १९६३ तक आपात जोखिम बीमा के अधीन किश्तों (प्रीमियम) से कितनी रकम इकट्ठी हुई;

(ख) सरकार को एक वर्ष में कुल कितना प्रीमियम इकट्ठा हो जाने की आशा है ; और

(ग) योजना को चलाने पर कितना धन व्यय होने की तथा कितना लाभ होने की आशा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) निश्चित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

(ख) १९६२-६३ में ९ करोड़ पये तथा १९६३-६४ में ३३ करोड़ रुपये ।

(ग) इस समय कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता । तथापि, यह सम्भावना नहीं है कि प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य पर कुल व्यय प्रीमियम आय के एक प्रतिशत से अधिक होगा ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार ने अब तक उन कारखानों की संख्या आंक ली है जिन्होंने, किसी न किसी कारण से, प्रीमियम देने से बचने का प्रयत्न किया है ? यदि हां, तो यह प्रीमियम कितना है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस की जांच की जा रही है । हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि बहुत से कारखानों ने इस उपबन्ध का पालन नहीं किया है, परन्तु इस समय हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेडा** : जैसी भी स्थिति है उस को ध्यान में रखते हुए, क्या प्रीमियम की दरों को कम करने का कोई विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत**: दर माननीय वित्त मंत्री द्वारा तब ही बदल दी गई थी जबकि उन्होंने आयव्ययक पर भाषण दिया था । वास्तव में इन तीन महीनों के लिये वस्तुओं पर इसे १५ नये पैसे से घटा कर १० नये पैसे कर दिया है तथा कारखानों पर २५ नये पैसे से घटा कर १५ नये पैसे ।

श्री बेरवा कोटा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बीमा योजना को स्थायी तौर पर लागू किया गया है या इमर्जेन्सी के लिये ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो इमर्जेन्सी के लिये है ।

श्री बेरवा कोटा : अगर यह इमर्जेन्सी के लिये है .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो सिर्फ एक सवाल को इजाजत दी थी ।

†**श्रीहेम बरुआ** : क्या यह सच है कि बम्बई के वाणिज्य मण्डल ने सरकार को यह सूचित किया है कि इस योजना का उद्योगों पर बहुत गहरा तथा भारदायक प्रभाव पड़ा है और क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि अब तक जो प्रीमियम इकट्ठा किया गया है उसे सारे वर्ष के लिये प्रीमियम के रूप में स्वीकार कर लिया जाये ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई के वाणिज्य मण्डल द्वारा की गई शिकायतों को दृष्टि में रखते हुए सरकार कोई जांच कर रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम यह स्वीकार नहीं करते कि उस चतुर्थांश के लिये दिये गये प्रीमियम को पूरे वर्ष के प्रीमियम के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये । वास्तव में, इस बात से ही यह समस्या समाप्त हो जाती है कि प्रीमियम की दरें घटा दी गई हैं ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या यह सच है कि आपात जोखिम बीमा का प्रीमियम आय-कर विवरणियों में एक प्रवेश्य मद होगा ; और यदि हां, तो वास्तव में सरकार कितना रुपया एकत्रित कर सकेगी ? क्या यह आधा कम हो जायेगा ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगी कि उद्योगपतियों के किसी समूह ने, जैसेकि भारतीय सूती मिल संघ ने, यह प्रस्ताव किये हैं कि प्रीमियम पर होने वाले व्यय को उन के उत्पादन व्यय में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाये, जिस अवस्था में अन्तिम दायित्व उपभोक्ताओं पर पड़ जायेगा । सरकार का उस के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब यह प्रश्न ही इतना लम्बा है, तो उत्तर कितना लम्बा होगा ?

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : यह इस कारण है कि यदि मैं फिर से खड़ी होऊं तो आप एक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वह ठीक ही अनुमान लगा रही हैं, परन्तु फिर भी वह एक साथ दो अथवा तीन प्रश्न पूछ कर गलती कर रही हैं ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : केवल दो प्रश्न ही ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह एक लम्बा प्रश्न है ; मुझे खेद है कि उन्हें वह दुहराना पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल एक ही प्रश्न ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या आपात जोखिम बीमा का प्रीमियम आय-कर विवरणियों में एक प्रवेश्य मद है ? यदि हां, तो क्या वास्तव में लगभग आधा ही रुपया एकत्रित होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : प्रथम भाग की बात सच है । आय-कर प्रयोजनों के लिये यह एक व्यय का मद है । परन्तु निष्कर्ष सच नहीं है ।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जितनी फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर कितना-कितना रुपया बाकी है जिसके कारण मांग हो रही है कि प्रीमियम कम कर दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या एक-एक फैक्ट्री का बतलाया जाये ?

श्री शिव नारायण : नहीं, टोटल बतला दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत : टोटल इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ़ :** क्या यह सच है कि आपात जोखिम बीमा का प्रीमियम घटा दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर पहिले ही दिया जा चुका है ।

सिंगापुर में परिवार नियोजन सम्मेलन

†***५२३. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवां अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था जिसमें भारत ने भी भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न समस्याओं पर सामान्य चर्चा हुई थी परन्तु सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं किये गये थे ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि भारत से जो प्रतिनिधि इस कांफ्रेंस में गये थे उनका क्या योगदान हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : भारत से इस कांफ्रेंस में जो आफिशल डेलिगेशन गया था उसमें हमारे डाइरेक्टर फैमिली प्लैनिंग थे, उनके साथ दो और आफिसर गये थे । एक नानआफिशल डेलिगेशन भी गया था जिसमें लेडी रामाराव और कुछ दूसरे लोग, जिनको उन्होंने बुलाया था, गये थे । भारत के डेलिगेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उस योगदान की बड़ी कद्र भी की गई ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि भारत से जो डेलिगेशन गया था उसने क्या योगदान दिया, क्या प्रस्ताव उसने रक्खे या क्या सजेशन दिये ?

डा० सुशीला नायर : यह एक लम्बा स्टेटमेंट है, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उसे उन के पास भेज दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय : उसे मेज पर रख दिया जाये ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश, मद्रास और बिहार राज्यों में परिवार नियोजन की गहन क्रियान्विति के कारण संसद् में प्रत्येक का प्रतिनिधित्व तीन सीटों से कम हो गया है ? क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि इस कार्यक्रम को सभी राज्यों में एकरूप स्तर पर समरूप ढंग से लागू किया जाये ? अन्यथा, कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व खो जायेगा ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं कहूंगा कि यह चीज केवल पिछले पांच वर्षों में हुई है और मतदाता, वे जिन्हें कि रोक लिया गया है, १५ वर्ष के पश्चात् मतदाता बनेंगे । अतः इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** कुल जनसंख्या में छोटे छोटे बच्चे भी गिने जाते हैं । इसलिये प्रतिनिधित्व कुछ कम हो गया है क्योंकि इस परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण हमारी जनसंख्या कम हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पु० र० पटेल :

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या . . .

†**श्री अ० प्र० जैन :** श्रीमान्, इस असंगत बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये। क्या यह राज्य की कुल जनसंख्या है, जैसाकि श्री त्यागी ने कहा है, अथवा मतदाताओं की संख्या, जैसाकि वित्त मंत्री जी कहते हैं ? यह राज्य की कुल जनसंख्या है। **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री त्यागी :** हम मंत्री के कारण तीन सीटें खो चुके हैं—यह कोई मजाक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एकमात्र शिकायत यह है कि मंत्री महोदय को देखना चाहिये कि यह कार्यक्रम एकरूप ढंग से लागू किया जाये और कभी भी साथ ही साथ एक समान हो ।

†**श्री पु० र० पटेल :** श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परिवार नियोजन सम्मेलन में भाग लेने वालों की आयु परिवार नियोजन क्रियान्विति की आयु से अधिक थी अथवा कम थी। **(अन्तर्बाधायें)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । अगला प्रश्न ।

आयुर्वेद और एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति

***५२४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आयुर्वेद और एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम के बारे में कोई निर्णय किये गये हैं ;

(ख) क्या इस पद्धति से शिक्षित बी० आई० एम० एस० और ए० एम० बी० एस० चिकित्सकों पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय के विरोध में कोई ज्ञापन मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपना निर्णय बदलने का है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अक्तूबर, १९६२ में हुई पिछली बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि आयुर्वेद की चिकित्सा विशुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति पर ही विकसित की जाये और इसके पाठ्यक्रम में आधुनिक चिकित्सा के विषयों को किसी भी रूप अथवा भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाये । इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा निर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा योजना तैयार करने के लिये एक शुद्ध आयुर्वेदिक समिति की स्थापना की है । ऐसी आशा नहीं की जाती है कि इस नई योजना से बी० आई० एम० एस० और ए० एम० बी० एस० चिकित्सकों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों के अधिकांश पक्ष और कुछ विपक्ष में ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ।

(घ) जी नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद और ऐलोपैथी की मिली जुली चिकित्सा पद्धति के भारत वर्ष में कितने कालिज थे । और जब उन कालिजों में शिक्षित स्नातक और वह चिकित्सा पद्धति देश में बड़ी लोकप्रिय हो रही थी तो ऐसी क्या कठिनाइयां आ गयीं आपके मार्ग में कि जो कालिज इतना भारी व्यय करने के बाद खोले गये थे उनको आपको बन्द करने का निर्णय करना पड़ा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : आयुर्वेद के जो पंडित थे उनका तो शुरू से ही इस मिली जुली पद्धति से विरोध था और फिर जो लोग इन मिश्रित कालिजों में से निकले तो देखने में यह आया कि वह अधिकतर माडर्न मैडीसिन की दवायें इस्तेमाल करते थे, आयुर्वेद की दवायें इस्तेमाल नहीं करते थे । और उन लोगों की तरफ से जो इन कालिजों से पास होकर निकले थे जगह-ब-जगह यह रिप्रेजेंटेशन होने लगे कि हमारे लिये कंडेंस्ड कोर्स तैयार किया जाये ताकि हम लोग भी एम० बी० बी० एस० हो सकें । तो यह सब देख कर प्लानिंग कमीशन ने निर्णय किया कि हकीकत में इन मिश्रित शिक्षा प्रणाली के कालिजों से आयुर्वेद को हानि पहुंच रही है और इस तरीके को बदलना चाहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरी अपनी जानकारी है कि इन आयुर्वेद और ऐलोपैथी के सम्मिलित कोर्स वाले कालिजों से पढ़ कर निकले हुये स्नातकों की संख्या देश में ५० हजार है । मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार यह निर्णय ले रही थी तो क्या उसने उनके प्रतिनिधियों को भी बुला कर उनकी राय जानी या उनकी राय जाने बिना ही निर्णय ले लिया ?

डा० सुशीला नायर : उनकी राय जानने की जरूरत नहीं समझी गयी ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय को पता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को एलोपैथिक पद्धति के साथ मिलाने से आयुर्वेद को लाभ था और आपने उसको किन्हीं निहित स्वार्थों के दबाव में आकर खत्म कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : उनकी राय अलाहिदा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सवाल का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया कि उनकी राय में इससे आयुर्वेद को नुकसान था, यह कहते हैं कि फायदा था अब इसकी बहस के लिये तो आप अलाहिदा मांग कर सकते हैं उनकी जो राय थी वह तो उन्होंने दे दी ।

†**श्री मौर्य :** क्या मैं जान सकता हूं कि देश में कितने हस्पताल और सरकारी औषधालय बिना डाक्टरों के चलाये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक बिलकुल ही अलग बात है ।

†**श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस संकट काल में एकीकृत पाठ्यक्रम के अधीन सरकार आयुर्वेद के स्नातकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये तैयार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० सुशीला नायर: जहां तक सेना की संकटकालीन आवश्यकताओं का संबंध है वह इन स्नातकों का उपयोग करने को तैयार नहीं है जहां तक राज्य सरकारों की आवश्यकताओं का संबंध है, उन्होंने कुछ जगहों पर मुख्य स्वास्थ्य केन्द्रों में कनिष्ठ डाक्टरों के स्थान पर उनका उपभोग किया है

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय भारतवर्ष में ऐसे मिले जुले कितने कालिज हैं और उन पर सरकार की ओर से कितना खर्चा किया जाता है ?

डा० सुशीला नायर : मैं इनकी संख्या और खर्च के बारे में नहीं बता सकूंगी क्योंकि ये कालिज राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं।

श्री राम सहाय तिवारी : अभी मंत्री जी ने कहा कि आयुर्वेद के पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इन कालिजों का विरोध किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एलोपैथी के विद्यार्थियों ने भी इसका विरोध किया था कि आयुर्वेद को एलोपैथी के साथ नहीं मिलाना चाहिए ?

डा० सुशीला नायर : जो एलोपैथी के यानी माडर्न मैडीसिन के कालिजों में पढ़ते हैं उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि शुद्ध आयुर्वेद चलाया जाये या मिश्रित चलाया जाये।

†श्री त्यागी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयुर्वेद कालेजों में शरीर रचना विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ?

†डा० सुशीला नायर : इन तथाकथित मिश्रित कालेजों में पाठ्यक्रम में शरीर रचना-विज्ञान और क्रिया विज्ञान सम्मिलित किये गये थे। परन्तु आयुर्वेद तालिका के वैद्य, जिसकी बैठक गत वर्ष मई में योजना आयोग द्वारा बुलाई गयी थी, शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान को सम्मिलित करना नहीं चाहते क्योंकि उनका विचार है कि जब इन विषयों को सीखा जाता है तो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा नहीं रहती और यह निश्चित है कि ये कालेज हम घटिया प्रकार के डाक्टर उत्पन्न करने के लिये नहीं चला रहे हैं।

नई दिल्ली में जमीन की नीलामी

+

†+५२५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ फरवरी, १९६३ को सरकार ने डिप्लोमैटिक एन्कलेव में लगभग ६,००० वर्ग गज जमीन का नीलाम किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) और (ख). विभिन्न आकारों के २२ प्लाट २४,२७,००० रुपये की कुल लागत पर नीलाम किये गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि यह भूमि सरकार द्वारा कब और किस मूल्य पर अर्जित की गई थी और कितनी राशि उसके विकास के लिये खर्च की गई थी ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : यह भूमि देहली का ही एक भाग है और सरकार के कब्जे में बहुत अधिक समय से रही होगी । विकास दस या बारह या पन्द्रह वर्ष पहले हुआ था जब इस कालोनी का विकास किया गया था । जोकि अब डिप्लोमैटिक एन्कलेव अथवा चाणक्यपुरी है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ भूमि अनधिकृत कब्जे में थी जिसके कारण उस भूमि का विकास करना संभव नहीं हो सका है ? क्या मैं जान सकता हूं कि यह कहां तक ठीक है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय कर रही है अथवा करने जा रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो एक बिल्कुल ही अलग विषय है ।

†श्री अ० प्र० जैन : डिप्लोमैटिक एन्क्लेव की स्थापना के समय अर्जन दरों के अनुसार भूमि का मूल्य देखते हुये इन ३४ प्लाटों को बेचने से सरकार को क्या लाभ हुआ है अथवा सरकार का विचार है कि यह लाभ अन्याय्य है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : लाभ का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । भमि को बहुत पहले विकसित किया गया था और इसे अलग अलग अवस्थाओं में नीलाम किया गया है तथा मूल्य न केवल देहली में अपितु सारे देश में बढ़ गये हैं ।

†श्री अ० प्र० जैन : मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं गया है प्रश्न था कि उन्होंने क्या खर्च किया और उसमें से क्या कमाया ?

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर यह है कि उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया है ।

†श्री अ० प्र० जैन : उन्होंने विकास पर कुछ भी खर्च नहीं किया है ?

†अध्यक्ष महोदय : भूमि तो थी ही; और सम्पत्ति देहली की थी । उत्तर यही है ।

†श्री अ० प्र० जैन : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था । यदि भूमि का मूल्य अर्जन दरों के अनुसार आंका जाये, तो उन्होंने कितना लाभ कमाया है ? भूमि उन के कब्जे में सौ वर्ष से थी या दो सौ वर्ष से थी, उसकी तो यहां कोई बात ही नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यह हिसाब स्वयं लगा सकते हैं ।

†श्री अ० प्र० जैन : हिसाब में कैसे लगा सकता हूं जब हम यह ही नहीं जानते कि विकास की लागत क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : अर्जन दरों का तो उन्हें पता होना चाहिये था । . . . .

†श्री अ० प्र० जैन : नहीं, मुझे पता नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उन दिनों में भूमि किस दर पर अर्जित की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हो सकता है कि आज से सैंकड़ों वर्ष पहले इस को अर्जित किया गया हो या यह नाजुल भूमि हो। यह पुरानी देहली या नई देहली का भाग है। हम ने दस या बारह वर्ष पहले शायद १० से १२ रुपये प्रति वर्ग गज की लागत पर इसका विकास किया था ; इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस पर हम आधे घंटे की चर्चा करना चाहेंगे। यह बड़ा अस्पष्ट सा उत्तर है। न तो अर्जन मूल्य बताया गया है और न ही विकास की कुल लागत।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तभी निर्णय कर सकता हूं यदि वह मुझे सूचना भेजें।

श्री अ० प्र० जैन: मैं आधे घंटे की चर्चा की मांग करने के लिये एक नियमित सूचना भेजूंगा।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आप की आज्ञा से मैं अपना उत्तर तो पूरा कर दूं। इस भूमि को बहुत पहले विकसित किया गया था। भूमि के मूल्य न केवल देहली में अपितु देश के अन्य भागों में भी बहुत बढ़ गये हैं तथा भूमि को काफी ऊंचे दामों पर बेचा गया है। यही वक्तव्य मैं सदन के सामने दे रहा हूं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया है।

औषधियों का विज्ञापन

\+

*५२७ { **श्री कछवाय** :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री बड़े :
श्री बेरवा कोटा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने किन-किन रोगों तथा उनकी औषधियों के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं ;

(ख) यह प्रतिबन्ध किस आधार पर लगाये गये हैं ; और

(ग) १९६१–६२ में इस नियम का उल्लंघन करने वाले कितने व्यक्तियों अथवा फर्मों को दण्ड दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०१२/६३]**

(ग) भेषज एवं ऐन्द्रजालिक उपचार (आपत्ति जनक विज्ञापन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर १९६१–६२ में १४ व्यक्तियों अथवा फर्मों को दोषी पाया गया। इन सभी मामलों में जुर्माने किये गये और कोई कैद की सजा नहीं दी गई।

†**एक माननीय सदस्य** : हम हिन्दी में उत्तर नहीं समझ सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या कर सकता हूं ? यदि वह हिन्दी में उत्तर नहीं देते तो उस पर भी आपत्ति होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसे हिन्दी में भली भांति पढ़ कर सुना सकती हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अब, उपमंत्री महोदय उत्तर को अंग्रेजी में पढ़ लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक नये मंत्री हिन्दी में पढ़ने की आदत कैसे डाल सकते हैं यदि हम उन्हें ऐसा करने ही न देंगे ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : तो क्या इस प्रयोजन के लिये सदन को पाठशाला बना दिया जायेगा ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मेरे माननीय मित्र भली भांती हिन्दी समझ सकते हैं ।

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं उन को कहूं कि वह अपनी मातृ–भाषा में जवाब पढ़ें ? उन्होंने हिन्दी में जवाब पढ़ दिया है और अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे । जब वह हिन्दी में पढ़ते हैं, तो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि उन को समझ में नहीं आया और जब वह अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि समझ में नहीं आया । तब तो मैं उन को कहूंगा कि वह अपनी मातृ-भाषा में पढें, जो किसी को भी समझ में न आए । यहां पर दो ही जुबानें हो सकती हैं---हिन्दी या अंग्रेजी ।

श्री कछवाय : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कितने लोगों को पकड़ा गया और कितने लोगों को सजा हुई ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीला नायर) : चौदह लोगों को सजा हुई और उन सब को फाइन हुआ । उन को जेलखाने नहीं भेजा गया ।

श्री कछवाय : क्या मैं जान सकता हूं कि उन में अधिकांश किस प्रान्त के थे और क्या इस में किसी स्वदेशी का भी हाथ था ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास इस बारे में कोई प्रान्तवार ब्यौरा नहीं है, लेकिन इस में कोई विदेशी का सम्बन्ध नहीं आता है ।

श्री बेरवा कोटा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस में सरकारी अधिकारियों या डाक्टरों का भी हाथ था ।

डा० सुशीला नायर : जी नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि आज भी दिल्ली के मकानों और दीवारों पर अश्लील विज्ञापन लगे हुए हैं । यदि हां, तो सरकार ने उन को रोकने के लिये क्या कार्य-वाही की है ?

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य की एक नागरिक के तौर पर इस बारे में एक्शन ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या एक्शन लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : मैं नहीं समझती कि केन्द्रीय सरकार एक एक सड़क पर देख कर, तलाश करे के, उस पर एक्शन ले सकती है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक्शन लेती हैं। पिछले साल में राज्य सरकारों ने जितने एक्शन लिये हैं, वे मैं ने आप के सामने निवेदन कर दिये हैं। उस के उपरान्त अगर किसी और जगह पर एक्शन लेना चाहिये था और वह नहीं लिया गया, इस बारे में अगर माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी देंगे, तो मैं जरूर राज्य सरकार को कहूंगी।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली तो कैपिटल है। यहां पर राज्य सरकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली की सरकार यही है। माननीय सदस्य उस के नोटिस में लायेंगे, तो वह जरूर एक्शन लेगी।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, दिल्ली में चीफ कमिश्नर साहब एक्शन लेते हैं, भारत सरकार नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर चीफ कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है। यहां पर जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है।

†श्री अ० त्रि० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये नियम आयुर्वेद की औषधियों पर भी लागू होते हैं ?

डा० सुशीला नायर : चार पांच किस्म की दवायें हैं, जिन के बारे में यह कानून ज्यादा लागू होता है। अगर जादू के किस्म की दवाओं के बारे में कोई भी एडवरटाइजमेंट करता है, तो उस को सजा दी जाती है। कुछ समय पहले हमदर्द दवाखाने पर भी एक केस चला था।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री अ० त्रि० शर्मा उठे—

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

राज्यों में पीने का पानी

\+

*५२८. { **श्री बालकृष्ण सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ˜० वेंकटासुब्बया : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में "शुद्ध पेय जल" उपलब्ध करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में इस योजना को क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीलानायर) : (क) जी हां। राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई योजना १९५४ में बनाई गई थी और द्वितीय एवं तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं में भी यह चलती आ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह कार्यक्रम किसी खास क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ये योजनायें राज्य के विभिन्न स्थानों में क्रियान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जिन स्थानों के लिये अब तक जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की गई हैं, उन की एक सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी० १०१३/६३]

श्री बालकृष्ण सिंह : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन स्थानों में यह योजना लागू की जा रही है, उन स्थानों के चुनाव के लिये किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

डा० सुशीला नायर : राज्य सरकारें किन बातों को ध्यान में रख कर चुनाव करती हैं, यह मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकती। आवश्यकता वगैरह को देख कर वे ऐसा करती होंगी। जो स्कीम्ज हमारे पास राज्य सरकारों की ओर से आती हैं, उन को टैक्निकल दृष्टि से देख कर उन के लिये यहां से सहायता दी जाती है।

श्री बाल कृष्णसिंह : स्टेटमेंट के पेज ४, आइटम १४ पर लिखा है, "विलेजेज नियर इरिगेशन ट्यूबवैल्ज"। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक जनरल पालिसी है कि जो गांव इरिगेशन ट्यूबवैल्ज के निकट हों उन में यह स्कीम लागू की जाये या कुछ खास स्थान इस सम्बन्ध में चुने गए हैं।

डा० सुशीला नायर : जिन जगहों पर इरिगेशन ट्यूबवैल का पानी मीठा और अच्छा होता है, उस को लेकर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाता है और कुछ जगहों पर किया भी गया है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में पीने का शुद्ध जल बिल्कुल नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या वहां पर अच्छा पानी उपलब्ध करने के लिये कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है ?

डा० सुशीलानायर : मैं राज्य सरकार से पूछ कर माननीय सदस्य को इन्फर्मेशन दे सकती हूं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या मैं जान सकता कि क्या वैयक्तिक योजनाओं के व्यय पर कोई उपरिसीमा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : जी हां। साधारणतः, उपरिसीमा एक गांव के लिये १०,००० रुपये है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या मैं जान सकता हू कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि जहां योजनायें चलाई गई हैं उनमें से अधिकतर असफल रही हैं क्यों कि व्यय गांववालों द्वारा वहन किया जाता था ? परिणाम यह हुआ है कि कोई पंचायत आगे नहीं आ रही है और कुछ के जल संभरण और स्वच्छता योजनायें बुरी तरह से असफल हो रही हैं। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है ?

†**डा०सुशीला नायर** : यह बात मैं नहीं जानती कि वे असफल रही हैं। मैं तो यह जानती हूं कि उन स्थानों पर जहां पर्याप्त नालियों के बिना पानी के कुछ नल लगाये गये थे, गांव वालों ने उसे पसन्द नहीं किया है। अतः हम इस पर बल दे रहे हैं कि जहां हम नल लगायें वहां साथ ही साथ हमें जल निकास की सुविधायें भी देनी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या झज्जर और रेवाड़ी क्षेत्र के बारे में पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना दी है ?

डा० सुशीला नायर : एक एक स्कीम के बारे में तो इस वक्त मुझे मालूम नहीं है।

†श्री मुहम्मद इलियास : पश्चिम बगाल के बारे में, जहां कि पीने के पानी की कमी के कारण बार बार हैजा फैल जाता है, भारतीय चिकित्सा संस्था के प्रतिवेदन को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हैजा की रोकथाम के लिये पश्चिम बगाल में पीने के शुद्ध पानी के देने के लिये सरकार के पास सी एम० पी० ओ० के अतिरिक्त और भी कोई विशेष योजना है ?

†डा० सुशीला नायर : भारतीय चिकित्सा संस्था से कोई प्रतिवेदन नहीं आया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने ही एक विशेष समिति नियुक्त की थी और उसने प्रतिवेदन दिया है कि दक्षिण हावड़ा एक ऐसा केन्द्र है जहां से समय समय पर सारे देश में हैजा फैलता है और यह एक स्थानिक भारी क्षेत्र है। इसी बात को देखते हुए हम ने सी०एम०पी०ओ० जैसे विशेष संगठन की स्थापना के लिये बड़ी बड़ी राशियां स्वीकार की हैं जो कि कलकत्ता के लिये वृहद योजना, स्वच्छता, जल संभरण और प्रत्येक चीज के पूरे प्रश्न की जांच कर रहा है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्राणी यह जानती है कि मध्य प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के कथनानुसार उस राज्य में नौ हजार ऐसे गांव हैं, जहां एक कुआ भी नहीं है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के सम्पर्क में इस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : मैं तो यह नहीं कह सकती हूं कि वहां पर नौ हजार या कितने गांव हैं जहां कुएं नहीं हैं, किन्तु लेकिन मैं जानती हू कि मध्य प्रदेश में .....

श्री भानुप्रकाश सिंह : उन्होंने वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप वह पूछ रहे हैं,जो कि इन को मालूम है। जो कुछ वहां के मंत्री महोदय को मालूम है, वह तो एक अलाहदा बात है।

डा०सुशीला नायर : कुछ इलाके हैं जहां पर पानी की तंगी है। दूसरे कई राज्यों में भी इस प्रकार के इलाके हैं जहां पानी की तंगी है : इन इलाकों के लिये क्या योजना बन सकती है, कहां से पानी लाया जा सकता है, उस पर क्या खर्चा होगा, क्या टैक्नीकल डिटेल्ज होंगी, यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिये खास इनवैस्टीगेशन डिविजन्ज कायम करने की योजना बनाई गई है और कुछ जगहों पर वे चल भी रहे हैं।

†श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या आपात स्थिति के कारण मंत्रालय को दिये जाने वाले आवंटन में बड़ी कटौती कर दी गई है और क्या इस विशेष मद पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यदि हां, तो कहां तक ?

†डा० सुशीला नायर : आने वाले वर्ष अर्थात् १९६३–६४ के लिये २७.५ प्रतिशत की समूची कटौती की गई है और मैं ठीक से नहीं कह सकती कि जल संभरण योजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

†श्री मुहम्मद इलियास : माननीय मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हावड़ा को शुद्ध पानी देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि मंजूर की है परन्तु जल संभरण को सुधारने के लिये तो एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न . . . **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या सरकार देखेगी कि रुपया खर्च किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रश्न नहीं करते अपितु तर्क कर रहे हैं । अगला प्रश्न ।

विदेशी मुद्रा

\+

*१२९. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) कार्य प्रणाली में किये गये परिवर्तनों के फलस्वरूप किन किन परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा मिलेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । कार्य प्रणाली को उन्नत करने के लिये पग उठाए गये हैं ।

(ख) विवरण सभा की मेंज पर रखा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १०१४/६३]**

(ग) सभी सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं को ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस विवरण को देखने से मालूम पड़ता है कि नए फारेन एक्सचेंज रूल्ज १ जनवरी, १९६३ से लागू किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि नए रूल्ज लागू करने के बाद कुल कितनी विदेशी मुद्रा रिलीज की गई है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं वे आंकड़े नहीं दे सकता हूं परन्तु इस प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने का उद्देश्य परियोजनाओं को पूर्ति के समय को कम करना है । इससे पहले इसमें लगभग छः महीने लगते थे । नई प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इसमें दो महीनों से अधिक नहीं लगेंगे ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं जनना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों की वजह से इस विभाग की कुछ कितनी योजनाओं का काम रुका हुआ है ?

†**श्री अलगेशन :** हमारी अधिकतर परियाजनायें पूरी हो गई हैं ; ऐसा कोई काम रुका हुआ नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** विदेशी मुद्रा की वह राशि कितनी है जिसके सम्बन्ध में प्रविधिक विकास विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी और विद्युत की कुल कितनी मात्रा है जिस कि सम्बन्धित परियोजनाओं को मनाही कर दी गई थी ?

†**श्री अलगेशन :** इसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आसाम में बाराक नदी पर बांध

+

†*५३०. { **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि कचार बाढ़ नियंत्रण के लिये बाराक नदी पर बांध बनाये ;

(ख) क्या मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्रों को परिवहन तथा विद्युत संभरण की समस्याओं के सम्बन्ध में इस प्रस्तावित बांध से लाभ होगा ; और

(ग) प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) आसम सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से निवेदन किया है कि बारक नदी पर बांध के लिये उनकी ओर से जांच-पड़ताल की जाये ।

(ख) और (ग) : बांध को केवल बाढ़ नियंत्रण के लिये बनाये जाने का प्रस्ताव है और बिजली के उत्पादन अथवा अन्तर्देशीय परिवहन की सुविधाओं की अपेक्षा नहीं रखी जाती ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री सै० अ० मेहदी**: मनियाधार में सर्वेक्षण किया गया है और एक वैकल्पिक स्थल का भी पता लगाया गया है । आशा है कि १९६४ तक प्रारम्भिक छानबीन पूरी कर ली जायेगी ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या मैं जान कसता हूं कि क्या सरकार को योजना की लागत के बारे में कोई अनुमान है और क्या आसाम सरकार ने प्रार्थना की थी कि सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जाये ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** :यह जांच १९६४ में समाप्त होगी तथा उसके बाद ही इस परियोजना के लिये योजना तैयार करना संभव होगा ?

†**श्री रिशांग किशिंग** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय ने इस आदरणीय सदन को निश्चित आश्वासन ही दिये थे कि जांच-पड़ताल ३१ मार्च, १९६३ के अन्त तक अवश्य ही पूरी कर ली जायेगी और यदि हां, तो जांच को पूरा करने में यह विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**श्री सै०अ० मेहदी** : इसमें कोई विलम्ब नहीं है । जैसा कि मैंने कहा है, एक वैकल्पिक स्थल की भी जांच की जा रही है इसलिये सारी प्रक्रिया के पूरा होने में लगभग एक वर्ष और लग जायेगा और इस के बाद योजना बनाई जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय**: श्री रिशांग किशिंग की शिकायत यह है कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रिशांग किशिंग** : मैं जानना चाहता था कि क्या आसाम सरकार का निवेदन यह था कि योजना का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार ही करे ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** :इस पर तो तभी विचार किया जायेगा जब लागत का अनुमान लगा लिया जायेगा और परियोजना को अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई समिति

†*५३१ { **श्री हेम राज** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो उन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) इससे देहाती तथा नगरीय क्षेत्रों में जल समस्या कितनी हल हो गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई समिति की सिफारिशों को क्रियान्विति के बारे में वर्तमान स्थिति, जैसी कि वह तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों द्वारा दर्शायी गई है, नीचे दी जाती है :

पंजाब . . . समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है । अधिकतर सिफारिशें राज्य में आगे ही क्रियान्वित की जा रही हैं । जल सम्भरण की समस्या का वहां तक समाधान कर लिया गया है जहां तक कि विभिन्न स्रोतों से धन उपलब्ध होता है ।

महाराष्ट्र
मद्रास
आसाम
बिहार } समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मैसूर, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकारों के उत्तरों और अग्रेतर जानकारी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । अगला विवरण यथा समय पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री हेम राज** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति की एक सिफारिश यह थी कि जहां तक पीने के पानी का सम्भरण करने की देहाती योजनाओं का सम्बन्ध है उनके लिये क्योंकि बहुत सारी

---

†मूल अंग्रेजी में

एजेंसियां हैं इसलिये उनका किसी एक प्राधिकार के अधीन एकीकरण कर देना चाहिये और क्या इन सभी प्राधिकारों का एक ही निकाय में विलीनीकरण करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**डा० ब० स० राजू:** यह समिति की सिफारिशों में से एक है और राज्य सरकारें इस बारे में विचार कर रही हैं। उन्होंने अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं भेजा है।

†**श्री हेम राज :** जहां तक पहाड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है उनकी जनसंख्या क्योंकि बहुत थोड़ी है और वे सभी गांव ५,००० या १०,००० की शर्त को पूरा नहीं कर सकते जो कि उनके लिये निर्धारित जनसंख्या है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों के लिये इससे कम जनसंख्या के आधार पर पीने के पानी की सम्भरण योजनायें मंजूर की जायेंगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** मैं पहले ही कह चुकी हूं कि हमने कमी वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों की समस्या पर विचार करने के लिये विशेष जांच विभाग मंजूर किये हैं। इन विभागों की सिफारिशों के मिलने पर यदि आवश्यक हुआ तो उपरिसीमा का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अकालग्रस्त क्षेत्रों में, जहां कि पानी की भारी कमी होगी, पीने के पानी की सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव किया गया है और यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव आया है ?

†**डा० सुशीला नायर :** अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में किसी विशेष जल समस्या का मुझे पता नहीं है। देश में कुछेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि सदा ही पानी का अकाल रहता है और इन क्षेत्रों की समस्या की हम जांच कर रहे हैं।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** जहां तक पीने के पानी के सम्भरण और स्वच्छता के प्रश्न का सम्बन्ध है, क्या मैं स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय के बीच समन्वय का रूप जान सकती हूं ?

†**डा० सुशीला नायर :** एक प्रस्ताव यह था कि हमें जल संभरण से सम्बन्ध रखने वाले सभी मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों को मिला कर पीने के पानी का एक बोर्ड बनाना चाहिये। ऐसा होने तक हमने सचिवों की एक समिति नियुक्त की है जिसके सभापति स्वास्थ्य मन्त्री हैं और वे समन्वय के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

श्री तुलसी दास जाधव : स्टेटमेंट में लिखा है :

"समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।"

इसका क्या मतलब है ? क्या वहां के लिए कोई योजना तैयार की थी या योजना तैयार ही नहीं की थी वाटर की ?

डा० सुशीला नायर : एक मुख्य सिफारिश इसमें यह थी कि जगह जगह पर वाटर और सैनीटेशन बोर्ड स्थापित किए जायें, वे कुछ कर्जे भी लें और कुछ स्कीम्ज का इम्प्लेमेंटेशन भी करें। स्टेट गवर्नमेंट्स अभी विचार कर रही हैं कि आया इस किस्म के बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें या नहीं किये जाने चाहियें।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मैं वह तिथि जान सकती हूं जबकि ये सिफारिशें विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित की गई थीं तथा वह तिथि जब तक कि उनके उत्तर आने की अपेक्षा थी

---

†मूल अंग्रेजी में

और क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये किसी राज्य ने शासकीय पथ प्रदर्शन या सहायता की मांग की है ?

†डा० सुशीला नायर : सिफारिशें मई १९६२ में राज्य सरकारों को परिचालित की गई थीं। हमें पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, आसाम और बिहार से उत्तर मिले हैं। औरों ने अभी उत्तर नहीं भेजे हैं।

†श्रीमती यशोदा रेड्डी : माननीय मन्त्री ने कहा है कि एकमात्र कठिनाई सिंचाई के सम्बन्ध में है। आन्ध्र प्रदेश, में विशेषतः रायल सीमा में और मुख्यतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, तथ्य यह है कि कुछ गांवों में पीने का पानी है ही नहीं। क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोई विशेष प्रस्ताव भेजा था—दो या तीन प्रान्तों में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है—और मैं जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्र को कोई ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं मिला है ?

†डा० सुशीला नायर : मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्या क्या कह रही हैं; उन्होंने मेरे पहले उत्तर को गलत समझा है। सिंचाई का तो मैंने उल्लेख ही नहीं किया था। मैंने तो बस यह कहा था कि लगभग सभी राज्यों के कुछेक भागों में सदा ही पानी का अकाल रहता है। और कमी वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों की समस्या की जांच विशेष जांच विभाग द्वारा हो रही है।

†डा० क० ल० राव : यह जांच क्योंकि जल सम्भरण की आर्थिक योजनाओं के बनाये जाने के लिये अत्यावश्यक है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों द्वारा इस जांच को प्रोत्साहन दिए जाने के लिये इस जांच की लागत को केन्द्र वहन करेगा ?

†डा० सुशीला नायर : जी हां, विशेष जांच विभाग के लिये हम १०० प्रतिशत सहायता दे रहे हैं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उप-चुनावों के दौरान साम्यवादियों की रिहाई

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३.
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन राज्यों में, जहां शीघ्र ही उप-चुनाव होने वाले हैं, भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द साम्यवादियों की रिहाई के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों पर यदि सरकार कोई कदम उठाना चाहती है, तो वे क्या हैं ?

†विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : निर्वाचन आयोग को—

(१) श्री ज्योति बसु, विधान सभा सदस्य .

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) श्री भूपेश गुप्त, संसद् सदस्य; और

(३) भारत के साम्यवादी दल की बिहार राज्य परिषद्

से इस आशय के तीन अभ्यावेदन मिले हैं कि जो लोग नजरबन्द हैं उन्हें उप-चुनावों के अवसर से मुक्त कर दिया जाय ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को सुझाया है कि जहां उप-चुनाव हों वहां वे स्थानीय अधिकारियों को अनुदेश दे दें कि वे दलों तथा उम्मीदवारों की निर्वाचन कार्यवाही को सहज भाव से देखें और उप-चुनावों वाले क्षेत्रों में भारत प्रतिरक्षा नियमों को सख्ती से लागू न करें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : लोकसभा के ६ स्थानों और विधान सभा के ३१ स्थानों के लिए चुनाव हो रहे हैं । अतः यह आम उप-चुनाव है । क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के समाचार पत्र युगान्तर के सम्पादकीय कथन की ओर गया है जो यहां मेरे पास है और जिसमें विशेषतया उल्लेख है कि साम्यवादियों को छोड़े बिना मुक्त तथा उचित निर्वाचन होने कठिन हैं, विशेषकर इस कारण कि केवल कांग्रेस दल ही वर्तमान परिस्थितियों में ये चुनाव कराना चाहता है और, यदि हां, तो इस सार्वजनिक मांग के प्रति सरकार का क्या विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । प्रथम, केवल कांग्रेस दल ने ही इन उप-चुनावों की मांग नहीं की है । माननीय सदस्य जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने सरकार से कहा था कि ये चुनाव होने चाहियें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अन्य सभी दलों ने कहा था कि आपात काल में निर्वाचन नहीं होने चाहियें ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह पुरानी बात कह रहे हैं । आरम्भ में, जब आपात की घोषणा की गई थी, सभी दल सहमत थे कि कोई निर्वाचन नहीं होने चाहियें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या वे इस बात से सहमत थे कि उप-चुनाव होने चाहियें ? मन्त्री महोदय कहते हैं कि मैंने गलत बात कहीं है, परन्तु मैंने गलत बात नहीं कही ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि मैं नहीं जानता । साम्यवादी दल को छोड़ कर, जहां तक मुझे ज्ञात है, अन्य किसी भी दल ने ऐसा नहीं कहा है या सरकार को नहीं लिखा है कि ये चुनाव नहीं होने चाहियें ।

†**श्री मौर्य** : हमारा यह मत है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं सभा को बता दूं कांग्रेस को इन चुनावों की विशेष चिन्ता नहीं है । परन्तु जब निर्वाचन आयोग ने ऐसी इच्छा व्यक्त की, तो मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि हम सभा में कोई ऐसा विधान पेश करें जिससे उप-चुनावों को रोका जा सके । मैं नहीं समझता कि सभा इस को अच्छा समझती ।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही यह है—मुझे खेद है कि मैं भूलता हूं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कुछ समाचारपत्रों के मत का उल्लेख किया था ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हां, मैं ने वे समाचारपत्र नहीं देखे हैं या जो कुछ उनमें छपा है वह मैंने नहीं देखा है । परन्तु मुझे खेद है कि मैं यह बात नहीं मान सकता कि जब तक जेलों में बन्द कुछ नजरबन्दों को रिहा नहीं किया जाता तब तक उचित निर्वाचन नहीं हो

---

†मूल अंग्रेजी में

सकते । सदैव ही उचित व न्यायपूर्ण निर्वाचन किये जा सकते हैं, यहां तक कि चाहे कुछ लोग नजरबन्द हों और पिछले कुछ वर्षों से अब तक अनेक बार ऐसा हुआ है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र या केरल जैसे राज्यों में जहां निर्वाचन हो रहे हैं, वहां साम्यवादी दल मुख्य विरोधी दल है, और यह जो लोकतन्त्र के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है कि देश में विद्यमान वैध सभी दल निर्वाचन के समय जनता के समक्ष आयें । इस स्थिति में . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मामले की वकालत कर रहे हैं, वह प्रश्न पूछें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार उन नजरबन्दियों के मामलों पर विचार करेगी या जिनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और जिन्हें इस समय भी बन्द रखा जा रहा है जब कि वे महसूस करते हैं कि वे होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने के लिए रिहा होने चाहियें ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है । मैं उचित समय पर इसका उत्तर देने को तैयार हूं । निर्वाचनों से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : सरकार इसे कैसे सिद्ध करेगी कि ये उप-चुनाव स्वतंत्र तथा उचित होंगे, जब कि विरोधी नेता श्री ज्योतिवसु, उप-नेता श्री हरेकृष्ण कोनार, श्री प्रमोद दास गुप्त और श्री मुजफ्फर अहमद जिन्हें बंगाल के लाखों व्यक्ति प्यार व सम्मान से देखते हैं, नजरबन्द हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई प्रश्न नहीं है । इसका उत्तर न दिया जाये ।

†**श्री नाथपाई** : क्या गृह कार्य मंत्री का ध्यान इस विषय में पंजाब के मुख्य मंत्री श्री कैरो के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि जो साम्यवादी नजरबन्द हैं वे यदि यह घोषित करें कि वे चीनियों को आक्रमणकारी और शत्रु समझते हैं, तो रिहा कर दिये जायेंगे, और यदि यह कथन सच है तो क्या इस मामले में यह भारत सरकार के विचार व्यक्त करता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह पूर्णतया राज्य सरकार से संबंधित है क्योंकि उन्होंने साधारण रूप में नजरबन्दी के अनुदेश तथा आदेश दिये हैं । मामलों पर पुनर्विचार करना पूर्णतया पंजाब के मुख्य मंत्री और पंजाब सरकार का काम है और नजरबन्दियों के बयानी के आधार पर निश्चय करना भी उन्हीं का काम है । जहां तक भारत सरकार का संबंध है, हमनें अपनी नीति घोषित कर दी है कि हम उन साम्यवादियों के विरुद्ध हैं जो साम्यवादी दल की इस घोषित राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है जो साम्यवादी दल की राष्ट्रीय परिषद् स्वीकार किये गये संकल्प में घोषित की गई है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : इस बात को ध्यान में रख कर कि स्वयं निर्वाचन आयुक्त ने इन उप-चुनावों की तारीखें घोषित करने से पहिले घोषित किया है कि आपात की स्थिति में परिवर्तन आ गया है और इस प्रकार ये उप-चुनाव हो सकते हैं, क्या सरकार का विचार नजरबन्दी या अन्य मामलों के संबंध में जेलों में बन्द सभी साम्यवादियों को छोड़ने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दे दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ:** क्या सरकार का ध्यान बम्बई में दिये गये श्रीमती इन्द्रा गान्धी के इस भाषण की ओर आकर्षित किया गया है कि साम्यवादी जनसाधारण से प्रतिरक्षा निधि में धन न देने के लिए कह रहे हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार अब फिर स्थिति का मूल्यांकन करेगी कि समाचार मिला है कि चीनी सेना जमा कर रहे हैं और तिब्बत में हमारी ओर की दिशा में भारी सेना जमा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**श्री नाथ पाई :** श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री ने भारत के साम्यवादी दल की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख किया था या समूचे देश की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान्, मैंने श्रीमती इन्द्रा गान्धी के वक्तव्य का उल्लेख किया था । उसके प्रसंग में कुछ पुनर्विलोकन होना चाहिये । क्या सरकार पुनर्विलोकन करने को तैयार है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह सुझाव दे रहे हैं कि श्रीमती इन्द्रा गान्धी के वक्तव्य की दृष्टि से पुनर्विलोकन होना चाहिये, तो यह कार्यवाही करने के लिए केवल सुझाव है ।

†**श्री रंगा :** इस बात को ध्यान में रख कर कि साम्यवादी दल पर अभी रोक नहीं लगी है, क्या साम्यवादी दल का कोई सदस्य उन निर्वाचन-क्षेत्रों में ये उप-चुनाव हो रहे हैं उनमें उम्मीदवार बन सकता है या किसी भी उम्मीदवार के लिए कन्वैसिंग कर सकता है ? क्या सरकार ने उप-चुनाव समाप्त होने तक उन निर्वाचन क्षेत्रों में भारत प्रतिरक्षा नियमों को निलम्बित करने की संभावना या औचित्य पर विचार किया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जहां तक साम्यवादी दल के सदस्यों का संबंध है, वे उम्मीदवार बन सकते हैं । वे किसी भी उम्मीदवार के लिए कन्वैसिंग भी कर सकते हैं ।

†**एक माननीय सदस्य :** केवल उम्मीदवार ही निर्वाचन नहीं लड़ते ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जहां तक भारत प्रतिरक्षा नियमों के निलम्बन का प्रश्न है, हम ऐसा करना आवश्यक नहीं समझते । जैसा कि मेरे साथी ने अभी कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं को प्रचार करने के लिए यथासंभव पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिये । परन्तु इस पर केवल एक प्रतिबन्ध होगा कि उसका किसी भी प्रकार देश की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अमरीका से औषधियों का आयात

†***५१९. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मेंडको" तथा "सिस्टेक्स" जैसी अमरीका में बनी औषधियां भारत में आयात होती हैं और बाजार में बिकती हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अमरीका राज्य औषधि प्रशासन अपने देश में उपरोक्त औषधियों को बेचे जाने की, उनके हानिकर होने के कारण, अनुमति नहीं देता

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में इन औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) "मेन्डको" तथा "सिस्टेक्स" नामक स्वामित्व वाली औषधियों जो मूलतः मैसर्स नाक्स एण्ड को०, लॉस एन्जल्स, अमरीका में बनती है, भारत में पिछले कई वर्षों से आयात नहीं की जाती। देश म मैसर्स स्टेन-स्ट्रीट, कलकत्ता तथा मैसर्स आर्मेंड प्राइवेट लि०, बम्बई "ऋण लाइसेन्स के अन्तर्गत" क्रमानुसार मैसर्स मूलर एण्ड फिप्स (इंण्डिया) प्राइवेट लि०, कलकत्ता और मैसर्स नाक्स एण्ड को०, बम्बई के लिए ये औषधियां बनाते हैं।

(ख) उपरोक्त औषधियां "मेन्डेको" तथा "सिस्टेक्स" में नाक्स को०, लॉस एन्जल्स, केलोफोर्निया द्वारा अमरीका में वितरित की जाती हैं और वे निर्माता की जिम्मेदारी पर यह काम करते हैं।

(ग) और (घ). इन उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रख कर उठता नहीं है।

सर्जरी सम्बन्धी प्रदर्शन

†*५२६. **श्री प्र० के० देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही आजाद मैडिकल कालिज, दिल्ली में एक रूसी सर्जन ने सर्जरी के संबंध में कोई नवीनतम प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत में इस प्रकार के आपरेशन किये जाते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) ये प्रदर्शन ट्रेसिया, ओसोकागस और पेट जैसे गहरे विस्केरा और आरटा, आदि जैसी रक्त धमनियों की सिलाई के लिए स्वचालित सिलाई मशीन का प्रयोग दिखाने के लिए किया गया था।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैडीकल कालिज

†*५३२. श्री प्र रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्री सुरेंद्र पाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :
डा० प० श्रीनिवासन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से कहा है कि मैडिकल कालिजों की क्षमता बढ़ायें जिस से प्रत्येक वर्ष ३,००० डाक्टरों की वृद्धि हो ;

(ख) मैडिकल कालिजों के विस्तार के लिये राज्यों को किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये तिमाही परीक्षा लागू करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देश में डाक्टरों का अभाव दूर करने के लिए सभी राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे १९६३-६४ के शिक्षा वर्ष से अपने चिकित्सा कालेजों में प्रवेश की संख्या बढ़ा दें और अधिकतम संख्या २०० कर दें, बशर्ते कि चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिराये बिना ऐसा किया जा सके, ताकि समूचे रूप में प्रति वर्ष ३००० विद्यार्थियों को प्रवेश मिले । यह निश्चय किया गया है कि निम्न नमूने पर इस योजना के अन्तर्गत प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाये :—

(१) अनावर्तक (इमारत तथा सामान) प्रति वर्ष अधिकतम १५,००० रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) आवर्तक . . . प्रति प्रवेश प्रति वर्ष अधिकतम २००० रु० ।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य योजना की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होगी ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने विश्वविद्यालयों से त्रिमासिक एम० बी० बी० एस० परीक्षा लेने की सिफारिश की है ताकि असफल विद्यार्थियों को सफल होने का शीघ्र अवसर मिल सके ।

स्लीपरों का पाकिस्तान बह जाना

*५३३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कजरोलकर :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही चिनाब नदी के बाढ़ के पानी में जम्मू तथा काश्मीर से लकड़ी के तीन लाख स्लीपर पाकिस्तान की ओर बह गये थे ;

(ख) यदि हां, तो यह स्लीपर लगभग कितनी कीमत के होंगे ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को इस बारे में कुछ लिखा गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). भारत सरकार को सूचना मिली है कि चिनाब नदी में बाढ़ आ जाने के कारण बहुत सी लकड़ी बह कर पाकिस्तान को चली गई है । ऐसी लकड़ी की कितनी मात्रा है और इस की कीमत लगभग क्या है, इस का अभी पता नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

दक्षिण के राज्यों में बिजली का आवंटन

†*५३४. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा केरल के दक्षिण के राज्यों को बिजली के आवंटन का समन्वय करने के लिए एक समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कार्य हैं ;

(ग) केन्द्र ने इस समिति को किस प्रकार स्वीकार किया है ; और

(घ) क्या समिति में कोई केन्द्रीय प्रतिनिधि होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) भारत सरकार को ऐसी किसी समिति के बनाने की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बीकानेर में आयकर निर्धारण

†१०२०. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०, १९६१ और १९६२ में बीकानेर में आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारण के कितने मामलों पर कार्यवाही की गई और निश्चित किये गये ;

(ख) कितने मामलों में करदाताओं ने आयकर अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की और निर्णय पुनरीक्षित किये गये ; और

(ग) ३१ दिसम्बर, १९६२ को विभाग ने करदाताओं से कुल कितना धन प्राप्त करना था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख).

वर्ष	निर्धारण किये गये मामलों की संख्या	पेश की गई अपीलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिन में अपील सफल हुई
१९६० . .	१,८६३	३२८	११८
१९६१ . .	२,४३४	१९६	७९
१९६२ . .	३,२५८	३८९	१६९

(ग) ३१ दिसम्बर, १९६२ को कुल ५४,६५,००० रु० की मांग प्राप्य थी ।

दिल्ली में मिन्टो रोड पर होटल

१०२१. **श्री माते** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री ७ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिन्टो रोड पर जो होटल बनाने का विचार है, उसका ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) इस प्रस्ताव को फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छाती के रोगों के इलाज के लिये यंत्र

१०२२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक डच डाक्टर ने इर्विन अस्पताल में छात्रों के समक्ष छाती के रोगों के निदान के लिये बने यंत्र की कार्यविधि का प्रदर्शन किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों द्वारा उक्त यंत्र की उपयोगिता की जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि वह उपयोगी पाया गया है, तो उसे उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं । किन्तु एक रूसी डाक्टर ने मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के लेक्चर हाल में और इर्विन अस्पताल की प्रयोगशाला में क्रमशः २७ फरवरी एवं २८ फरवरी, १९६३ को स्वचालित सीवन-यंत्रों के एक सेट का प्रदर्शन किया ।

(ख) और (ग). ऐसा समझा जाता है कि इन की टैक्नीक की अभी पूरी तरह से परीक्षा होनी है तथा जब ये यंत्र प्राप्त हो जायेंगे तो इन का परीक्षण किया जायेगा । रूस रवाना होने से पहले रूसी प्रोफेसर ने मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को बतलाया कि वे इन यंत्रों को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास छोड़ जायेंगे । ये यंत्र अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए ।

उड़ीसा में नगरपालिकाओं को पीने के पानी का संभरण

†१०२४. **श्री उलाका :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक नगरपालिकाओं को सुरक्षित पीने का पानी देने के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कोई धनराशि दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). उड़ीसा की तीसरी पंचवर्षीय योजना में नगर जल संभरण तथा अनेक नगरपालिकाओं की जल निष्कासन योजनाओं की कार्यान्विति के लिए १५०.०० लाख रु० का उपबन्ध है । १९६१-६२ में इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को २३.८७ लाख रु० का ऋण दिया था । इस कार्य के लिए १९६२-६३ में २०.०० लाख रु० का आवंटन किया गया है ।

इन्द्रावती नदी (उड़ीसा) पर बांध

†१०२५. **श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कोरापुट (उड़ीसा) में इंद्रावती नदी पर बान्ध बनाने के उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव मिले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई राशि दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या ब्यारा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

उड़ीसा में आयुर्वेद का विकास

†१०२६. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा में आयुर्वेद के विकास के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ख) अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में आयुर्वेद के विकास के लिये ३.६१ लाख रु० आवंटित किये गये हैं ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

बालीमाला बांध परियोजना

†१०२७. **श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालीमाला बांध परियोजना की कुल लागत क्या है और इसकी क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) परियोजना कब पूर्ण होगी और बिजली कब दी जायेगी ; और

(ग) उड़ीसा में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). अनन्तिम कार्यक्रम के अनुसार योजना की चौथी योजना अवधि में पूर्ण होने की संभावना है । योजना के प्राक्कलनों को अब उड़ीसा सरकार फिर से बना रही है । अतः लागत तथा अन्य ब्योरा प्राक्कलनों आदि के तय हो जाने के पश्चात् ही मालूम होगा । मूल परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार यह योजना उड़ीसा के मालिका नगरी जिला में २४०,००० एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिये थी ।

उड़ीसा में यॉज, क्षय और कुष्ठ रोग

†१०२८. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक उड़ीसा में यॉज, क्षय और कुष्ठ रोगों के इलाज के लिये सरकार से किन किन गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : निम्नलिखित दो गैर-सरकारी स्वयं सेवी संगठनों को, जो कुष्ठ रोग निदान कार्य में संलग्न हैं, १९६१–६२ में प्रत्येक के नाम के सामने अंकित कार्यों के लिये अनुदान दिये गये थे :–

संस्था का नाम	१९६१–६२ में दिये गये अनुदान की राशि	उद्देश्य
	रुपये	
१. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, उड़ीसा राज्य शाखा, भुवनेश्वर	(१) ७,०००	कुष्ठ रोगी बस्ती, पुरी के लिये सामान का क्रय
	(२) २४,४००	संस्थाओं के अन्दर तथा उनके इर्द गिर्द कुष्ठ रोगियों के घर पर उनका इलाज करने के लिये ।
२. हाती बाड़ी स्वास्थ्य गृह, हाती बाड़ी जिला, संबलपुर ।	१३,०००	ट्रैक्टर खरीदने के लिये ।

आधुनिक ढंग की खेती करने से संबंधित अध्ययन दल

†१०२९. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक ढंग की खेती करने की योजना का खाका तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ; और

(ख) दल के निर्देश निबन्धन क्या हैं और उसमें कौन लोग हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). योजना परियोजनाओं संबंधी समिति द्वारा देश में कृषि औजारों का अध्ययन करने के लिये एक दल नियुक्त किया गया है। दल के निर्देश निबन्धनों और दल की रचना संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०१५/६३]**

दिल्ली के क्षेत्रों का विकास

†१०३०. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९६२ में विस्थापित व्यक्तियों के लिये गुड़ की मंडी में क्वार्टरों के निर्माण और किंग्जवे के पुनर्विकास के बारे में दिल्ली नगर पालिका निगम को मंजूरी दी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की प्रगति क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) किंग्जवे पुनर्विकास योजना भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई दिल्ली प्रशासन द्वारा आरम्भ की जा चुकी है । ३४ एकड़ के विकास तथा उस क्षेत्र में ७०० मकान बनाने की ले-आउट प्लान नगरपालिका निगम द्वारा तैयार की जा चुकी है और १९६३–६४ के प्रारम्भ में काम आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है ।

गुड़-की-मंडी योजना :

ले-आउट और इमारत की विस्तारपूर्वक प्लान तैयार की जा चुकी है और नगरपालिका निगम अनुमान तैयार कर रहा है ।

अफीम का उत्पादन और निर्यात

†१०३१. **श्री उ० म० त्रिवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में देश में कितनी अफीम बनी ;

(ख) क्या सारी अफीम को क्षार में परिणत किया गया है और कितनी क्षार बनी है ; और

(ग) १९६१–६२ में अफीम के निर्यात से यदि विदेशी मुद्रा कमाई गई है तो कितनी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ७०° घनापन पर ९७१ टन ।

(ख) जी नहीं । केवल ५० टन का उपयोग परिणत करने के लिये किया गया और ५८७ टन जो ७०° घनापन पर ७५० टन के बराबर होती है, निर्यात की गई थी ।

(ग) ३,६१,६६,५३२ रुपये ।

व्यपगत बीमा पालिसियां

†१०३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली बीमा किश्त देने के पश्चात् पालिसियों के व्यपगत होने को घटाने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो क्या ;

(ख) अक्तूबर १९६१ से मार्च १९६२ और जून १९६२ से नवम्बर १९६२ तक कितनी पालिसियां व्यपगत हुईं ; और

(ग) व्यपगत पालिसियों का वित्तीय परिणाम क्या हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जीवन बीमा निगम ने पालिसियों का कम से कम व्यपगत हो, इस दृष्टि से निम्न उपाय किये हैं । इनमें पालिसियों का वह व्यपगत होना शामिल है, जो बीमा की पहली किश्त देने के बाद होती है :

(१) विकास अफसरों की पदोन्नति तथा स्थायीकरण इस आधार पर किये जाते हैं कि उनके द्वारा किये गये नये काम में से व्यपगत पालिसियों को निकाल कर, काम के

---

†मूल अंग्रेजी में

असन्तोषजनक होने की अवस्था में स्थायीकरण और पदोन्नति कायम नहीं रहती ।

(२) विकास अधिकारियों तथा अभिकर्त्ताओं के लिये, इस दृष्टिकोण से कि गलत या उदासीन विक्रेतापन के कारण होने वाले व्यपगमन को रोका जा सके, विशेष प्रशिक्षण क्रम आयोजित किये जाते हैं ।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीमियम इकट्ठा करने की पर्याप्त सुविधा का प्रबन्ध करने के लिये परीक्षात्मक आधार पर, संग्रह व्यवस्था की गई है कि वे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में प्रीमियम जमा कर सकें ।

(४) जहां मासिक आधार पर प्रीमियम देना होता है, प्रीमियम की तीन मासिक किश्तें या निम्नतम अग्रिम जमा की राशि, जो अधिक हो, प्रस्ताव के साथ होती है । इसमें केवल उन्हीं मामलों में अपवाद किया जाता है जहां प्रीमियम वेतन बचत योजना अथवा सहकारी संस्था अथवा कर्मचारी भविष्य निधि के प्रन्यासी द्वारा दिया जाता है, क्योंकि प्रीमियम स्वतः दिया जाता है ।

(५) प्योर ऐंडाओमेंट और डैफर्ड ऐन्युइटी प्लानों के अन्तर्गत पालिसियों के मामले में अधिकतम/शोधन करने की अवधि २५ वर्ष तक सीमित की गई है, ताकि वार्षिक प्रीमियम इतना अधिक कम न होने पाये जिस से बोगस बीमा होने लगे ।

(६) प्योर ऐंडाओमेंट, चिल्डरन, डैफर्ड, डैफर्ड ऐन्युइटी ऐंड कनवर्टिबल टर्म प्लानों, के मामले में प्रीमियम देने की मासिक और त्रैमासिक प्रणाली की अब अनुमति नहीं है ।

(७) १००० रुपये से कम राशि की पालिसियों के मामले में प्रीमियम मासिक नहीं होता ।

(ख) निगम ने व्यपगमन दरों का हिसाब लगाने के लिये वर्ष को अवधि माना है । तदनुसार मासिक, त्रैमासिक और अर्ध वार्षिक व्यपगमन सांख्यिकी व्यपगमन दरों को निर्धारित करने के लिये इकट्ठी नहीं की जाती । अतः अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ग) जब कोई पालिसी छः महीने या अधिक समय तक प्रीमियम देने के बाद व्यपगत होती है, तो निगम को कोई क्षति नहीं होती । जहां केवल एक महीने या त्रैमासिक प्रीमियम प्राप्त होता है, वहां निगम को कुछ हानि होती है ।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

†१०३३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९६२ में विदेशी मुद्रा कितनी कमाई गई; और

(ख) इस में से कितनी मुद्रा हथकरघा उत्पादनों द्वारा कमाई गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५८ में तथा १९६२ में औसत विदेशी मुद्रा कमाई क्रमशः ७७७ करोड़ और ८४० करोड़ रुपये थी जो नीचे दर्शाई जाती है :—

निर्माण	१९५८	१९६२
	५६४ करोड़ रुपये	६६० करोड़ रुपये
अलक्ष्य (चालू) . . .	२१३ ,, ,,	१८० ,, ,,
योग	७७७ ,, ,,	८४० ,, ,,

(१९६२ के आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि उन में नवम्बर और दिसम्बर १९६२ के अनुमान शामिल है)

(ख) हथकरघा सूती कपड़े का निर्यात १९५८ में ५.२४ करोड़ रुपये था तथा १९६२ में ५.७८ करोड़ रुपये का हुआ है। अन्य चीज़ों से बुने हथकरघा कपड़े के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

फरीदाबाद का विद्युत् संयंत्र

†१०३४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विद्युत् बोर्ड ने फ़रीदाबाद में विद्युत् संयन्त्र लगाने के लिये आस्ट्रिया की एक फर्म के साथ एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या स्थापनकार्य आरंभ हो चुका है और कब तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) १५०० किलोवाट।

(ग) प्रारंभिक काम आरंभ किये गये हैं और १९६४–६५ में परियोजना पूर्ण होने की आशा है।

पंजाब में देहाती आवास

†१०३५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहाती आवास परियोजन योजना के अधीन पंजाब राज्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६३–६४ के लिए उस राज्य को इस योजना के अधीन कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पंजाब सरकार को २०० गांवों में योजना को कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया था । उन्होंने २०० गांव चुने हैं जिन में योजना आरंभ करनी है । आवश्यक सर्वेक्षण करने के पश्चात् इन में से ९० गांवों से अधिक गांवों के लिए ले-आउट प्लानें तैयार की गई हैं । मकानों और सामुदायिक इमारतों के लिये बहुत से नमूनों के डिज़ाइन भी बनाये गये हैं । १९५९–६० में योजना के आरंभ होने से लेकर ३७.०३ लाख रुपये तक की ऋण सहायता राज्य सरकार द्वारा २१०० मकानों के निर्माण के लिये दी गई है। इन में से ६५५ मकान पूरे हो गये हैं और ३० सितम्बर, १९६२ को ४४५ मकान बन रहे थे ।

(ख) इस स्तर पर आंकड़े बताना संभव नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय सहायता का आवंटन संसद् द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये 'अनुदानों की मांगों' के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् ही किया जाता है ।

पश्चिम जर्मनी द्वारा ग़ैर-सरकारी पूंजी विनियोजन

†**१०३६. श्री बसुमतारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पश्चिम जर्मनी द्वारा विनियोजित पूंजी पर कब्ज़ा न किये जाने की गारंटी देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, हां। संघावीय प्रजातंत्रात्मक जर्मनी गणराज्य की सरकार के साथ पूंजी विनियोजन प्रत्याभूति करार के लिए बातचीत चल रही है ।

भारत के बड़े नगरों में लोक स्वास्थ्य

†**१०३७. श्री उमानाथ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई जैसे देश के बड़े शहरों में लोक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति बिगड़ रही है ?

(ख) क्या संबद्ध राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के साथ यह समस्या उठाई है ; और

(ग) यदि हां, तो विशिष्ट समस्या उठाई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बड़े नगरों में सामान्य रूप से लोग स्वास्थ्य संबंधी स्थिति खराब हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). केवल बंगलौर के लिये अतिरिक्त जल संभरण की व्यवस्था की समस्या के बारे में केन्द्रीय सरकार से कहा गया है। तथापि जल संभरण एवं कई बड़े नगरों की नाली व्यवस्था को बढ़ाने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय जल संभरण एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सब राज्य सरकारें अपनी नगरीय जल संभरण एवं स्वच्छता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाती हैं। वृहत्तर राजधानी कलकत्ता योजना के लिये राज्य सरकार ने व्यापक जल संभरण, स्वच्छता तथा नाली योजना तथा वृहद् योजना बनाने के लिये विदेशी सलाहकारों की सेवाएं प्राप्त की हैं।

तीसरी योजना अवधि में, नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता, जल संभरण और नाली व्यवस्था की उन्नति के लिये ८९ करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

१०३८. **श्री बेरवा कोटा :**
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो जनरल पूल से सरकारी आवास पाने के अधिकारी हैं ;

(ख) कितने कर्मचारियों को सरकार की ओर से किराये पर मकान मिले हुए हैं;

(ग) क्या १९६३-६४ में ऐसे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की कोई योजना है, जिन्हें अभी तक क्वार्टर नहीं मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस काम के लिये कितना धन मंजूर किया गया है और कितने क्वार्टर बनवाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) लगभग ९०,००० ।

(ख) लगभग ३१,९०० ।

(ग) और (घ). सरकार की वर्तमान नीति यह है कि सरकारी कर्मचारियों की निवास स्थान की मांग के ८० प्रतिशत भाग को पूरा करने के लिये यथाशीघ्र निवास स्थान बना दिये जायें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये समय समय पर जितना आवश्यक समझा जाये, उतना निवास स्थान बनाया जाना है। भूमि और वित्त की सीमाओं के अनुसार निर्माण कार्य को अलग अलग प्रावस्थाओं (फेज़) में बांट कर किया जाना है। लगभग ४००० मकान इस समय बन रहे हैं, जो १९६३-६४ में पूरे बन जायेंगे। अगले वर्ष और मकानों के निर्माण की मंजूरी देने का भी प्रस्ताव है।

इडिक्की जल-विद्युत परियोजना

†१०३९. **श्री अ० क० गोपालन : सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इडिक्को जल-विद्युत् परियोजना के लिये कनाडा से सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत पूरी हो चुकी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना (५×१०० मैगावाट) कनाडा की सहायता से बनाई गई है। अभी करार तय नहीं हुआ। कनाडा के प्राधिकारी परियोजना में दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने परियोजना स्थल पर जांच आदि काम के लिये २००,००० डालर नियत किये हैं। योजना पर कुल ५१ करोड़ रुपये ख़र्च होंगे, जिस में से विदेशी मुद्रा १२.५ करोड़ रुपये ख़र्च होने की संभावना है। चौथी पंचवर्षीय योजना में परियोजना की पूर्ण होने की संभावना है।

भारतीयों द्वारा विदेशों से लाई गई वस्तुएं

१०४०. श्री रामेश्वरानन्द : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भारतीय विदेशों में जाते हैं तथा स्वेच्छा से वहां से कुछ विदेशी वस्तुएं क्रय कर लाते हैं क्या सरकार उनके ऐसे क्रय पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशों से लौटने वाले भारतीय किस किस्म का और कितना सामान बिना शुल्क (ड्यूटी) दिये अपने साथ ला सकते हैं, इस सम्बन्ध में यात्री (पर्यटकों से भिन्न) सामान नियमों [पैसेन्जर्स (नान-टूरिस्ट) बैगेज रूल्स] १९६० में कुछ प्रतिबन्धों की व्यवस्था है। इन नियमों में संशोधन करने के सवाल पर विचार किया जा रहा है।

(ख) ब्योरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नहरुआ रोग

१०४१. श्री तन सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नहरुआ के रोगियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रोग का राजस्थान में अधिक प्रकोप है और उसका कारण पीने के लिए गन्दा पानी बताया जाता है ; और

(ग) इस रोग को मिटाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इसकी पुष्टि के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह रोग उदयपुर डिविज़न, जोधपुर डिविज़न, कोटा डिविज़न के कोटा ज़िले और नोहर और सुजानगढ़ तहसीलों में सामान्यतया होता है। यदि संक्रांत व्यक्ति को पेय-जल तक जाने की खुली छूट हो और उस स्थान के निवासी दूषित पानी को बिना साफ़ किये अथवा बिना उबाले सेवन करें तो इस रोग का संक्रमण हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सुरक्षित पेय-जल की व्यवस्था एवं सीढ़ी वाले कुओं की समाप्ति से तथा रोग संक्रांत व्यक्तियों द्वारा दूषित अंगों के स्पर्श द्वारा पेय-जल को गन्दा करने से रोकने की व्यवस्था कर देने से काफ़ी हद तक नहरुआ रोग पर नियंत्रण एवं उसका उन्मूलन किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफ़ाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में सीढ़ियों वाले कुओं को स्वच्छ कुओं में बदल देने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है । यह क्षेत्र यूनिसेफ़-सहायता वाले ग्राम जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत सहायता के लिए चुना गया है ।

सर्प विष के बारे में आयुर्वेदिक अनुसन्धान

१०४२. श्री तन सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्प विष के सम्बन्ध में सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी तौर पर कोई आयुर्वेदिक अनुसंधान किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार की भी सूचनायें मिली हैं कि रेगिस्तान में ऐसे भी सांप हैं जो रात को सोते हुए मनुष्य की सांस के साथ विष घोल देते हैं ;

(ग) ऐसे सर्प-दंश के विष निवारण के लिए क्या कोई उपचार पद्धति निकाली जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) सर्प-दंश के उपचार में आयुर्वेदिक औषधियों की उपयोगिता जांचने के लिए हैफकिन इंस्टिच्यूट बम्बई में समय-समय पर अनुसंधान किये जाते रहे हैं । अभी तक इस प्रकार परीक्षित कोई भी औषधि प्रभावकारी नहीं पाई गई है ।

(ख) भारत सरकार के पास ऐसे सर्पों के अस्तित्व के बारे में कोई सूचना नहीं है जो सोये हुए मनुष्यों की सांस के साथ विष घोल देते हैं ।

(ग) और (घ) . ये प्रश्न नहीं उठते ।

डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में प्लाटों की बिक्री

†१०४३. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री गजराज सिंह राव :
श्री बाल्मीकि :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री ११ सितम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किलोकरी डिफेंस कालोनी नई दिल्ली में भूमि वायु सेना, स्थल सेना, जल सेना के भूतपूर्व तथा सेवा करने वाले कर्मचारियों को ही आवंटित की गई थी ;

(ख) कितने मूल आवंटियों ने अपने मकान या प्लाट असैनिक लोगों को बेच दिये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन मकानों या प्लाटों की बिक्री कुछ समय के लिये बन्द कर दी गई थी; और

(घ) क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निवास स्थान की अत्यधिक कमी की बात को ध्यान में रखते हुए, भूतगामी प्रभाव से बिक्री कर पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) १६३१ में से १४७।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

जवानों के लिए रक्तदान

१०४४. श्री बेरवा कोटा : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा रक्तदान में अब तक कितना रक्त इकट्ठा किया गया है और कितना रक्त अब तक जवानों के काम में आया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार रक्त देने के लिये ५० हजार व्यक्तियों की एक सूची बनाने का विचार कर रही है ; और

(ग) अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों की सूची तैयार हो गई है जो वक्त पड़ने पर रक्त देने को तैयार हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सशस्त्र सेना के लिए ४,७३० यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया है। १,२०० यूनिट पूर्ण रक्त के रूप में जवानों के काम में लाया गया। शेष ३,५३० यूनिट को शुष्क प्लाज्मा में बदला गया।

(ख) स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों की सूची बनाने के लिए कोई खास लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है। जो व्यक्ति रक्तदान करना चाहते हैं उनके नाम आदि दर्ज कराने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ग) अभी तक १,६६,००० व्यक्तियों के नाम, जो संकटकालीन स्थिति के कारण रक्तदान करना चाहते हैं, पंजीकृत कर लिए गये हैं।

पाली में आयकर कार्यालय

†१०४५. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाली में नवीन आयकर कार्यालय स्थापित किया जा रहा है और जोधपुर के आयकर अधिकारियों का क्षेत्राधिकार तदनुसार घटाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कारण कितना अतिरिक्त खर्च होगा; और

(ग) क्या नवीन आयकर कार्यालय खोलने की कोई कसौटी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पाली में आयकर कार्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुमानतः ५,००० रुपये प्रति वर्ष ।

(ग) एक नवीन आयकर कार्यालय खोलने का प्रश्न विविध बातों अर्थात् कर देने वाले लोगों की सुविधा, कार्यभार, स्थान तक पहुंच सकने के साधनों आदि पर निर्भर होता है ।

गर्भस्थ बच्चे

†१०४६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गर्भस्थ बच्चे के लड़कों या लड़की होने के बारे में जानकारी देने के लिये विश्वविद्यालय के प्राणिविज्ञान विभाग द्वारा किए गए सफल परीक्षणों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रयोगों के परिणाम परिवार नियोजन कार्यक्रम पर भी लागू करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस सम्बन्ध में एक समाचार की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय का प्राणिविज्ञान विभाग 'रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी' (जनन जीव विज्ञान) की मूलभूत समस्याओं पर अनुसन्धान कर रहा है जिसमें गर्भस्थ बच्चे के लड़का या लड़की होने की पूर्व जानकारी देना भी शामिल है । इसलिये प्रयोग के परिणामों को परिवार नियोजन कार्यक्रम पर लागू करने का प्रश्न ही इस समय नहीं उठता ।

यमुना नदी पर बांध

१०४७. श्री भक्त दर्शन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य सरकारों के मध्य यमुना नदी पर बनाये जाने वाले बांधों के बारे में गम्भीर मतभेद पैदा हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन मतभेदों को दूर करने और बांधों के निर्माण के कार्य को तेजी से कराने के लिये क्या कार्रवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यमुना नदी पर कुछ बांध बनाने के सम्बन्ध में और उनसे होने वाले लाभों को बांटने के सम्बन्ध में पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है ।

(ख) यमुना नदी तथा इसकी शाखाओं पर प्रस्तावित बांधों की जांच का क्रमिक कार्यक्रम बनाने के लिए एक अन्तर्राज्य समिति स्थापित की गई है और इसके द्वारा किये गये फैसलों के अनुसार सम्बद्ध राज्य उचित कार्रवाही कर रहे हैं । यमुना बेसिन के अनुकलित विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांस्टीट्यूशन हाउस में भोजन व्यवस्था का ठेका

†१०४८. श्री हरि विष्णु कामत : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायरैक्टर आफ एस्टेट, नई दिल्ली ने कांस्टीट्यूशन हाउस में भोजन व्यवस्था के लिए लगभग तीन महीने पहले टेंडर मांगे थे ;

(ख) कितने टेंडर मिले थे तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ।

(ग) क्या डायरैक्टर आफ एस्टेट ने इसी कार्य के लिए ४ मार्च, १९६३ को पुनः टेण्डर मांगे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक टेंडर वर्तमान केटरर का था तथा अन्य उसकी पत्नी तथा पुत्र के थे । इसलिए टेंडरों में प्रतिद्वन्दिता समाप्त हो गई थी ।

स्वायत्त निकायों को ऋण

१०४९. श्री बेरवा कोटा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वायत्त निकायों द्वारा लिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में यह नियम बना दिया है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने कर्ज की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी हां । जिन अधिनियमों के अनुसार स्वायत्त निकाय (आटोनामस बाडीज़) स्थापित किये जाते हैं उनमें आम तौर से यह व्यवस्था होती है कि निकाय ऋण लेने से पहले केन्द्रीय सरकार से अनुमति ले लें ।

(ख) इस सम्बन्ध में सीमाएं निर्धारित नहीं की गयी हैं ।

२४०० लाख डालर अमरीकी ऋण के लिए करार

†१०५०. श्री शशि रंजन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में सामान्य विकास के लिये २४०० लाख डालर अमरीकी ऋण को बांटने का विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या अनुपात है ;

(ग) क्या ये दल अमरीकी सार्थों से आयात के लिए बातचीत करेगा अथवा कुछ सरकारी अभिकरण बातचीत करेंगे ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) ऋण से गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों द्वारा अमरीका से आयात किये जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की विदेशी मुद्रा की लागत पूरी करने का विचार है । इन क्षेत्रों में कोई निश्चित अनुपात नहीं रखा गया है । प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं पर लाभालाभ के आधार पर विचार होता है तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा आवंटित की गई थी ।

(ग) और (घ). गैर सरकारी क्षेत्र को किये गये आंवटनों के संबंध में आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक आयात लाइसेंस देता है तथा सामान्य वाणिज्यिक व्यवस्था के अनुसार लाइसेंस धारी अमरीकी फर्मों से बातचीत कर सकते हैं । सरकारी क्षेत्र के आवंटनों के सम्बन्ध में खरीदारी संभरण का निबटान महानिदेशक के सरकारी क्रय अभिकरण द्वारा की जाती है ।

महाराष्ट्र में तापीय-विद्युत योजनायें

†१०५१. श्री लोनोकर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने १९६३–६४ के लिये कितनी तापीय-विद्युत् योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) क्या उसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के लिये गंगा खेड में एक पन बिजली योजना शामिल करली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिये स्वीकृति दे दी गई है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा १९६३–६४ के लिये पूंजीगत व्यय दिखाने वाला एक विवरण संबद्ध है ।

(ख) जी नहीं । योजना राज्य की तीसरी योजना में शामिल नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु राज्य सरकार ने अक्तूबर, १९६२ में प्रस्ताव किया था कि चालू योजना में पूरी होने के लिये परभणी जिले के गंगा खेड़ में ६० एम० डब्ल्यू की क्षमता का एक नया तापीय केन्द्र बनाए । योजना को परियोजना प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

क्रम संख्या	योजना	राज्य सरकार के प्रस्ताव
		(रुपये लाखों में)
१	जांच तथा सर्वेक्षण	९.४
२	कोयना पनबिजली परियोजना क्रम १	
३	कोयना पनबिजली परियोजना क्रम २ (बांध बिजलीघर समेत)	४३३.००
४	बैठाराना पनबिजली योजना	२०.००
५	पुरना परियोजना (जल विद्युत)	२८.१
६	सहस्र कुण्ड पनविद्युत परियोजना	१६.५
७	पश्चिम महाराष्ट्र विस्तार	२६६.००
८	विदर्भ ग्रिड विस्तार	३२२.००
९	खान देश मराठवाड़ा विद्युतीकरण	४४७.००
१०	ग्राम विद्युतीकरण	३०७.००
११	लाइसेंसधारी उपक्रमों का अर्जन	२५.००
१२	अन्तराज्यीय सम्पर्क	७.००
१३	शोलापुर विद्युत उपक्रम	७.००
१४	चांदनी-भुसावल १३२ के वी० सम्पर्क	—
१५	नवीन तापीय केन्द्र, नासिक	—
	जोड़	१८९८.००

केरल में ग्राम विद्युतीकरण

†१०५२. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण के लिये केरल सरकार को कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ख) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में कितनी सहायता दी गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य ग्राम विद्युतीकरण के लिये ४ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मांगे गये ऋण का ब्योरा तथा स्वीकृत राशि नीचे बताई जाती है :

वर्ष	मांगा गया धन	स्वीकृत ऋण
	रुपये	रुपये
१९६०–६१ . .	कोई नहीं	कोई नहीं
१९६१–६२ .	३५,६५,१२७	३५,६५,०००
१९६२–६३ . .	८३,०६,०००	विचाराधीन है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं (१) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक लेखे की एक प्रति, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १००५/६३]

केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन तथा आय) संशोधन नियम

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं (२) निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अर्तगत, दिनांक ९ मार्च १९६३ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० ४०१ में प्रकाशित केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन तथा आय) संशोधन नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १०१६/६३]

(दो) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत, दिनांक ९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १०१७/६३]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा १३ मार्च, १९६३ को पास किये गये विनियोग विधेयक, १९६३ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

†मूल अंग्रेजी में

(दो) कि लोक-सभा द्वारा १६ मार्च, १९६३ को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न के बारे में

†डा० पं० शा० देशमुख (अमरावती) : लोक लेखा समिति ने मुझ पर तथा भारत कृषक समाज पर कुछ आक्षेप किये हैं । इस संबंध में हमसे कभी साक्ष्य नहीं लिया गया है । अतः मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में अल्पकालीन चर्चा के लिये पूर्व सूचना दे सकते हैं ।

अनुदानों की माँगें—जारी

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान आरम्भ करेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : संकट काल में प्रतिरक्षा के बाद खाद्य तथा कृषि का महत्व है । तथापि इस सम्बन्ध में जो भी कार्य किया गया है उसे किसी भांति भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । योजना आयोग की भी यही राय रही है कि देश में कृषि की प्रगति बहुत धीमी रही है । जहां तक कृषि मंत्रालय में युद्ध स्तर पर काम करने का प्रश्न है इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है यद्यपि इस मंत्रालय में बहुत योग्य मंत्री हैं तथापि अपेक्षित कार्य नहीं किया गया है । वस्तुतः खेती के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनायी गयी है ।

कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा है । मूल्यों के संबंध में भी सरकार ने कोई निश्चित नीति नहीं अपनायी है । विशेषतः उड़ीसा में कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । खाद्यान्न जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना की जाये तथापि सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है ।

खाद्यान्न वसूली के लिये जो नीति अपनायी जा रही है उसका यह परिणाम हुआ कि उड़ीसा राज्य जो आधिक्य राज्य था कमी वाले राज्य में बदल गया है उन्हें अब आयातित खाद्यान्नों पर निर्भर रहना होता है ।

सरकार को उन कारणों का पता लगाना चाहिये जो कि खाद्यान्नों की वृद्धि के मार्ग में बाधक होते हैं । इसके लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कि संगठन और प्रशासन की ।

मेरा सुझाव है कि कृषि सिंचाई और सामुदायिक विकास विभाग एक ही मंत्रालय के अधीन लाये जायें । वास्तव में इस विषय पर ठीक से विचार ही नहीं किया गया है ।

श्री दें० द० पुरी (कैथल) : महाराष्ट्र में चीनी उद्योग के बारे में बहुत सुन्दर चित्र पेश किया गया है । मैं महाराष्ट्र के अलाभकारी चीनी कारखानों के संबंध में दो चार शब्द

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दे० द० पुरी]

कहना चाहता हूं । महाराष्ट्र में एक एक कारखाने के पास ५ से १००० एकड़ तक भूमि रहती है । यदि औसत देखा जाय तो उत्तरी भारत में ३० लाख गन्ना उत्पादकों के पास औसतन १ एकड़ भूमि है ।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चीनी के अच्छे कारखानों में चीनी का उत्पादन ७ से ८ रु० प्रति क्विंटल सस्ता होता है और यह चीनी ७ रु० प्रति क्विंटल मंहगी बिकती है अतः महाराष्ट्र के चीनी के कारखानों को अन्य कारखानों की अपेक्षा काफी लाभ होता है । इसी लाभ के कारण इन कारखानों ने गन्ना उत्पादकों को उर्वरकों के प्रयोग इत्यादि की सुविधा दी है । उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादकों को ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है । अतः महाराष्ट्र के चीनी उद्योग की उत्तरी भारत के अन्य कारखानों से तुलना करना ठीक नहीं है ।

महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन खपत की अपेक्षा कम होता है और वहां चीनी की कीमतें भी अपेक्षाकृत ऊंची हैं यदि वहां की चीनी का बाहर विदेशों को निर्यात किया गया तो इससे राज्य में चीनी का अकाल हो जायेगा । इससे गन्ना उत्पादक तथा उद्योगों को और अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा ।

यदि आप चीनी का उत्पादन ३५ लाख टन तक बढ़ाना चाहते हैं तो हमें गन्ने की कीमतें बढ़ानी होंगी । गन्ने से प्राप्त चीनी के अनुपात से मूल्य निर्धारण करने का वर्तमान सूत्र कायम रखा जाये तथापि कीमतों का स्तर बढ़ाया जाना चाहिये । कुल उत्पादन को बढ़ाने तथा तथा गन्ने की खेती पहिले आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहन दिये जायें ।

इन सभी बातों पर विचार करते हुए, यह कहा जा सकता है कि गन्ने के मामले में सरकार की नीति अशोभनीय नहीं रही है । सरकार अपने कार्य पर गर्व कर सकती है ।

†**श्री प० कुन्हन** (पालघाट) : मैं खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । तीसरी योजना में खाद्य उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । सबसे दुख की बात है कि पिछले १२ वर्षों में प्रति एकड़ उपज में केवल १.५४ प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस संबंध में हम काफी असफल रहे हैं ।

विशेषतः कई कृषि कार्यक्रम, जैसे भूमि परिरक्षण, सूखी खेती, सुधरे बीज, ग्रामीण तथा नगरीय कम्पोस्ट योजनायें इत्यादि में बिल्कुल सफलता प्राप्त नहीं हुई है । सहकारिताओं तथा गांवों में गोदाम खोलने की योजनाओं में अपेक्षित तरक्की नहीं हुई है ।

दुख का विषय है कि अभी भी देश आयात किये खाद्यान्नों पर निर्भर करता है । मेरे विचार से कृषि संबंधी असफलताओं का मूल कारण यह है कि किसान जो इस सारी प्रगति की कुंजी है उसकी उपेक्षा की गयी है । वस्तुतः इन सारे सुधारों के बावजूद भी किसानों की दशामें कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है ।

वस्तुतः केरल कृषि संबंध अधिनियम के कुछ उपबंधों के अवध घोषित हो जाने के कारण केरल के किसानों को काफी हानि उठानी पड़ी है ।

श्री मरंडी (राजमहल) : अध्यक्ष महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस के बाद भी हम ने खाने पीने की चीजें तथा अन्न बाहर से मंगाया । इस समस्या को हल करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये हमारी सरकार ते पंचवर्षीय योजनायें बनाईं । पंचवर्षीय योजनायें इस लिये बनाई कि हमारे देश में सब प्रकार से उन्नति हो । पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है । किन्तु हमारे देश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । सरकारी रिपोर्टों में हमेशा दिखलाया जाता है कि हमारे यहां अन्न के उत्पादन में वृद्धि हो रही है । लेकिन वह वृद्धि केवल सरकारी रिपोर्ट में हुई है । यह बड़े दुःख की बात है कि दस या बारह वर्ष पहले हमारी सरकार जो भी खाने पीने की चीजें बाहर से मंगवाती थी, वह आज भी मंगवा रही है । भले ही रिपोर्टों में अन्न की वृद्धि हुई हो लेकिन हमारे देश में आज भी अन्न विदेशों से मंगाया जाता है । फिर अगर वृद्धि हुई भी है अन्न में तो वह केवल शहरों के लिये हुई है या सरकारी रिपोर्टों में हुई है ।

हमारा संथाल परगना भारत में सब से पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां पर अधिकतर आदिवासी रहते हैं । वहां पर आदिवासियों की कृषि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । आदिवासी दिन प्रति दिन गरीब होते जा रहे हैं । इस का असली कारण यह है कि वहां पर महाजनों का शोषण चलता है । जब तक हमारे आदिवासियों के बीच में से महाजनों का शोषण खत्म नहीं किया जाता तब तक हमारे प्रदेश की कभी उन्नति नहीं हो सकती । मैं पहले भी इस महाजनों के शोषण के सम्बन्ध में इस हाउस में बोल चुका हूं मगर वह अभी तक ज्यों का त्यों चल रहा है । संथाल परगना महाजन ऐक्ट जो है वह महज पास कर दिया गया है, उस को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया है । जब तक वहां के किसानों को महाजनों के शोषण से नहीं बचाया जाता, तब तक वे किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते । जब किसानों की फसल तैयार होती है तो महाजन वहां आ जाते हैं और सारी की सारी फसलें लूट ले जाते हैं । इस के अलावा जो आदिवासियों के मवेसी हैं, उन को भी वे सारे के सारे लूट ले जाते हैं । यह हमारे संथाल परगना के आदिवासियों की सब से बड़ी समस्या है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे जरा हमारे संथाल परगना को ठीक से देखें । अफसोस की बात है कि आजादी के बाद से आज तक संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में एक भी मिनिस्टर नहीं पहुंचा है । हमारे ऐग्रिकल्चर और फूड मिनिस्टर भी आज तक नहीं पहुंचे हैं । मैं उन से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आ कर हमारे संथाल परगना को देखें कि वहां पर किसी भी तरह अन्न की कोई वृद्धि हुई है या नहीं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन ही नहीं करूंगा, लिख कर भी दूंगा कि वे हमारे दृष्टिकोण से आ कर देखें कि वहां पर अन्न की वृद्धि हुई है या नहीं । आज जितने हमारे भाई लोग हैं उनको खाने को अन्न नहीं मिलता, पहनने को वस्त्र नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं हैं । यह कितने दुःख की बात है । आजादी मिलने के पहले हम गरीब आदिवासी लोग आशा करते थे कि स्वराज्य आने पर हमारे भी दिन फिरेंगे और हमारी स्थिति भी किसानों जैसी हो जाएगी लेकिन आज भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है । हम जो आशा करते थे वह पूरी नहीं हुई । गरीब और गरीब होते जा रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि आदिवासियों को महाजनों से बचाने के लिए सबसे पहले सरकार को यत्न करना चाहिए ।

खेती की उन्नति सिंचाई की व्यवस्था पर निर्भर करती है । हमारी सरकार ने हमारे यहां के लिए सिंचाई की कुछ योजना बनायी है लेकिन उससे सिंचाई का काम अच्छी तरह नहीं होता । हमारा एक ओर तो महाजन शोषण करते हैं और दूसरी ओर सरकार के कर्मचारी और अफसर लोग जनता का शोषण कर रहे हैं । सिंचाई के लिए आप जो रुपया देते हैं उसका कुछ भाग अफसर ले लेते हैं कुछ दूसरे ले लेते हैं, हमारे पास कुछ नहीं पहुंचता ।

[श्री मरंडी]

आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि आपने जो वहां के लिए सिंचाई की योजना बनायी है वह नहीं के बराबर है । एक बूंद पानी मिलना मुश्किल है । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे संथाल परगना को ओर विशेष ध्यान दें । हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमको भी आगे बढ़ाना चाहिए । आज देश में डिमाक्रेसी है और इस डिमाक्रेसी में सब को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए । आपको हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संथाल परगना में अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई है । हमारे अन्दर स्टेमीना काफी है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमको कुछ सुविधाएं दे दें तो हम काफी उन्नति कर सकते हैं ।

मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सिंचाई की मीडियम स्कीमें चलायी जाएं । हमारे जो नाले और नालियां हैं उन पर बांध बनाए जाएं । हमारे इलाके की सिंचाई के लिए ५० प्रतिशत रुपया ब्लाक द्वारा दिया जाता है वहां पहुंचते पहुंचते उसका आधा भी नहीं रहता । अफसर लोग आधा खा लेते हैं । हमारे यहां कुंवें नहीं बनाए जाते । यही हमारी शिकायत है ।

फसल के टाइम में बनिया लोग आते हैं और सस्ते दाम पर हमारा अनाज ले जाते हैं । हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि जब हमारी फसल तैयार हो तो उसको सरकार ले ले और जब मंहगी हो तो सरकार किसानों को दे दे। ऐसा करने से जनता का फायदा होगा ।

हमारे भारत में ६० प्रतिशत जमीन पर खेती होती है, बाकी ४० परसेंट जमीन पर खेती नहीं होती । हमारा खयाल है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए । अगर नई जमीन तोड़ कर खेती में लाई जाये तो उपज बढ़ सकती है । मेरा सुझाव है कि जो पड़ती जमीन पड़ी है उस को आदिवासियों और हरिजनों को दिया जाय, तो हम लोग काफी उपज कर सकते हैं ।

भारत में समुद्र के किनारे ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां मछली पकड़ी जाती है । हमारे मछली पकड़ने वाले गरीब हैं, वे पुराने तरह की नावों से मछली पकड़ते हैं । हमारा अनुरोध है कि उन को सरकारी मदद दी जानी चाहिए ताकि वे नए तरीके की मशीन वाली नावों से मछली पकड़ सकें ।

†श्री कृ० चं० पंत : पिछली दोनों योजनाओं के दौरान खाद्य उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि खाद्य उत्पादन में पहिली योजना में जो वृद्धि हुई है वह दूसरी योजना में स्थिर नहीं रही । इस से स्पष्ट है कि खाद्य उत्पादन की उत्तरोत्तर तथा अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपज की वृद्धि भी देश के विभिन्न भागों में एक सी नहीं रही है । पंजाब में कुल गेहूं की खेती में वृद्धि हुई जबकि उत्तर प्रदेश में वही रही है । देश में कपास की खेती अभी भी वर्षा पर निर्भर करती है । जूट की उपज देश में काफी संतोषजनक रही है तथापि पाकिस्तान से हमें काफी जूट मंगानी होती है । पकेज कार्यक्रम के अधीन गन्ने की खेती में पर्याप्त वृद्धि हुई है । मैं सिद्धान्ततः इस योजना से पूरी तरह सहमत हूं ।

सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि किसानों को सिंचाई के लिये उर्वरक समय पर प्राप्त नहीं होते हैं । कभी कभी इस संबंध में राज्य तथा केन्द्र का समायोजन नहीं होता है । राज्य सरकारें अपना दायित्व केन्द्र के माथे मढ़ने का यत्न करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में गोबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथापि उस का ईंधन के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। देश में प्रतिवर्ष लगभग ४० करोड़ टन गोबर जला दिया जाता है और इस प्रकार ४२.५ लाख टन नाइट्रोचाक नष्ट हो जाता है। यदि इस का मूल्य रुपयों में आंका जाये तो यह ५५० करोड़ रुपये के लगभग होगा।

खाद्य उत्पादन योजना में बुनियादी कमी यह है कि ५० प्रतिशत जोती गयी भूमि के लिये उर्वरक की कोई व्यवस्था नहीं है।

रासायनिक खादों का प्रयोग सभी राज्यों में एक समान नहीं है। हिसार व उत्तर प्रदेश के किसान बहुत कम खादों का प्रयोग करते हैं नंगल में रासायनिक खाद का कारखाना बनने पर भी राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में उर्वरकों का प्रयोग नहीं बढ़ा है। इस सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित किया जाये।

उत्तर प्रदेश के सीमान्त जिलों में बागबानी, साग सब्जी, मुर्गीपालन तथा कृषि के विकास की पर्याप्त गुंजायश है। सरकार इन के विकास के लिए पर्याप्त गुंजायश है। गांव से लगे हुए जंगलों को बाग इत्यादि लगाने के लिये उपलब्ध किया जाये। तथा नये बनों में उपयोगी और कीमती लकड़ी के पेड़ों को लगाया जाये।

†**श्री बासप्पा** (तिपतूर) : यह ठीक कहा गया है कि एक मजबूत कृषि आधार राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य है। आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए भी यह जरूरी है।

हम बड़े नाजुक समय में से गुजर रहे हैं। हमें निर्यात बढ़ाना है और उस दृष्टिकोण से भी हमारा कृषि उत्पादन बढ़ना चाहिये। हमारी उत्पादकता में केवल १.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जोकि अधिक नहीं है। योजना आयोग ने हमें जो पत्र भेजे हैं, हमारे कुल उत्पादन में भी अधिक सुधार नहीं हुआ। लक्ष्य ६ प्रतिशत था किन्तु इस वृद्धि की दर ३.८४ प्रतिशत है।

खाद्य और कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारा उत्पादन इतना असन्तोषजनक नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए मालूम होता है कि मंत्री महोदय के मन में आत्म-संतुष्टि की भावना है। इस भावना से हमें अधिक लाभ नहीं होगा। हम ने कुछ सफलता अवश्य प्राप्त की है, किन्तु अब भी आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय का बिलकुल अभाव है। राज्यों और केन्द्र में मतभेद है। हमें देखना चाहिये कि दोष किस का है। हमारे किसान इतने पिछड़े हुए नहीं हैं और हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है जब यह जांच की जानी चाहिए कि संगठन व्यवस्था में क्या त्रुटि है।

यह भी बताया जाना चाहिए कि २४० करोड़ रुपये का जो ऋण दिया जाता है, उस के लिए कौन उत्तरदायी है, सामुदायिक विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय।

कल सारा सदन इस बात से चिन्तित था कि एक उचित और लाभदायक मूल्य दिया जाये। यह मूल्य ऐसा होना चाहिये जिस से उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को संतोष हो।

यदि वे जल संसाधन जिन का प्रयोग नहीं किया गया, जुटाये जायें तो ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

[श्री वासप्पा]

कहा गया है कि आगामी वर्षों में ५० प्रतिशत और छोटी सिंचाई की जायेगी । यह अच्छी बात है । मैसूर जैसे कुछ राज्यों को छोटी सिंचाई की अधिक जरूरत है । इस सम्बन्ध में नदियों के पानी के बारे में जो विवाद हैं, उन का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिये ।

कृषि के मामले में देश के प्रत्येक विभाग को विकसित करना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि अन्य बड़ी बड़ी परियोजनाएं छोड़ देनी चाहियें ।

उन क्षेत्रों को जहां ५ प्रतिशत सिंचाई है और ४७ प्रतिशत पानी नदियों से आता है, कोई लाभ नहीं पहुंच रहा । जबकि अन्य क्षेत्रों को पहुंच रहा है ।

विभिन्न राज्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय को सम्बन्धित मंत्रियों को इस बात में सहायता देनी चाहिए कि कृषि का विकास संतुलित हो ।

श्री उटिया (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का इस बात के लिए बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे इस बहस में भाग लेने के लिए समय दिया है ।

खाद्य और कृषि अनुदान मांगों पर दो दिनों से इस सदन में विचार हो रहा है । मेरा मत है कि देश की अस्सी प्रतिशत जनता याने किसान का इस विभाग से संबंध है और कोई भी इस बात को आसानी से समझ सकता है कि उन किसान को राहत पहुंचाने में यह विभाग सफल नहीं रहा है । कम से कम मेरे इलाके के पिछड़े हुए भागों में मैं देखता हूं कि किसान और भी गरीब होता जा रहा है । इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यगण चाहे वे किसी भी दल के हों पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की शक्ल को अपने दिमाग से निकाल कर मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार आदि क्षेत्रों के गरीब और पिछड़े किसानों को जा कर देखें तो उन्हें उन का दर्द मालूम होगा । साहूकारों का जुल्म कई पीढ़ियों से किसान का शोषण करता आया है और वह आज भी जारी है । सहकारी समितियों या सहकारी बैंकों से मेरे यहां के किसानों को जो मदद मिलती है वह सिर्फ ऐसे लोग पाते हैं जो चुनाव में कांग्रेस का काम करते हैं या कांग्रेसी नेताओं से जिन की यारी है । बहुत से ऐसे मामले भी पकड़े में आते हैं जिन से पता चलता है कि कर्जा या दूसरी मदद दिलाने वाले भारी मात्रा में दलाली ले लेते हैं । इन बीच के पंडों की अगर पूजा नहीं की जाती है तो किसान मारा जाता है और उसे उसे मदद नहीं मिलती है । सहकारी बैंकों में या समितियों में न तो अधिकार मिले हैं और न उनकी सुनवाई होती है और न ही उन को जागृत करने का प्रयत्न किया गया है । सत्तारूढ़ दल भी आज उन का शोषण करता है । मेरे प्रदेश के बारे में सब जानते हैं कि वह मुख्यतः पहाड़ी है । मध्य भारत या अन्य स्थानों में जहां सुविधायें हैं, सिंचाई के बड़े बड़े साधन तैयार हो गए हैं परन्तु बहुत बड़ा भाग ऐसा भी है जहां सिंचाई के छोटे छोटे साधनों के निर्माण पर ध्यान दिया जाना जरूरी है । इस सिलसिले में आज तक मुझे ऐसा कोई प्रयत्न नज़र नहीं आया कि जिस की प्रशंसा की जा सके । मैं शासन से निवेदन करूंगा कि वह मेरे क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था कराये ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने महंगाई की चर्चा की है और मेरा खयाल है कि स्वयं शासक दल के लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि रोजमर्रा की चीज़ों के बढ़ रहे दामों से किसान भी परेशान है । अभी कल ही इस विभाग के मंत्रियों ने अनाज के मूल्य पर नियंत्रण रखने की बात कही थी । अनाज का दाम एक निश्चित सीमा से ज्यादा न बढ़े यह अच्छी बात है, परन्तु साबुन, शक्कर, तेल, गुड़ आदि जैसी चीजें किसान के काम की भी होती हैं जिन्हें वह रोज खरीदता है, काम में लाता है । फिर जब इन के भी दाम बढ़ेंगे तो किसान कितनी तकलीफ उठायेगा, इस को भी आप को देख लेना

चाहिये । यदि शासन अनाज का दाम नहीं बढ़ने देना चाहता जोकि वाजिब भी है तो क्या यह भी वाजिब न होगा कि दूसरी आवश्यक चीज़ों के दाम भी बढ़ने से रोके ।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पहाड़ी इलाकों के पिछड़े हुए लोगों की जो असुविधायें हैं उन असुविधाओं को दूर करने का प्रयत्न शासन की ओर से किया जाना चाहिये । इन असुविधाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अगर सरकार कोशिश करे तो बहुत बेहतर होगा ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज खाद्य और कृषि मंत्रालय के अनुदान का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं । यह हर्ष का विषय है कि आज हमारा ऐग्रिकल्चर विभाग एक डाक्टर के हाथ में है, लेकिन मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि आज ऐग्रिकल्चर में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है ? उन के यहां एक बड़ी फौज है, अफसरों की जो मशीनरी है, उस फौज को खतरा है । उन के सामने खतरे की घंटी बजती रहती है क्योंकि चौदह और पन्द्रह वर्ष की सर्विस वालों को भी अभी तक परमनेन्ट नहीं किया गया । वे घबराते हैं कि अगर उन को हटा दिया गया तो वे कहां जायेंगे । मैं यहीं पर एक मिसाल दे दूं । इस हाउस में हमारे एक आनरेबल मेम्बर हैं जोकि इस डिपार्टमेंट में ऐग्रिकल्चर आफिसर रहे हैं । वे मेरे जिले में रहे हैं । आप को देखना चाहिये कि क्यों आप के आफिसर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं । हमारे डा० राम सुभग सिंह को इस पर बड़ी डीपली थिंक करना चाहिये । यह जो बड़ी फौज हमारे सामने बठी हुई है उस पर यह मंत्रालय भरोसा करे और उन को परमनेन्ट करे ताकि वे समझें . . . . .

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अब उन्हें कैसे परमनेन्ट करें ?

श्री शिव नारायण : माननीय सदस्य को छोड़िये, जो लोग आफिशल गैलरी में बठे हैं उन को देखिये ।

हिन्दुस्तान में जो भी खेती की जमीन है उस में से एक चौथाई को सिंचाई प्राप्त होती है और तीन चौथाई जमीन बिना पानी के रह जाती है । हर साल करोड़ों मन पानी बह जाता है, उस का कोई कंट्रोल नहीं है । मैं अपने फूड मिनिस्टर से पूछा चाहता हूं कि वह इस की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? आज चीन ने इतनी बड़ी बड़ी नदियों को रोका है । आप भी घाघरा, गंडक, गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों के पानी को रोकने का इन्तजाम कीजिये । रिजर्वायर बनाइये और पानी को कंट्रोल कीजिये । अभी क्वेश्चन अवर में बड़ा शोर हुआ था कि पीने का पानी नहीं है, ड्राइ एरिया है । अगर यह पानी आप ोक लें तो बड़ा उपकार हो । मुझे याद है जब मैं यू० पी० में मेम्बर था तो प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना ने प्वाइंट आउट किया था कि जब मैं बजट पर बोलूं तो इस को बतलाऊं कि हर साल सोलह जिलों से ८० करोड़ रु० का नुक्सान फ्लड्स से होता है । अगर आप फ्लड्स कंट्रोल करा दें तो पैदावार बढ़ जाये ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : यही तो दिक्कत है कृषि मंत्रालय की ।

श्री शिव नारायण : आप क्यों जवाब देते हैं, जवाब हमारे पाटिल साहब देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरजमीन की मिट्टी दुनियां की सब जमीनों से अच्छी है । मैं ने क्यूबा में देखा वहां बड़े मोटे मोटे गन्ने हो रहे हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं ? पहले पतले गन्ने पैदा करते हैं । मैं अपने डाक्टरों से पूंछना चाहता हूं कि वह इस का कोई इलाज बतलायें । मैं दावे से कहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसान से आप जितना लेते हैं अगर उस का चार आना वापस कर दें तो हम आप को देंगे गेहूं । आप अगर एक रुपया लेते हैं तो उस में से एक पैसा भी वापस नहीं देते हैं । आप जो भी मालगुजारी लेते हैं अगर उस का चौथाई वापस कर दें तो हम यहां पर रामराज्य ला

[1]मूल अंग्रेजी में

[श्री शिव नारायण]

देंगे, हम आप की प्राब्लेम को हल कर देंगे। यह मेरा कहना नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक पोस्ट ग्रैजुएट का कहना है, जो कि बड़ा विद्वान है, कि अगर हम को चार आना वापस हो जाये तो यहां पर राम राज्य आ सकता है।

यहां बड़ी फार्मिंग की बात का जिक्र हुआ। इस के बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं। लेकिन मैं दावे से यह कहता हूं कि छोटे खेती वाले लोग अच्छी पैदावार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं। हमारे गांव के जमींदार हैं राजा राम सुभग सिंह। मैं असामी हूं। लेकिन जो मैं दस बीघे खेत में पैदा करता हूं वह पचास बीघे में उतना पैदा नहीं कर सकते। यह तो मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं। मुझे गांवों का प्रैक्टिीकल एक्स्पीरिएंस है। मैं एक किसान का बेटा हूं और अपने हाथ से खेती करता हूं। मैं खुद खेत जोतता हूं। हमारे हाफिज जी यहां पर नहीं हैं। जब कौंसिल में द्रपुर यूनिवर्सिटी का बिल चल रहा था तब उस में ९ डाक्टर्स अप्वाइंट हुए। मैं ने उन से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि अकड़ी, मुमनी, अगवासी आदि क्या हैं? अगर तुम बतला दो तो जानें। एक भी नहीं बतला सका। हाफिज जी ने भी कहा कि यह क्या कह रहा है?

डा० राम सुभग सिंह : मैं बतला दूंगा।

श्री शिव नारायण: आप तो बतला ही देंगे क्योंकि आप किसान हैं। इस लिये मैं आप के सामने कह रहा हूं कि गवर्नमेंट फ्लड् कंट्रोल स्कीम्स को चलाये। जो रिसर्चच स्कालर्स हैं ऐग्रिकल्चर के वह इस चीज को प्रैक्टिकल शेप में गांवों में नहीं पहुंचा पाते। आप इस को गांवों में पहुंचाइये और किसानों को बतलाइये। मैं तो मनु महाराज को मानता हूं। मनु के जमाने में डिवीजन आफ वर्क था। खेती करने वाले को टापमोस्ट ग्रैजुएट की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब इस का उल्टा होता है। एम० एस० सी० पास कर जो के लोग आज आ रहे हैं, डाक्टर्स आ रहे हैं, जब तक पढ़ते पढ़ाते रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है लेकिन वह मिट्टी के पास नहीं जाते हैं। मिट्टी को छूना भी गुनाह समझते हैं। वे खाली फाइल का काम करते हैं, कागज पर दस्तखत मारते रहते हैं। प्रैक्टिकल काम नहीं करते। पहले आप उन को सम्भालिये। अगर वह नहीं समम्भलते तो उन को छोड़ दीजिये। चमार के बेटे को ट्रेनिंग दीजिये, कुर्मी के बेटे को ट्रेनिंग दीजिये। पंडित से कह दीजिये कि वह प्रोफेसरी करे, वह संस्कृत पढ़ाये। **(अन्तर्बाधा)**

बाबू साहब जो बोल रहे हैं वह मिलिटरी के एक्स्प हैं, उन को फौज में भेज दिया जाय। लेकिन वह खेती नहीं कर सकते हैं। खेती करने वाले ही खेती कर सकते हैं। इस देश के लोगों जो चार वर्णों में बटे हुए थे वह गलत नहीं था। लेकिन अब हर एक आदमी हर जगह पर मिल गया है। आप ने खिचड़ी बना दी। पन्द्रह वर्षों तक आप सोते रहे। आज जो चीन का हमला हम पर हुआ यह उसी लापरवाही का प्रतिफल है। अगर आप ने ध्यान दिया होता तो यहां अनाज की कमी न होती। मैं अपने फूड मिनिस्टर की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस इमर्जेन्सी पीरियड में बाजार को कंट्रोल किया हुआ है। इस में जरा भी गलत बात नहीं है और न कोई खाली तारीफ की बात है। कल श्री टामस का स्टेटमेंट मैं ने सुना। गल्ले की कोई मंहगाई आज देश में नहीं है। और चीजों के दाम भले ही बढ़ जायें, आप ब्लेड के दाम बढ़ा दीजिये, साबुन के दाम बढ़ा दीजिये, चीनी के बढ़ा दीजिये, लेकिन गेहूं, चावल और मोटे अनाज को सस्ता रखिये। किरोसिन आयल के दाम आप कम कोजिये।

इस हाउस में बजट पर जब बहस हो रही थी तो सुपर प्राफिट्स टैक्स के खिलाफ लोगों ने नारा लगाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो आमदनी आती है वह किस के घर से आती है?

वह किसान के घर से आती है, जब वह अपना गल्ला बेचने आता है तो सेठों के यहां धर्मादा खुले होते हैं। जब किसान एक गाड़ी भेली लाता है तो कहा जाता है कि चार सेर यहां डालो, दस सेर वहां डालो। इस तरह के धर्मादा खाते खुले हुए हैं। उस में आखिर किस का पैसा है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि वह उस की चेकिंग क्यों नहीं करती ? उन धर्मादों से उन बड़े बड़े लोगों के बिजिनेस चलते हैं। वह सब किसान के घर से जाता है। आज देश का किसान आप के सामने बोल रहा है, वह अपना दिल खोल कर बोल रहा है। कोई किताब से नहीं पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल एक्स्पीरिएंस से बोल रहा है। भारत में जितने मन्दिर, मस्जिद वगैरह हैं सब किसानों की रीढ़ पर मौजूद हैं।

"गरीबों के लिये मिले रोटी तो मेरी जान हाजिर है।" यह नारा लगाया था यहां के लोगों ने और इसी पार्लियामेंट हाउस के अन्दर बम मारा था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। वह दिन मुझे याद है। मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार इस पर अमल करने की कोशिश करे। उस को एक रेवोल्यूशन लाना चाहिये। अगर आप गरीबों को उठायेंगे नहीं तो देश का कल्याण होने वाला नहीं है।

इस के बाद मैं माइनर इरिगेशन के सम्बन्ध में डा० राम सुभग सिंह से कहना चाहता हूं कि वे किसानों से ५० परसेन्ट लेते हैं लेकिन उन के दफ्तरों में बड़ी गड़बड़ी होती है और पूरा पैसा पहुंच नहीं पाता है। अगर ५० परसेन्ट आप के पास पहुंच जाय तो सिंचाई का इन्तजाम ठीक हो जाये। जो गरीब हरिजन दो या चार बीघे वाले हैं उन को समय पर बीज मिल जाय तो अच्छा है। आज उन को बीज ठीक से नहीं मिलता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि शुरू में एक साल तो बीज दिया गया लेकिन दूसरे साल नहीं दिया गया। इस तरह से किसानों को हैरास किया जाता है और तंग किया जाता है। मैं चाहता हूं कि अफसरान इस को नोट कर लें। इस की जांच करें कि किस तरह से काम होता है। आप किसानों को सुविधा दीजिये, उन को बीज दीजिये, पानी समय पर मिल जाय, जो कि आज कल नहीं हो रहा है। हम को २५ परसेन्ट सूद पर बीज दिया जाता है लेकिन जब हम से वापस लेते हैं तो बीज छांट छांट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि बीज ठीक से सप्लाई हो और पानी भी समय पर दिया जाय। आप उन को पैसा तो देते हैं लेकिन और हेल्प भी जो होती है वह समय पर दी जाय तो बड़ा कल्याण हो सकता है इस देश का। किसान तो वैसे ही ढीला है, अगर आप भी ढील करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि देश का किसान अब भी आप के पढ़े लिखे ऐग्रिकल्चरिस्ट्स से ज्यादा चतुर और होशियार है और ज्यादा पैदावार कर सकता है। आप देश में जापानी खेती का नारा लगाते हैं। मैं धान की खेती के इलाके से यहां आता हूं। नेपाल की तराई में इतना फर्स्ट क्लास चावल होता है कि अगर यहां बनाया जाय तो सारा हाउस महक उठे।

यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आप चीजों की प्राइस को कंट्रोल कीजिये। हिस्ट्री का रेकार्ड बतलाता है कि अलाउद्दीन के जमाने में ३ रु० पर एक सिपाही रक्खा जाता था लेकिन हर चीज के दाम मुकर्रर थे। आप भी गल्ले की प्राइस को फिक्स कर दीजिये कि सन् १९६२ से ले कर सन् १९६७ तक यह प्राइस रहेगी, चाहे वह किसी के ऊपर भी पड़े। चाहे वह निरहू पर पड़े या राजा पर पड़े। हम मेहनत भी करेंगे। लेकिन आप तो यह करते हैं कि हम से १० रु० में अनाज को लेते हैं और और कल फिर हम को वही चावल ३० रु० मन में देते हैं। उड़ीसा की मिसाल मौजूद है। कहां आप का ऐडमिनिस्ट्रेशन है, कहां गवर्नमेंट है ? कौन है इस को चेक करने वाला।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने फूड मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि यह मिनिस्ट्री फले और फूले। यह हमारे देश के लिये अन्नदाता बने। यह हम को अन्न दे और किसानों को भी सुखी बनावे।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परभणी) : मैं खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और उन्हें मूल्यों पर सफल नियत्रण रखने पर बधाई देता हूं। किन्तु मेरा यह निवेदन है कि यह कार्य किसानों को हानि पहुंचा कर न किया जाये। उनका खाद्यान्न के उत्पादन में अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि मूंगफली के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, किन्तु तथ्य यह है कि यह उतनी की उतनी है। श्री मोरे ने महाराष्ट्र के चीनी उद्योग का उल्लेख किया है। यह उद्योग अभी तक चालू है यद्यपि इस को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय इसको उत्तर भारत के चीनी कारखानों से निर्यात के लिये पत्तनों तक परिवहन शुल्क के लिये ८ पये से ९ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भार वहन करना पड़ रहा है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य हमारी उत्पादन लागत के लगभग बराबर है। फिर भी ८ रुपये से ९ रुपये प्रति क्विंटल भाड़े के रूप में देना पड़ता है। हमारी प्रार्थना यह है कि निर्यात के लिए उन दक्षिण के कारखानों को कहा जाये, जो निर्यात के पत्तनों के समीप हैं। इससे न केवल करों की रकम बचेगी बल्कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग को भी सहायता मिलेगी। हम यह नहीं चाहते कि यह उद्योग उत्तर भारत के कृषकों के सिर पर फले फूले। उत्तर के कृषकों को अपने गन्ने के लिए अधिक मूल्य मिलना चाहिये। यदि ऐसा दक्षिण के कृषकों के बलिदान से ही हो सके, तो वे यह भार सहन करने के लिए तैयार होंगे।

कच्ची दानेदार चीनी के मामले में महाराष्ट्र चीनी उद्योग ने बहुत अच्छा काम दिखाया है। यह काम और भी अच्छा हो सकता है यदि कृषि मन्त्री इसकी सहायता कर। निजी उद्योगों को सहकारी चीनी उद्योग को हानि पहुंचा कर नहीं पनपना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र का कहना है कि महाराष्ट्र में चीनी की लागत कम है। हमें सिंचाई के लिए २४० रुपये देने पड़ते हैं, जबकि उत्तर में २० या ४० रुपये देने पड़ते हैं। फिर चीनी पर उपकर उत्तर में कम है। फिर भी हमें कहा जाता है कि महाराष्ट्र में चीनी की उत्पादन लागत कम है और लाभ की गुंजाइश अधिक है। किन्तु तथ्य बिल्कुल इसके उलट है, क्योंकि चीनी की उत्पादन लागत अधिक है। इस स्तर पर मूल्यों को बराबर कर देने से और महाराष्ट्र को निर्यात का अवसर न देने से महाराष्ट्र का चीनी उद्योग कैसे उन्नति कर सकता है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री सा० का० पाटिल)** : में सदन का आभारी हूं कि कल और आज चर्चा के दौरान में कृषि के बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है और इससे मुझे मालूम हुआ है कि इसमें क्या त्रुटि है, जिसका तुरन्त उपचार होना चाहिये। डा० राम सुभग सिंह और श्री थामस ने कृषि और खाद्य का चित्र खींचा है और मैं उन के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल भारत सरकार की खाद्य और कृषि नीति सम्बन्धी कुछ बातों का उल्लेख करूंगा।

एक बात जो बहुत से सदस्यों ने कही है यह है कि पिछले ीन वर्षों में कृ उत्पादन लगभग स्थिर रहा है। इसलिए वे यह समझते हैं कि इसमें कोई भारी त्रुटि है।

फिर देश के आयोजकों, प्राविधिकों, अर्थशास्त्री और सांख्यिकों का विचार है कि कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे किसान और भी हताश होते हैं।

जब मैं यह कहता हूं कि कृषि का औद्योगीकरण होना चाहिये, तो मेरा अर्थ होता है कि नये तरीके अपनाये जायें, इससे अधिक कृषि की तुलना उद्योग से नहीं की जा सकती, क्योंकि उद्योग में लगाये गये कच्चे माल और मानवीय कोशिश को जानते हुए यह ठीक ठीक बताया जा सकता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन कितना होगा। इसलिए प्रतिवर्ष, न चोजों को वृद्धि के साथ साथ प्रगति देखी जा सकती है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कृषि को प्रगति कितनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि कृषि में प्रगति नहीं होनी चाहिये। यह प्रगति और प्रकार को होती है। मैं कुछ आंकड़े दूंगा जिन्हें देख कर आपको आश्चर्य होगा कि अन्य देशों में प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। हमारी कृषि पांच वर्षों की एक साइकल है जिस में से दो तीन वर्ष तक बुरे नहीं थे, न अच्छे थे, एक व ै बहुत अच्छा रहा और एक सम्भवतः असामान्य रहा। अतः जब कभी हम उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी की बात करते है, हमें इन पांच वर्षों की ओर ध्यान देकर परिणामों को देखना चाहिये। तीसरी योजना के पहले वर्ष १९६१ में कृषि ने उतनी प्रगति नहीं की। यह समझना ठीक नहीं है कि यदि पांच वर्षों में ४० प्रतिशत वृद्धि होनी है, तो प्रत्येक वर्ष में ८ या ९ प्रतिशत होनी चाहिये। यदि इतनी प्रगति न हो, तो तुरन्त कृषि को आलोचना को जाती है। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है क्योंकि कृषि की प्रगति ऐसे नहीं होती। भारतीय कृषि के पिछले तीन वर्ष वास्तव में बहुत बुरे वर्ष थे किन्तु यह बड़े सन्तोष का विषय है कि उन वर्षों में भी आधार ८०० लाख टन से कम नहीं हुआ। पिछले १० या १२ वर्षों में उत्पादन ५४० लाख टन से ८०० लाख टन तक बढ़ गया है। और आप को आश्चर्य नहीं होना चाहिये यदि यह उत्पादन एक वर्ष में ८०० लाख टन से ९५० लाख टन तक बढ़ जाये। ऐसा केवल हमारे देश में नहीं, अन्य कृषि प्रधान देशों में भी होता है। में आपको बतला सकता ं कि कृषि ५० से ६० प्रतिशत तक मौसम पर निर्भर होती है।

यदि उड़ीसा हमें १० वर्षों में से ९ वर्ष चावल देता है, तो उड़ीसा के कृषकों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है।

पिछले १२ वर्षों में ५४० लाख टन से ८०० लाख टन तक जो वृद्धि हुई है वह ३·३ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। कृषि उत्पादकों पर १९५२-५३ में नियन्त्रण हटा लिया गया था। १९५२-५३ और १९६१-६२ के बीच राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र में २७·४ प्रतिशत बढ़ी है, जबकि कृषि जनसंख्या २० प्रतिशत बढ़ी है। इसलिए स्पष्ट है कि कृषकों की प्रतिव्यक्ति आय ५·७ प्रतिशत बढ़ गई है। जैसा कि मैं बता रहा था, इस प्रकार का उतार चढ़ाव अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में अधिक होता है। आप जानते हैं कि एक बार हमारे देश में कृषि उत्पादन ६५० या ६६० लाख टन से ७४० लाख टन हो गया था, अर्थात् एकाएक १० से १५ प्रति शत वृद्धि हुई। कई बार प्रकृति के अनुकूल होने के कारण ऐसा चमत्कार हो जाता है। पिछले ३० या ४० वर्षों में ऐसा हुआ है। आंकड़ों से मालूम होता है कि पांच वर्षों में एक वर्ष बहुत अच्छा होता है, जिससे कमी पूरी हो जाती है।

उन देशों में भी जहां कृषि यंत्रीकृत है और उर्वरक आदि बड़ी मात्रा में प्रयोग किये जाते है, कृषि में बहुत उत्पादन बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है, भारत से भी अधिक। भारत में लगभग ३५०० लाख एकड़ भूमि में से ५७०० लाख एकड़ में स्थाई सिंचाई होती है. अर्थात् १८ प्रतिशत, जो कि सबसे अधिक है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि छोटी या बड़ी सिंचाई में भारत विश्व में सबसे आगे है। अमेरिका से भी अधिक, जिसकी आवश्यकता तो ६०० से ७०० लाख टन तक है किन्तु उत्पादन १६०० लाख टन है। वहां भी उतार चढ़ाव बहुत अधिक है। वहां खाद्यान्न का उत्पादन १९५८-५९ में १५·५ प्रतिशत बढ़ गया था किन्तु १९६१-६२ में १२·६ प्रतिशत कम हो गया था।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आस्ट्रेलिया में १९५७-५८ में यह २६ प्रतिशत कम हो गया था, किन्तु १९५८-५९ में यह ११८ प्रतिशत बढ़ गया था। आप जहां भी जाएँ, कृषि के उतार चढ़ाव का यही हाल है। किन्तु भारत की तुलना जापान या अमेरिका से नहीं की जा सकती। अमेरिका म जब भी गन्ने या गेहूं की

[श्री स० का० पाटिल]

नई किस्म पैदा की जाती है, इस का ज्ञान कृषक समुदाय को २० घंटों में हो जाता है। वहां यदि मि० जान या स्मिथ किसी नये तरीकों से असाधारण आकार का आलू पैदा करता है, तो वह टेलीविजन के द्वारा सबको मालूम हो जाता है और १२ महीनों में लाखों लोग वैसा आलू पैदा करने लगते हैं। भारत में यह इतनी तेजी से नहीं हो सकता। हमें ६०० लाख किसान परिवारों को, जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, बताना पड़ेगा। उन्हें कृषि के बारे अज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को समझाना मन्त्रालय के लिए कितना कठिन काम है। इसके अलावा उनको अन्ध विश्वास भी है जिसको हटाना भी बहुत कठिन काम है। उत्पादन आखिर किसानों ने करना है मन्त्रियों ने तो नहीं करना है। ६०० लाख किसान परिवारों को उचित समय पर समझाने और संरक्षण देने में समय तो लगेगा ही। जो तरीके हम अपनाते हैं, यदि गलत हैं, तो उनकी आलोचना करने का आप को पूरा अधिकार है। लोग स देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं। ऐसा बार बार कहा जाता है। १०० वर्ष बाद राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का स्थान इतना अधिक तो नहीं होगा बल्कि कम हो जायेगा किन्तु देश फिर भी कृषि प्रधान रहेगा। पिछले ११ वर्षों में योजनाओं में गैर कृषि उत्पादन पर १००० करोड़ रुपये खर्च करने के बाद कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता ७० प्रतिशत से ६९ प्रतिशत हो गई है। अर्थात् इसमें कोई विशेष कमी नहीं हुई। इसलिए हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था १०० वर्षों के बाद भी कृषि की प्रगति पर निर्भर होगी। यही कारण है कि केवल इस आपातकाल में नहीं बल्कि साधारण अवस्था में भी कृषि को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का मुख्य पहलू समझना चाहिए और इस पर यथा-सम्भव अधिक से अधिक श्रम, ध्यान और रुपया लगाना चाहिये। अन्यथा इस देश का भविष्य कुछ नहीं है।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : मेरा एक प्रश्न है। प्रति एकड़ उपज क्यों नहीं बढ़ी है।

†**श्री स० का० पाटिल** : कुछ वक्ताओं ने कहा है कि जो कुछ भी प्रगति हुई है वह अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने से हुई हैं। यहां कई तरह के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। मैं किसी को इसका दोष नहीं देता। स्थिति यह है कि लगभग जितनी धरती उपलब्ध हो सकती है, वह सब की सब कृषि योग्य बना दी गयी है। अब तो कुछ धरती को बनों के लिए रखना होगा। क्योंकि इसके बिना भी कृषि की प्रगति सम्भव नहीं ३५ करोड़ ३७ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि हैं। लगभग ४० से ४५ प्रतिशत तक भूमि को कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। और किसी भी देश में इतनी प्रतिशतता में प्रयोग नहीं होता। इंडोनेशिया का प्रयोग लगभग हमारे जितना ही है, अर्थात् ४० से ४५ प्रतिशत तक। हमें एक बात करनी है वह यह कि प्रति एकड़ उपज २० से ४० प्रतिशत तक बढ़ानी है। और यदि हो सके तो कुछ और अधिक हो जाय। शायद ३०, ४० वर्षों में यह तीन गुणा हो जाय। अमरीका में उत्पादन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि धरती ही नहीं है। अमरीका में चावल का उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ाया गया है। परन्तु हमारे पास तो व्यापक कृषि के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। २८०० लाख एकड़ भूमि में खाद्यान्नों के लिए, तेल बीज ३३४ लाख एकड़ के लिए, १८९ लाख एकड़ रूई के लिए १७·५ लाख टन पटसन के लिए ५८ लाख टन गन्ने के लिए।

अमरीका की अर्थ व्यवस्था में किसान का बड़ा भाग है किसान के दृष्टिकोण को समुचित स्थान देना ही होता है। वहां की व्यवस्था यह है कि जो भी उत्पादन होता है वह अन्ततोगत्वा

†मूल अंग्रेजी में

मंडी में आ जाता है। उसकी बिक्री की अधिक से अधिक कीमत निर्धारित हो जाती है। किसानों को समुचित मूल्य से वंचित नहीं रखा जाता। परन्तु उपभोक्ताओं के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि आज देश की ७० प्रतिशत आबादी कृषि पर ही आश्रित हैं। वे लोग कृषि उत्पादों को खरीदते नहीं। अतः केवल ३० प्रतिशत लोग कृषि उत्पादों को अपने लिए खरीदते हैं। गत जनगणना में यह भी सिद्ध हुआ है कि शहरों में रहने वाली जन संख्या १८ प्रतिशत है। अतः मूल्यों को निर्धारित करते हुए हमें सभी हितों का ध्यान रखना है। इसके लिए नियन्त्रण लगाना पड़े, राशनिंग करना पड़े तथा कुछ और करना पड़े। तो किया जाना चाहिए। हां यदि हिसाब से कुछ कीमत बढ़नी चाहिए और हमारी अर्थ व्यवस्था में उसके सहन की क्षमता हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

मेरा कहना यह है कि किसान को पूरा प्रोत्साहन देने की कोशिश की जाती है। हम जानते हैं कि बिना प्रोत्साहन के किसान काम ही नहीं करेंगे। और हमारी आशा के अनुरूप काम नहीं हो सकेगा। उदाहरण से मैं यह बात और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। यदि किसान को १०० रुपया मिलता है और उसे खर्च करने पड़ते हैं ३०० रुपये तो उसे बात समझ में नहीं आयेगी। ३०० रुपये खर्च पहिले करके ४०० रुपये प्राप्त करने की बात भी भारत का गरीब किसान नहीं समझ सकेगा। अतः हमें उसे समझाना होगा, उसे अधिक कर्जा देना होगा। ४० जिलों में हमने जो सघन कृषि कार्यक्रम की योजना बनाई है। और भी १०० जिलों में कुछ कार्यक्रम है, इन सब का उद्देश्य किसान को यह बताना है कि यदि आप इस तरह करेंगे तो परिणाम यह होगा। हमें किसान को यह बताना होगा कि कृषि उत्पादन से उसे न केवल अपने लिए खाना ही पैदा करना है प्रत्युत जीवन के अन्य साधन भी जुटाने हैं जिससे उसके जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके। कृषि और उद्योग को एक ही स्तर पर रखा जाना चाहिए। अमरीका में जहां करोड़पति उद्योगपति हैं वहां किसान भी करोड़पति हैं। अतः हमें कुछ सन्तोष से काम लेकर इस दिशा में काम करते रहना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि १३ रुपये गेहूं और १४ से १८ रुपये चावल के मूल्य प्रोत्साहन देने वाले नहीं है। यह ठीक है परन्तु इसी लिए तो मैंने इसे कम से कम कीमत कहा है। वैसे उड़ीसा को छोड़ कर जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं लिया है। ठीक ही है कि प्रोत्साहन के बिना किसान उत्साह से काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि अमरीका के साथ अनाज करार के फलस्वरूप बनाये गये 'बफर स्टाक' से हम कठिनाइयों को पूरा करने और मूल्य स्तर बनाये रखने के योग्य हो गये हैं। इससे हमारे में और किसानों में एक प्रकार का विश्वास सा पैदा हो गया है। हमने ७०० लाख टन का स्टाक बना लिया था, इससे कीमतें बिल्कुल ही नहीं बढ़ सकी। इसका ९० प्रतिशत क्षेत्र स्टाक को ही है। गत वर्ष २०० करोड़ रुपये के खाद्यान्न आये थे परन्तु इस वर्ष कम आये हैं। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक उत्पादन करे कम खाये और आत्म निर्भर बनने का प्रयत्न करे। बाहर से कम से कम अनाज आयात किया जाना चाहिए।

भारत में चावल का उत्पादन भी बहुत हुआ है। चीन को छोड़ कर भारत चावल उत्पादन में सब से आगे है। हम ३४० से ३५० लाख टन चावल प्रतिवर्ष पैदा करते हैं। इतनी हमारी चावल की लागत भी है। अतः हम इस मामले में आत्मनिर्भर हैं। गत वर्ष हमने

[श्री स० का० पाटिल]

५ लाख टन चावल बाहर से मंगवाए था । यह लगभग एक प्रतिशत फैलता है । परन्तु प्रश्न यह है कि यदि यह चावल समय पर न आया तो मनोवैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न हो जायेगा और कीमतें बढ़ जायेंगी । फिर भी पूरी आशा है कि हम आने वाले दो तीन वर्षों में चावल का आयात बिल्कुल बन्द कर देंगे और चावल के मामले में आत्मनिर्भर हों जायेंगे । इस प्रकार कृषि के मामले में अपने हालात के मुताबिक हमने कम प्रगति नहीं की है ।

अब मैं गन्ने को ओर आता हूं । श्री किदवई के काल में हमने १४ लाख टन चीनी का आयात किया था । कारण यह कि यहां चीनी काफी नहीं थी । हमें लगभग ३५ करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय का खर्च इस पर करना पड़ा । आज इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा । मैंने इस पद को सम्भालते ही कीमतें बढ़ाईं और सभी वर्गों को प्रोत्साहन दिया । और आज आप यह देख कर गर्व कर सकते हैं कि यहां चीनी की इतनी कमी थी वहां आज हमारे पर काफी चीनी है । चीनी की घाटे की अर्थ व्यवस्था को हर समय के लिए बचत की अर्थ व्यवस्था बदलने के लिए सरकार का कार्य सराहनीय है । हम हर वर्ष पांच लाख टन चीनी का निर्यात करेंगे और इससे विदेशी मुद्रा पैदा करेंगे, जिसकी कि हमें बहुत आवश्यकता है । हमें जो एक हजार अथवा दो हजार करोड़ का विदेशी विनिमय चाहिए वह कृषि उत्पादों को ही बाहर भेज कर प्राप्त होगा । औद्योगिक देशों को हम औद्योगिक चीजें तो भेज नहीं सकते । एक वर्ष पहिले स्थिति जो बिगड़ी थी आज सुधर गयी है । अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य भी २३ पौंड से बढ़ कर ५४ पौंड हो गया है । संसार के देशों में इस वर्ष और गत वर्ष चीनी का उत्पादन भी कम हुआ है । हम चीनी का ५४ पौंड ही प्राप्त करेंगे, परन्तु यह बात हमने सदन में विवाद के समय बता दी थी कि क्यों पाकिस्तान को २३ पौंड पर ही चीनी दी गयी ।

चीनी उद्योग की रक्षा की जाय, इसके लिए गन्ने के मूल्य को उत्पादित चीनी की मात्रा से मिलाना होगा । यदि ऐसा न किया गया तो हानि होने का डर रहेगा । सारे संसार में ऐसा किया जाता है कि चीनी की स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जाय । सरकार इस प्रवृत्ति का पूरा पता लगाने का प्रयत्न करर ही है कि यह प्रवृत्ति क्या है । उसे यह पता करना है कि अगले वर्ष के अन्त तक ३० लाख टन की प्राप्ति के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जाय । इसके अतिरिक्त गन्ने के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों से कहा जा रहा है । यदि उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है, तो उनको यह प्रोत्साहन निश्चित दिया जायेगा । हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उनको पहिले से अधिक सहायता दी जाय ताकि ये चीनी की अपेक्षा गुड़ अधिक बनाये । इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवदन करना चाहता हूं कि देश में कृषि की स्थिति सन्तोषजनक है । आपातकालीन स्थिति आवश्यकता के अनुरूप ही रही है मैं इन शब्दों से अपने मन्त्रालय की मांगों को स्वीकार करने की सदन से सिफारिश करता हूं ।

जंगलों को साफ कर खेती योग्य बनाने का काम भी हम कर रहे हैं । मध्य प्रदेश में यह बात विशेष रूप से चल रही है राजस्थान में भी यह चल रहा है । यह बहुत बड़ा काम, परन्तु इसे हल करने का यत्न किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
४१	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय	६,८६,०००
४२	कृषि	२६,६५,०००
४३	कृषि अनुसन्धान	४३,१०,०००
४४	पशु-पालन	८,०६,०००
४५	वन	८,८८,०००
४६	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,६४,६७,०००
१२७	वनों पर पूंजी परिव्यय	८३,०००
१२८	खाद्यान्नों का क्रय	२६,७३,००,०००
१२९	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	५,४७,६५,०००

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांग संख्या ६५ से ६७ और १३२ पर चर्चा और मतदान होगा जिसके लिये ५ घंटे निर्धारित किये गये हैं।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह १५ मिनट के भीतर कागज पर लिख कर कि वह कौन से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, सभा पटल पर रखवा दें।

वर्ष १९६३–६४ के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
६५	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	१,४६,०००
६६	प्रसारण	४६,८२,०००
६७	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३३,०५,०००
१३२	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	२४,८०,०००

†श्री प्रभात कार (हुगली): सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का कार्य विशेषकर आपातकाल में अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार द्वारा किये गये कार्यों के प्रति जनता को और साथ ही विदेशों को जानकारी उपलब्ध कराती है।

इस मन्त्रालय के अधीन बहुत से विभाग हैं किन्तु मैं इस आपातकाल के सम्बन्ध में आकाशवाणी और प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के कार्यों का ही उल्लेख करूंगा।

गत वर्ष कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी कि समाचार-पत्रों का कार्य कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथों में ही केन्द्रित हो रहा है। माननीय मन्त्री ने इसका यह उत्तर दिया था

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

कि इस विषय में जांच की जा रही है और यदि आवश्यकता हुई तो उचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि समाचार-पत्र परिषद् की स्थापना भी जल्दी ही कर दी जायेगी।

किन्तु १९६३ में यह अनुभव हुआ कि इस बढ़ते हुए केन्द्रीयकरण ने आपात काल में सरकार के कार्य में हानि पहुंचाई और लोगों के उत्साह को कुन्द किया। इसका कारण यह है कि इन समाचार पत्रों के स्वामी कुछ पूंजीपति हैं जो सरकार की नीति का अपनी तरह से निर्वचन करके जनता के सामने रखने के साथ ही यह बताते हैं कि वह सरकार की नीति किस प्रकार की चाहते हैं। गत वर्ष जब यह प्रश्न उठाया गया था तब माननीय मन्त्री ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। यह प्रश्न भी उठाया गया था कि क्या सरकार को समाचार-पत्रों पर नियन्त्रण करना चाहिये और क्या इस नियंत्रण से समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता कुंठित हो जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रेस आयोग ने १९५४ में यह कहा था कि यह आशंका है कि समाचार-पत्र उद्योग का विद्यमान संकेन्द्रण भविष्य में और भी अधिक बढ़ जायेगा और यह चयन स्वातन्त्र्य के हित में नहीं होगा। यह बात १९५४ में कही गई थी अब इस उद्योग का संकेन्द्रण और भी बढ़ गया है।

समाचार-पत्रों पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का नियन्त्रण उनकी स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का प्रभाव डालेगा या नहीं इस विषय में प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि :

> "समाचार-पत्रों के लिये स्वतन्त्रता आवश्यक है; किन्तु इसके साथ ही ज्ञान, दायित्व की भावना आदि भी आवश्यक है। यह कल्पना करना युक्तिसंगत नहीं कि जिसके पास अधिक धन है उसके पास बुद्धि और दायित्व की भावना भी अवश्य होंगी। तथापि दुर्भाग्य से जिसके पास अधिक धन है वही समाचार-पत्रों का स्वामी होता है। कुछ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता नहीं है, वरन् यह उनकी स्वतन्त्रता को समाप्त कर देती है।"

मैं जानना चाहता हूं कि वस्तुतः कौन से कदम उठाये गये हैं। प्रेस मंत्रणा समिति का गठन किया गया है; किन्तु इसके सदस्य पत्रकारिता के विषय में अधिक नहीं जानते। मैंने सुना है कि श्रम-जीवी पत्रकारों ने उसका बहिष्कार कर दिया है।

जैसा कि मैं कह रहा था इस आपातकाल में किये गये प्रचार से इसका बहुत सम्बन्ध है।

सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रकाशित एक पत्र सोशलिस्टि कांग्रेसमेन में, इस आपातकाल में, हिन्दुस्तान टाइम्स का कार्य दिया गया है। आज आप व्यवहार संहिता बनाने की बात कर रहे हैं, किन्तु आपकी मन्त्रणा समिति में एक ऐसे सदस्य हैं जो उस पथ से सम्बन्ध रखते हैं जिसने व्यवहार के सारे नियमों का उल्लंघन किया। इस समय जबकि व्यवहार संहिता बनाई जा रही है सूचना मन्त्रालय को कुछ भिन्न प्रकार से कार्य करना चाहिये था; जो इसने नहीं किया।

मैं केवल यही कहूंगा कि आज समाचार-पत्र पूंजीपतियों के हाथ में हैं। अभी हाल ही में आनन्द बाजार पत्रिका से जो कांग्रेसियों का पत्र है, श्री चपलकांत भट्टाचार्य को जो एक कांग्रेसी, संसद् सदस्य हैं, निकाल दिया गया था। इन पत्रों के स्वामियों की नीति ही यह है कि वह ऐसे सम्पादकों को नहीं रखना चाहते जो उनके कहे अनुसार कार्य न करें।

यहां मन्त्रालय के करने के लिये कार्य उपस्थित होता है। गत वर्ष की इस विषय पर हुई चर्चा से यह प्रतीत होता है कि माननीय मन्त्री ने इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया। उसके परिणामस्वरूप

आज इस आपातकाल में प्रेस के योग के विषय में इतनी चर्चा है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इन पत्रों के स्वामी पूंजीपति हैं जो राष्ट्र की अपेक्षा अपने लाभ को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं।

मैं अब दूसरे विषय, आकाशवाणी के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इसके केन्द्र कम शक्तिशाली हैं और देश के अन्दर भी शीतकाल को छोड़ कर, अधिकतर केन्द्रों के प्रसारण नहीं सुने जा सकते। इसके अतिरिक्त आपातकाल में आकाशवाणी अधिक अच्छा कार्य कर सकती थी। युद्ध आरम्भ होने से पहले तो यह विभाग यह निश्चय ही नहीं कर सकता कि किस प्रकार कार्य करना चाहिये और जब कार्यक्रम निश्चित करके प्रसारण का कार्य आरम्भ हुआ तब युद्ध विराम होने के बाद स्थिति में परिवर्तन हो चुका था। किन्तु वह इन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को जल्द ही नहीं ढाल सके और वही पुराना कार्यक्रम चालू रखा। फलस्वरूप समाचार-पत्रों में कई पत्र इस आशय के प्रकाशित हुये कि आकाशवाणी अपना कार्य करने में असफल हुई है।

आकाशवाणी द्वारा जो कवितायें और नाटक आदि प्रसारित किये जाते हैं उनमें भी कला अथवा साहित्य का भावना का अभाव होता है। बंगाली में जो प्रतिदिन नैवेद्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है यह कभी कभी हास्यास्पद होता है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि यदि यह कार्य विचारपूर्वक किया जाये तो कार्यक्रम अधिक अच्छे प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आकाशवाणी की विदेशी सेवाओं के बारे में हमें आवश्यकता है स्थिति की वास्तविकता को और इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने की। वृत्तचित्र और पुनरावृत्ति की भी आवश्यकता है। चीन ने अपनी दुर्बल स्थिति का रेडियो पर जोर शोर से प्रचार किया किन्तु हम अपनी मजबूत स्थिति को शक्तिशाली रूप में दुनिया के सामने नहीं रख सके।

लोक-सभा की कार्यवाहियों को प्रसारित करते समय भी अनुचित बातों पर जोर दिया जाता है।

कुछ दिनों पूर्व प्रो० हीरेन मुकर्जी का भाषण रिकोर्ड किया गया था और यह घोषणा कर दी गयी थी कि स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण के बाद ही उनका भाषण सुनाया जायेगा। किन्तु रिकार्ड करने और घोषणा करने के बाद भी वह भाषण नहीं सुनवाया गया और न ही इसका स्पष्टीकरण किया गया कि ऐसा क्यों किया गया था।

श्री नम्बियार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि मद्रास राज्य में ४७ व्यक्तियों को रेडियो पर बोलने के लिये बुलाया गया था, जिनमें ६ द्रा० मु० क० के और २ कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरे दलों के थे। जो दल संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है उसके सदस्यों को रेडियो पर बोलने का अवसर मिल जाता है किन्तु हमारे दल के सदस्यों को नहीं मिलता।

"नाइन आवर्स टु राम" फिल्म बनाने के संबंध में इस देश के फिल्म निर्माताओं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय आदि को पूरी सुविधायें दी थीं। अब फिल्म पूर्ण हो जाने पर उसके भारत में प्रदर्शित किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय से केवल यही आशा करते हैं कि वह अपना उत्तरदायित्व समझे और उदार दृष्टिकोण अपनाये। क्योंकि आज की स्थिति में इसी के माध्यम से लोगों को सरकार की कार्यवाहियां आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : गत संसद् के अन्त में अनुमान लगाने पर पता चला था कि १०० से अधिक सदस्य अपनी पांच वर्ष की कुल अवधि में वाद-विवाद में भाग नहीं ले सके थे। इसका समाचार-पत्रों में एक यह कारण बताया गया था कि कुछ अंग्रेजी अथवा हिन्दी में नहीं बोल सकते थे। दूसरा

---

†मूल अँग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

कारण यह बताया गया था कि उन्हें अवसर नहीं दिया गया था और यह दोषारोप अध्यक्ष के ऊपर था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यदि किसी को भाषा संबंधी कोई कठिनाई है वह मुझसे कहें। मैं उन्हें उनकी मातृ भाषा में बोलने की सुविधा देने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा।

अवसर न मिलने के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे पूर्व सूचना मिल जानी चाहिये। मैं हर वाद-विवाद में हर एक दल के सदस्य को, विशेषतया निर्दलीय सदस्यों को, अवसर नहीं दे सकता। जिन्होंने अभी तक किसी वाद-विवाद में भाग नहीं लिया है वह भी मेरे पास नाम भेज दें। किन्तु वह यदि चुप रहें और फिर मुझ पर आरोप लगाया गया तो यह अनुचित होगा।

मैं यह नहीं चाहता कि वाद-विवाद का स्तर गिर जाये। मैं किसी सदस्य पर कोई आरोप नहीं करता। जहां तक मेरा संबंध है सब महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिये वाद-विवाद के स्तर को ध्यान में रखते हुये मैं उन सदस्यों को अवसर दूंगा जो अभी तक नहीं बोले हैं। एक बात और है। आज एक माननीय सदस्य मेरे पास आये थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और सीधा यह कहने लगे कि मैं आपको सलाम करने आया हूं जिससे मुझे भी बोलने का अवसर मिल सके। मैं सब सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इसके लिये मेरे पास न आयें। वह मुझे लिख कर भेज सकते हैं। यदि कोई सदस्य अवसर प्राप्त करने के लिये ऐसा करते हैं तो मुझे बड़ा रोष उत्पन्न होगा। वह मुझे लिख सकते हैं और मैं जहां तक मेरे वश की बात है मैं उस पर कार्य करूंगा। कभी-कभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी भी कठिनाइयां हैं। मैं यथासंभव अधिक सदस्यों को अवसर देने की चेष्टा करूंगा। किन्तु यदि मुझ से गलतियां हो जायें तो कभी कभी सदस्यों को कठिनाई का सामना करना होगा, क्योंकि उन्हें मेरा साथ तो देना ही है। किन्तु कोई माननीय सदस्य इस कारण मेरे पास नहीं आये कि उसे बोलने का अवसर मिलेगा। बल्कि यह कार्य उसके खिलाफ भी जा सकता है।

†श्री राने (बुलडाना): यदि १० मिनट की सीमा निर्धारित कर दी जाये तो अधिक अच्छा होगा।

†अध्यक्ष महोदय: विरोधी दल के सदस्यों के संबंध में मैं कोई समय सीमा निश्चित नहीं कर सकता क्योंकि उनका समय निर्धारित है। कांग्रेस के अधिक सदस्यों को बोलना है। इसलिये मैं उनके लिये १० मिनट की सीमा ही रखूंगा।

†श्री यशपाल सिंह (कैराना): गत संसद् में आचार्य कृपालानी को लिखा हुआ भाषण पढ़ने की आज्ञा दी गई थी।

†अध्यक्ष महोदय: मैंने भी कुछ सदस्यों को अपना भाषण पढ़ कर सुनाने की आज्ञा दी है। किन्तु अब के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक सदस्य अपना भाषण बिना पढ़े ही देंगे। हां, कभी कभी वह टिप्पणियां देख सकते हैं।

†श्री यशपाल सिंह: आचार्य कृपालानी सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे।

†अध्यक्ष महोदय: संभवतः हमने उन्हें अधिक छूट दे दी थी। किन्तु हम उस कारण से श्री ठाकुर साहब या अन्य किसी सदस्य के साथ वैसा नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मौर्य (अलीगढ़): मैं एक जानकारी चाहूंगा। पिछले एक वर्ष से मैं यह देख रहा हूं कि पर्ची लिख कर आपकी सेवा में दे दी जाती है, लेकिन जो बोलना चाहता है उसको यह नहीं मालूम होता कि उसको बोलने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो किस समय मिलेगा। वह दिन भर इस सदन में बैठा इन्तिजार करता रहता है। तो मैं यह चाहता हूं कि उसको पता चल जाये कि उसको बोलने का मौका मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो किस टाइम पर मिलेगा, तीन बजे, चार बजे, या पांच बजे, ताकि आसानी हो जाये।

अध्यक्ष महोदय: यह तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये दोनों बातें मेरे लिये मुश्किल हैं। न तो मैं यह कह सकता हूं कि मौका मिल जायेगा और न यह कह सकता हूं कि फलां वक्त मिलेगा। यह तकलीफ आप भी महसूस करते अगर आप यहां बैठते। तो इससे तो मैं माफी चाहूंगा। मुझे से पूछा जाये तो शायद मैं कभी बता सकूं कि किस वक्त मौका मिलेगा लेकिन इस पर पाबन्दी नहीं लगायी जानी चाहिये क्योंकि यह बताना मुश्किल होगा।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द): मांग संख्या ६६ और ६७ के लिये मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ६, ८, ९ और ११ हैं। आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों जैसे कोहिमा और गौहाटी, श्री नगर आदि में नये केन्द्र खोल दिये हैं। गुजरात राज्य की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि राजकोट में केवल कम शक्तिशाली एक ही केन्द्र है। दूसरा केन्द्र अहमदाबाद-बड़ौदा का है। यह केन्द्र भी अधिक शक्तिशाली नहीं है। इस कारण सूरत के दक्षिण वाले प्रदेशों तक इसकी आवाज

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नहीं पहुंच पाती। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाये।

गुजरात के लोगों के पास कुल देश के रेडियो लाइसेंसों के एक तिहाई लाइसेंस हैं। रेडियो लाइसेंसों से कुल आय ४.५० करोड़ रुपया है। अतः गुजराती भाषी लोग १.५० करोड़ रुपये देते हैं। और गुजरात केन्द्र पर अधिकतम खर्च लगभग १५ लाख रुपये होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुजरात रेडियो लाइसेंस के रूप में जितना राजस्व देता है उसका १० प्रतिशत ही वहां खर्च किया जाता है। बहुत से राज्यों में रेडियो केन्द्र खोलने में वहां की आय से अधिक खर्च करना पड़ता है। इसके उपरांत भी गुजरात पर कम ध्यान दिया जाता है।

गुजराती-भाषी दक्षिण और पूर्व अफ्रीका, अरब और ईरान में भी रहते हैं। सिंगापुर और अन्य देशों में भी कुछ व्यापारी रहते हैं। उनकी गुजराती कार्यक्रम सुनने की प्रबल इच्छा होती है। अतः अहमदाबाद अथवा बड़ौदा में एक शक्तिशाली केन्द्र बनाने के लिये एक मजबूत आधार है। बड़ौदा में, जो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में ६० प्रतिशत योग देता है, पृथक् केन्द्र और पृथक् "चैनल" होने चाहियें।

अहमदाबाद में ५० किलोवाट का केन्द्र है। इतनी शक्ति का केन्द्र गुजरात में और कहीं नहीं; जबकि महाराष्ट्र राज्य में ५ केन्द्र हैं। बम्बई में १०० किलोवाट के २ केन्द्र हैं। गोआ, पूना और धारवाड़ में ५०–५० किलोवाट के एक-एक केन्द्र हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में कुल ४५० किलोवाट के केन्द्र हैं। यह सच है कि गुजरात की जनसंख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या की आधी ही है; किन्तु गुजरात में अहमदाबाद में ५० किलोवाट का और राजकोट में १ किलोवाट का एक-एक केन्द्र है। राजकोट में २० किलोवाट का केन्द्र बनाने का विचार है। उसके पश्चात् भी गुजरात के केन्द्रों के कुल किलोवाट ७० ही होंगे जबकि वहां २०० से २२५ किलोवाट के केन्द्र होने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नेरन्द्र सिंह महीडा]

इसलिये बड़ौदा में एक पृथक "चैनक्" और केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये। और दक्षिण गुजरात और कच्छ में एक-एक ५०-५० किलोवाट के केन्द्र खोल दिये जाने चाहियें। कच्छ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सीमा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसकी एक अपनी विशिष्ट भाषा है।

राजकोट में २० किलोवाट के केन्द्र के स्थान पर ५० किलोवाट का एक केन्द्र बना दिया जाना चाहिये।

यह कहा जा सकता है कि आपातकाल में मंत्रालय के प्रचार और फिल्म विभाग ने ठीक कार्य नहीं किया जबकि प्रसारण विभाग ने सराहनीय कार्य किया है।

दिल्ली में २५० किलोवाट का केन्द्र है जोकि भारत में सबसे बड़ा है। किन्तु मास्को और बी० बी० सी० के एक एक हजार किलोवाट के केन्द्रों की तुलना में यह कहा जा सकता है कि हमारा प्रचार कार्य अपर्याप्त है। मैंने सुना है कि बी० ओ० ए० ने कुछ शर्तों पर अन्डमान के लिये एक १००० किलोवाट का पोरषक देने के लिये कहा है। अगर शर्तें उचित हों तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। सुना है चीन ने सीमांत के पास चल पोरषक रखे हुये हैं। यह बहुत हानिकारक है।

जहां तक आकाशवाणी के संगीत का प्रश्न है मैं यह कहना चाहता हूं कि मात्रा के स्थान पर गुणों का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिये। आकाशवाणी के संगीत में हारमोनियम भी लेने का विचार है। यह ठीक नहीं है क्योंकि इससे भारतीय संगीत को हानि पहुंचेगी।

आकाशवाणी में सुधार की आवश्यकता है और मैं समझता हूं माननीय मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे। हम बी० बी० सी० और रेडियो सीलोन का अनुकरण कर सकते हैं। यह दोनों ही सफल हुये हैं।

मैं आकाशवाणी और फिल्म विभाग पर राज्य के एकाधिपत्य के भी पक्ष में नहीं हूं। यह अवांछनीय है। प्रधान मंत्री भी इस एकाधिकार के पक्ष में नहीं हैं। यह प्रजातंत्र के विरुद्ध है। इस के द्वारा विरोधी दलों का प्रचार नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल को अधिक सुविधायें उपलब्ध हैं। सरकारी विज्ञापन भी उन्हीं समाचार-पत्रों को दिये जाने चाहिये जिनका व्यापारिक मूल्य अधिक है न कि दलीय आधार पर।

इस आपात काल में मंत्रालय ने आशानुकूल कार्य नहीं किया। गत सत्र में मैंने केन्द्रीय हाल में एक फिल्म देखी थी और मैं कह सकता हूं कि वह अप्रभावोत्पादक थी। फिल्में ऐसी होनी चाहियें जिस से हमें युद्ध करने की प्रेरणा मिले।

फिल्म विभाग बच्चों के लिये भी फिल्म तैयार कर रहा है। यह सराहनीय है। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इस ओर विशेष ध्यान दे, क्योंकि हर राष्ट्र में बच्चों का विकास एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। आजकल बच्चे ऐसी फिल्में देखते हैं जो उन की यौन विषयक भावनाओं को जाग्रत करती हैं। इसका हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के फिल्म निर्माता उसे नियंत्रित रूप में ही चित्रित करते हैं।

फिल्म सेंसर समिति के लिये ऐसे सदस्य चुने जाने चाहियें जो योग्य हों और फिल्मों के सम्बन्ध में अपनी राय दे सकें। मैं नहीं समझता कि मंत्रालय ने 'नाइन आवर्स टु रामा' जैसी फिल्म कैसे बनने दी। जो हमारे राष्ट्रपिता के लिये असम्मान सूचक है।

मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय मेरे सुझावों पर ध्यान देगा जिस से अच्छी फिल्में बनायी जा सकें।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने मुझे इस मंत्रालय की खर्च की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं इस मंत्रालय का ध्यान कई बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। लेकिन सब से पहले मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि युद्धकालीन परिस्थिति के समय पर आकाशवाणी ने जो काम किया है, वह सराहनीय है। यद्यपि आकाशवाणी के पास कोई भी आदेश शीघ्रता से नहीं पहुंच पाए, फिर भी उसने इस काम को फुर्ती से चलाया और देश भर में एक ऐसे वातावरण का सृजन किया कि लोग लड़ाई की स्थिति को समझ सकें। आकाशवाणी के विभिन्न विभागों में सभी काम इस संकट को ध्यान में रख कर होने लगा, यह बात आकाशवाणी द्वारा कर्त्तव्य पालन की दिशा में उस के पक्ष में है। इस दिशा में जो शिकायत की बात है वह यह है कि आकाशवाणी में भी अंग्रेजी के लेखकों को अधिक महत्व दिया गया और दूसरी भारतीय भाषाओं के लेखकों को कम। वहां पर जितना काम किया जाता है वह अंग्रेजी से अनुवाद करा कर किया जाता है। इसलिये भारतीय भाषाओं की जो चीजें होती हैं वे प्राकृतिक नहीं होती और वे जनता तक सही अर्थों में पहुंचती नहीं हैं। मेरा निवेदन यह है कि भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोग इस देश में ९८ प्रतिशत हैं तथा अंग्रेजी जानने वाले केवल २ प्रतिशत। इस लिये पदों पर जो लोग रक्खे जायें वे इस बात को देख कर रक्खे जायें कि उन की पहुंच भारतीय भाषाओं के नागरिकों के पास तक होती हैं, जिन के लिये कि हमारे रेडियो स्टेशन बने हैं। रेडियो स्टेशन अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिये भी हैं, मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि शायद विदेशों में भी लोग इस को सुनते होंगे, मगर अधिक महत्व भारतीय भाषाओं को दिया जाय तो अच्छा होगा। मेरा मतलव केवल हिन्दी से ही नहीं है, भारत की सभी भाषाओ से है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आकाशवाणी के जितने महत्व के पद हैं उन पर अंग्रेजी जानने वालों की प्रधानता रहती है, हिन्दी और भारतीय भाषाओं के काम करने वालों को गौण पद पर रक्खा गया है। यानी उन को ऊंचे पदों पर नहीं रक्खा गया है, चाहेवह ड्रामा डिवीजन हो, चाहेसमाचार विभाग हो या सूचना कार्यालय हो, चाहेफिल्म डिवीजन हो और चाहेजो सरकारी पत्रिकायें निकलती हैं उन में हो। उदाहरण के लिये मैं कहूंगा कि सूचना मंत्रालय की तरफ से एक अखवार "योजना" निकलता है। वह अंग्रेजी में भी निकलता है और हिन्दी में भी निकलता है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन अंग्रेजी के सम्पादक को चीफ एडीटर कहा जाता है। उस का वेतन भी हिन्दी वाले से ज्यादा है। हिन्दी का जो "योजना" अखबार निकलता है उस को सरकार ने निम्न श्रेणी में रक्खा है। उस का वेतन भी कम है जब कि हिन्दी में काम दोहरा होता है और अंग्रेजी योजना से हिन्दी योजना का (सरक्यूलेशन) प्रसार कई गुना अधिक है। हिन्दी योजना अंग्रेजी से अनुवाद कर के और अधिक परिश्रम से तैयार की जाती है। मेरा किसी विशेष से मतलव नहीं है। इसी प्रकार से जो समाचार विभाग के संपादक जन हैं वे अंग्रेजी में भी होते हैं। और हिन्दी में भी होते हैं लेकिन अंग्रेजी वालों को प्रधानता दी जाती है, उन को वेतन ज्यादा दिया जाता है और उन को सहायता के लिये कर्मचारी आदि भी ज्यादा दिये जाते हैं। इसी प्रकार से पत्र सूचना कार्यालय है, जिस को प्रेस इन्फार्मेशन व्यूरो कहा जाता है। उस प्रेस इन्फार्मेशन व्यूरो में भी हाल यह है कि अंग्रेजी के बहुत से लोग अफसर हैं लेकिन उन में कुशाग्र (इनीशिएटिव) नहीं है। उन में जनता के अनुकूल काम करने का माद्दा नहीं है। वे पुराने समय की रट में पड़े हुए हैं। वे वर्तमान समय की परिस्थितियों से प्रायः परिचित नहीं हैं और केवल पद विभूषित करने के लिये कृपा पात्रता के आधार पर उनको रक्खा जाता है क्यों कि उन का काम इस दिशा में विशेष है ही नहीं। ९८ प्रतिशत हमारे देश की जनता है इसलिये हमको हर एक भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञों को प्रधान पदों पर रखना चाहिये और उनको ही ऊंचे-ऊंचे पदों पर रखना चाहिये यदि यह नहीं तो कम से कम समानता

[श्री म० ला० द्विवेदी]

में रखना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि अंग्रेजी या तो प्रधान हो और उस के मातहत हिन्दीवाला और तामिल वाला हो, चाहे वह कितना भी योग्य हो और अंग्रेजी वाला प्रधान तमिल जानता भी न हो। उदाहरण के लिये जो अंग्रेजी का योजना समाचार है उस के सम्पादक हिन्दी नहीं जानते लेकिन वह हैं हिन्दी "योजना" के भी सम्पादक। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार से जो प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के लोग अंग्रेजी का काम करते हैं वे हिन्दी नहीं जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाला ही हिन्दी का डाइरेक्टर और न्यूज एडिटर समझा जाता है जब कि वह हिन्दी का काम बिल्कुल नहीं जानता और न कर सकता है इस प्रकार का जो भेद भाव बरता जा रहा है आकाशवाणी में और पत्र सूचना कार्यालय में यह बड़ी गलत चीज है। अगर मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे तो देश का बहुत कल्याण करेंगे और योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

मैं कहूंगा कि पिछले दिनों में भारत जिस अपातकालीन स्थिति में से गुजरा है उसमें आकाशवाणी ने जो काम किया है मैं ने उस की सराहना की है। परन्तु यदि हम दूसरे विभागों को देखें, जैसे कि फिल्म्स डिवीजन है, उस ने अब तक चीन के विरूद्ध हमारे भारतीयों ने जो मोर्चा सम्भाला है और जो बहादुरी के कारनामे किये उस के लिये कोई भी पुस्तक आज तक नहीं निकाली।

श्री अन्सार हरवानी: फिल्म्स डिवीजन पुस्तकें नहीं निकालता।

श्री म० ला द्विवेदी: मेरा मतलब पब्लिकेशन्स डिवीजन से है। आई ऐम सारी। उस ने अभी तक कोई चीन विरोधी साहित्य की कोई बड़ी किताब नहीं निकाली है। आकाशवाणी ने जो काम अब तक किया है अगर उस का संकलन कर के ही वह देश के सामने पहुंचा देता तो बहुत बड़ा काम हो जाता। लेकिन इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। केवल सरकार के कुछ पत्र पत्रिकायें आदि छापने का जो काम होता है वही रुटीन से चला जाता है। उस के दिमाग में देश की आपात स्थिति का कोई नक्शा नहीं है। जिस तरह से चीन ने युद्ध के बारे में फिल्म्स भी तैयार किये, देश विदेश में नक्शे भी रक्खे उस तरह से हमारे देश में कोई वास्तविक वृत्त चित्र भी ऐसा तैयार नहीं कर पाया ताकि यह फिल्म्स डिवीजन जो कि भारतीय जनता के सामने परिचय रूप पहुंच सकता। यह चन्द मिनट की फिल्में जो फिल्म्स डिवीजन ने इमर्जेन्सी के समय में देश के सम्मुख प्रस्तुत की हैं, वे नगण्य है।

मैं आप को याद दिलाऊंगा कि अंग्रेजी के फीचर राइटर्स रक्खे जाते हैं। पत्र सूचना कार्यालय में और आल इंडिया रेडियो में भी बहुत से विशेषज्ञ इस काम के लिये रक्खे गये हैं। इस के अलावा फीचर राइटर्स स्थान स्थान पर भेजे जाते हैं जो कि आंखों देखा हाल अर्थगम करके लेख आदि लिखा करते हैं। लेकिन यह सुविधा केवल अंग्रेजी वालों को ही दी जाती है। भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञों को, पत्रकारों या जर्नलिस्टों को यह सुविधा नहीं दी जाती है कि वे हिन्दुस्तान में जा कर भारतीय भाषाओं में लेख आदि का प्रकाशन करें या योजना का प्रचार करें। रेलवे की तरफ से भी उनको वह सुविधा नहीं दी जाती जो अंग्रेजी वालों को दी जाती है। सुविधायें न रेलवे द्वारा दी जाती है और न भारत सरकार के दूसरे विभागों के द्वारा। जब वे अपने खर्चे से तीसरे दर्जे में जाना चाहते हैं तब भी उन को साधारण सुविधा भी नहीं मिलती। मैं नहीं जानता कि इस का क्या कारण है। मैं चाहता हूं कि इस दशा में सुधार हो और जनता के पास पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं उन को कुछ प्रोत्साहन मिले ताकि जनता भारत सरकार की नीतियों को समझ सकें।

जहां तक विदेशों में प्रचार का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि सूचना मंत्रालय के पास विदेशों में प्रचार का कार्य है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी: लेकिन आकाशवाणी का सम्बन्ध तो उस से है । आकाशवाणी के द्वारा विदेशों में प्रचार किया जाता है । हम ने सुना है कि चीन ने अकेले तिब्बत में सात ट्रांस्मिटर्स लगा रक्खे हैं । भारत सरकार की ओर से शायद एक ट्रांस्मिटर कोहिमा के पास लगाया जा रहा है । और वह कितना शक्तिशाली है यह मैं नहीं जानता । मैं नहीं समझता कि युद्ध की स्थिति का सामना करने के लिये खाली अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है । खाली शस्त्रास्त्रों से लड़ाई चल सकती है ऐसा बात नहीं है । इस युग में लड़ाई के प्रचार की बहुत जरूरत होती है । भारत का पक्ष सही है और हमारे साथ सारा संसार है लेकिन भारत के बाहर के लोगों में हम आकाशवाणी के द्वारा या दूसरे प्रसारण साधनों के द्वारा ज्यादा प्रचार कर सकते हैं ताकि हमारी बात लोग समझ सकें । इस के विपरीत चीन ने जो प्रचार किया है वह सब को मालूम है और हम लोगों को उल्टी बातें सुननी पड़ रही हैं और मुंह की खानी पड़ रही है । इस लिये आवश्यक है कि आकाशवाणी के लिये जो ट्रांस्मिटर्स की आवश्यकता हैं उन का भी प्रबन्ध किया जाये । जिस प्रकार से विदेशों से शस्त्रास्त्र खरीदनें के लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता है उसी तरह से ट्रांस्मिटर्स के लिये विनिमय देना भी भारत सरकार का कर्तव्य है । अगर ट्रांस्मिटर्स के लिये विनिमय मिले तो हम तमाम देशों में, खास कर एशिया और अफ्रीका के देशों में अपना प्रचार कर सकते हैं और सही बात लोगों को बतला सकते हैं क्योंकि हमारी बात सच्ची और सही है । आक्रामक गलत प्रचार कर के हमारे मित्रों के ऊपर भी उल्टा प्रभाव डाले और हमारे पास सही बात कहने के साधन न हों तो यह हमारी बड़ी भारी कमजोरी है । मैं नहीं मानता कि हमारे प्रधान मंत्री यह कहेंगे कि हम इसके लिये विनिमय नहीं दे सकते या प्रतिरक्षा मंत्री इस तरह से कहेंगे कि हम नहीं दे सकते क्योंकि रेडियो का काम गौण है ।

हमारा देश हर दिशा में पिछड़ा हुआ रहा है । आप जाइये टोकियो में वहां पर टेलिविजन का एक जाल बिछा हुआ है । एक मामूली से देश थाईलेंड में भी चले जाइये, इसी तरह से मिस्र है वहां भी टेलिविजन लगा हुआ है । लेकिन भारत में शायद मुश्किल से बम्बई में टेलिविजन लग जाय और वह भी केवल नाम मात्र का है ।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि नहीं है । संसार की दौड़ में हम दूसरी दिशाओं में प्रगति कर रहे हैं, हम बांध बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन संसार की दृष्टि में हम पिछड़े बने रहें यह स्थिति ठीक नहीं है । इसलिये आज कल प्रचार की बड़ी आवश्यकता है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है । उनको बहादुरी के साथ मंत्रिमंडल में अपनी बात को कहना चाहिये । अगर हमारे समर्थन की आवश्यकता उनको पड़े तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा सदन उन को समर्थन देगा । मंत्री महोदय को अपने कार्य के लिये जितने भी धन की आवश्यकता होगी उस के लिये उन को समर्थन मिलेगा और संसद सदस्य उन की पूरी मदद करेंगे, चाहे वे विरोधी दल के हों या कांग्रेस दल के ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो लेखक या कलाकार आकाशवाणी में रक्खे जाते हैं उनके बारे में आज कल कोई व्यवस्था प्राविडेंड फंड की नहीं है । न ग्रेचुइटी की है न पेंशन की । इन बातों के अतिरिक्त उनको बीमारी की छुट्टी तक नहीं मिलती है । वे लोग ठेके पर रक्खे जाते हैं । आकाशवाणी का बड़ा क्लास

[श्री म० ला० द्विवेदी]

का क्लार्क गजेटेड अफसर बना दिया गया है लेकिन जो देश के ऊंचे से ऊंचे कलाकार हैं उन के लिये कोई आदर नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। एक कलाकार का मेरे सामने जिक्र आया, मैं उस का नाम नहीं लेना चाहता, जब वह मरा तो उस के पास कफन के लिये कपड़ा भी नहीं था। अगर कोई फैक्ट्री में काम करता हो तो फैक्ट्री ऐक्ट के मुताबिक उस को प्राविडेंट फंड मिलेगा, लेकिन आल इंडिया रेडियो की सोलह सत्रह साल सेवा करने के बाद न छुट्टी मिलती है और न ग्रेचुइटी मिलती है। अब समय आ गया है कि हमारे मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री बड़े : उन की हाउसिंग प्राब्लेम भी बड़ी कठिन है।

श्री मा० ला० द्विवेदी: हां, आवास की समस्या भी है। हमारे मंत्री महोदय बड़े विवेकशील हैं और वर्तमान स्थिति को समझते हैं। मैं समझता हूं कि वे इस के लिये उचित कदम उठायेंगे और हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय भाषाओं के लोगों को तरक्की दी जायेगी और उन के लिये जो पद रक्खे जायेंगे यदि वें अंग्रेजी से ऊंचे न समझे जायेंगे तो कम से कम बराबर समझे जायेंगे। अब वक्त आ गया है कि हमको अंग्रेजी को सखी भाषा बनाना है। हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी एकदम बन्द हो जाये। हमें अंग्रेजी भी सीखनी है ताकि हम विदेशों की बातों को समझ सकें। लेकिन यह ठीक नहीं है कि जो विदेशों के लिये हमारे यहां से जो प्रसारण होता है उसको हमारे आकाशवाणी अधिकारी न जान पायें कि प्रचारक हमारे पक्ष में प्रचार कर रहा है या विपक्ष में। मेरा सुझाव है कि अधिकारियों को चीनी, रूसी, जापानी आदि भाषायें जाननी चाहियें जिससे कि वह जान सकें कि प्रसारणकर्ता हमको धोखा तो नहीं देते हैं। मेरा निवेदन है कि जो नीति चल रही है उसमें विवेक की आवश्यकता है। अधिकारियों से दबने की आवश्यकता नहीं है। आज रेडियो ऐसे लोगों के मनोरंजन मात्र का साधन नहीं है जो कि रंगरेलियां मनाना चाहते हैं। आज हमको इसे युद्ध स्तर पर लाकर उससे काम लेना है। जो मनोरंजन का साधन समझा जाता है, आज हमको उससे युद्ध के मोर्चे का काम लेना है। और आकाशवाणी कार्यालय, पबलिकेशन डिवीजन, पत्र सूचना कार्यालय और आकाशवाणी के समाचार विभाग को वर्तमान परिस्थिति के महत्व को समझते हुये यह दिखा देना चाहिये कि वे किसी से पीछे नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को और आकाशवाणी के सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
१	१	श्री इ० च० सौय	आदि वासी लोगों संबंधी कार्यक्रमों को दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से प्रसारित करने में असफलता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२	२	श्री कोया . .	आकाशवाणी के कालीकट स्टेशन को एक स्वतंत्र एकक बनाने और मालाबार–कासेरगोड़ क्षेत्रों की लोक कथाओं को अधिक स्थान देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३	३	श्री राम सेवक यादव	राष्ट्रीय एकता के लिये वैज्ञानिक आधार पर प्रचार न किया जाना ।	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय ।
४	४	श्री सेझियान .	अखबारी कागज उद्योग में एकाधिपत्य को रोकने, और चलचित्र थियेटर्ज के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ; और विरोधी राजनीतिक दलों की खबरों को देने में असफलता ।	१०० रुपये
५	५	श्री राम सेवक यादव .	मंत्रालय में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
६	६	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	भारत-चीन सीमा-विवाद के बारे में भारतीय पक्ष का प्रचार करने में, तथा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण का प्रचार करने में, आकाशवाणी की असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
७	७	श्री सेझियान	तामिल प्रसारणों में "आकाशवाणी" के स्थान पर "वनौली" नाम को रखने, सभी राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन स्थापित करने, अहिन्दी कार्यक्रमों के लिये अधिक समय आवंटित करने, और नौजवान कलाकारों को अधिक पारिश्रमिक देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८	८	श्री नरेंद्रसिंह महीड़ा	महत्वपूर्ण स्टेशनों से आदिवासी कार्यक्रमों को प्रसारित करने, और अधिक स्टेशन स्थापित करने में असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९	९	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षा देने और एकता लाने के लिये चलचित्र विभाग द्वारा अच्छी फिल्में बनाने और नोल चलचित्र संस्था द्वारा बच्चों के लिये उचित फिल्में बनाने, आदि में असफलता।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।
१०	१०	श्री सेझियान	छोटे समाचार पत्रों में प्रोत्साहन के लिये किश्तों के आधार पर मुद्रणालयों के दिये जाने, विज्ञापन देने में भेदभाव का परिहार करने, छोटे समाचार पत्रों को समुचित और समय पर अखबारी कागज के सम्भरण को सुनिश्चित करने, आदि की आवश्यकता।	१०० रुपये
११	११	श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा हाल के चीनी आक्रमण के परिणामों आदि का जनता में प्रचार करने, और चलचित्र बनाने वालों को उच्च स्तर के और शिक्षा के प्रयोजनार्थ चलचित्र तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देने में असफलता।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष है।

†**श्री अंसार हरवानी** : (बिसौली) : यह मन्त्रालय मेरी दृष्टि में सर्वोच्च महत्व का है। इसको एक ओर भारतीय जनता तक स्वतन्त्रता के जोश को पहुंचाना होता है, और दूसरी ओर जनता की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाना होता है।

जब से डा० गोपाल रेड्डी ने इस मन्त्रालय का भार सम्भाला है तब से इस मन्त्रालय के विभिन्न संगठनों में काफी सुधार हुआ है जिसके लिये मैं उनको मुबारकवाद पेश करता हूं।

जिस प्रकार आज देश को चीनी आक्रमण का खतरा है उसी प्रकार प्रेस में एकाधिपत्य का भी खतरा है। इस बात का अनुभव हमें संकटकाल में हुआ है। हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय लोकतन्त्र, भारतीय संसदीय लोकतन्त्र प्रेस के हाथों में एक खिलवाड़ बना रहा है। हिन्दुस्तान टांईम्ज और इण्डियन एक्सप्रैस द्वारा जिस दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया वह शर्मनाक है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, स्पीकर साहब का यह रूलिंग है कि अखबारों का नाम न लिया जाय। फिर यह क्यों खास अखबारों के नाम ले रहे हैं।

†**मूल अंग्रेजी में**

†श्री अंसार हरवानी : इंडियन एक्सप्रेस ने एक सैनिक की पत्नी का लिखा हुआ झूठा पत्र प्रकाशित किया था जिसका अभिप्राय हमारी सेना के नैतिक स्तर को गिराना था । संसदीय लोकतन्त्र में प्रेस को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना शायद सम्भव नहीं है परन्तु मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह प्रैस में एकाधिपत्य को समाप्त करने की दृष्टि से उचित पग अवश्य उठायें । नारियल जटा, रूई, कोयला आदि में समाचारपत्रों के स्वामियों के हित हैं । ऐसे उपबन्ध करने चाहिएं जिन से यह अनुचित लाभ न उठा सकें ।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं आपके ध्यान में लाऊंगा । इतने बड़े विशाल देश में प्रैस का एक ही अधिकरण है : प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया । मैं समझता हूं कि इस ट्रस्ट द्वारा अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है । स्वतन्त्र दल के नेता के लेख 'स्वराज्य' में छपते हैं परन्तु प्रैस ट्रस्ट इन लेखों को पहले से ही लेकर अन्य समाचारपत्रों को भेज देता है, और इन लेखों को महता उतनी ही बढ़ गई है जितनी कि महात्मा गांधी के लेखों की किसी समय हुआ करती थी । इसलिये मेरा सुझाव है कि एक अन्य ट्रस्ट स्थापित करके वर्तमान ट्रस्ट के आधिपत्य को समाप्त किया जाय ।

इसके साथ-साथ आकाशवाणी के कार्यक्रमों में लाये गये सुधारों के लिये मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। 'विविध भारती' कार्यक्रम से हल्के संगीत को फिर से चालू करने से, और साधारण भाषा के प्रयोग से आकाशवाणी अधिक लोकप्रिय हो रही है । इसके साथ ही मैं सुझाव दूंगा कि उर्दू मजलिस कार्यक्रम के लिये कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिए ?

ऑडियो-विजुअल प्रचार विभाग द्वारा संकटकाल में बहुत सी पुस्तिकायें, आदि निकाली गईं, परन्तु इनके वितरण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जनता का पैसा बर्बाद न हो ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के मन्त्रालयों को एक परिपत्र भेजा गया है जिसमें अखबारी कागज की कमी के कारण विज्ञापनों को कम करने के लिये कहा गया है । परन्तु मेरा अनुरोध है कि छोटे समाचार-पत्रों वाले इन्हीं विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं, इसलिये इस परिपत्र से केवल छोटे-छोटे समाचारपत्रों वाले प्रभावित होंगे । मेरा सुझाव है कि इस परिपत्र को वापिस लिया जाय ।

प्रकाशन विभाग की ओर से कई एक पत्र-पत्रिकायें निकाली जाती हैं । उर्दू भाषा में 'आजकल' बहुत लोकप्रिय पत्र है जिसकी लोकप्रियता यहीं तक ही सीमित नहीं । पाकिस्तान में भी यह अधिक लोकप्रिय हो रहा है और इसकी मांग बढ़ रही है । पाकिस्तान और भारत के परस्पर सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि पाकिस्तान में प्रचार हो रहा है कि भारत में उर्दू भाषा को उचित स्थान नहीं मिल रहा, सरकार को चाहिए कि वह इस पत्रिका को पाकिस्तान में अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करे । एक मेरा प्रकाशन विभाग से सुझाव यह भी है कि बच्चों के लिए एक पत्रिका निकाली जाय ।

इसके साथ-साथ बाल चलचित्र संस्था की कार्यपालिका को समाप्त करके एक नई कार्य-पालिका गठित की जानी चाहिए, क्योंकि इसके वर्तमान सदस्य प्रशासन में बहुत सी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी हैं ।

बाल चलचित्र संस्था द्वारा बच्चों के लिये चलचित्र तैयार करना ही काफी नहीं है । स्कूलों और कालेजों के निकट बच्चों के लिये थियेटर्ज भी स्थापित किये जाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अंसार हरबानी]

कुछ समय से सूचना तथा प्रसारण विभाग द्वारा कर्मचारी अस्थायी आधार पर नहीं रखे जाते, यह स्वागत करने योग्य बात है। मुख्य सूचना अधिकारियों और उपमुख्य सूचना अधिकारियों को जनता से सम्बन्ध स्थापित करने के तरीक आने चाहिएं। सार्वजनिक सम्बन्ध विभाग में विभिन्न पत्रिकाओं के सम्पादक भी हैं जिन्हें स्थायी घोषित किया जाना चाहिए ताकि मन्त्रालय उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सके।

श्री यू० द० सिंह (शाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं। १९६२-६३ की रिपोर्ट के आरम्भ में चीनी आक्रमण से पैदा हुई स्थिति के सम्बन्ध में मन्त्रालय द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण दिया गया है। आल इण्डिया रेडियो ने चीनी आक्रमण के बाद अनेक नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे आज की बात, इण्डिया एण्ड दी ड्रगन, मैटर्ज आफ दी मोमेंट, अपनी धरती अपना देश, हमारी प्रतिज्ञा। इन सब कार्यक्रमों से निस्सन्देह रेडियो के सुनने वालों को चीनी सरकार के आक्रमणों तथा उसकी नीतियों का अच्छा परिचय मिल जाता है। मगर यह खेद की बात है कि हमारे रेडियो प्रोग्राम अफ्रीका में जो हमारे भारतीय रहते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे जो ट्रांसमिटर्ज हैं, वे शक्तिशाली न होने की वजह से हम लोगों द्वारा किया गया प्रचार नहीं के बराबर ही वहां होता है। अभी हाल ही में जब मोशी सम्मेलन हुआ था, वहां पर हमाराभारतीय प्रतिनिधि मण्डल जो कि दीवान चमन लाल जी के नेतृत्व में भेजा गया था, उसको तथा दीवान चमन लाल जी को वहां जाकर यह पता लगा कि वहां जो प्रचार है, वह नहीं के बराबर है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे भी हो, शक्तिशाली ट्रांसमिटर्ज उपलब्ध करने का प्रयत्न उनके द्वारा जल्दी से जल्दी होना चाहिये। इसके लिये जो भी फारेन एक्सचेंज की जरूरत हो, उसका इन्तजाम करके इस काम को शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न किया जाना चाहिये, ताकि चीनी जो बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं, उसका मुकाबला किया जा सके।

एक बात मैं सैंसर बोर्ड के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सैंसर बोर्ड अपने कर्तव्य की ओर से उदासीन है। सैंसर बोर्ड द्वारा एक हिन्दी फिल्म जिसका नाम "दिल तेरा दीवाना" है, जो प्रमाणपत्र दिये जाने के बारे में राज्य सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी। मगर खेद की बात है कि मंत्री महोदय ने उन सदस्यों की शिकायतों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और कोई भी कार्यवाई नहीं की। उन्होंने उसकी दुबारा जांच करने के लिए भी...

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : (अडोनी) : इस चलचित्र में आपत्तिजनक क्या बात है।

श्री यू० द० सिंह: चीन जैसा शत्रु जब हमारे सामने हो, जब उससे हमें मुकाबल करना हो, उस वक्त हमारे नौजवानों को ऐसी फिल्में दिखाना कहां तक ठीक होगा, इसका आप खुदही फैसला कर सकते हैं। सैंसरशिप के नियमों में यह साफ लिखा हुआ है कि जब सैंसर द्वारा पास की हुई फिल्म के खिलाफ कोई आपत्ति उठाई जाये तो उसकी दुबारा जांच होना जरूरी है, उसकी जांच की जानी जरूरी है। मगर राज्य सभा में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं भी इस सदन में इसके ऊपर आपत्ति उठाता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इसकी दुबारा जांच करने के लिये जरूर आदेश जारी कर दें, इसके बारे में जरूर कार्रवाई करें। एक और बात मैं इस सम्बन्धमें आप से निवेदन करना चाहता हूं। अधिकतर हिन्दी फिल्मों का सैंसरशिप जो होता है, वह बम्बई में होता है। मगर इस फिल्म का खास तौर पर सैंसरशिप जो हुआ है, वह मद्रास में हुआ है। इसका क्या कारण है, इस पर भी माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कोशिश करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं चिल्डर्न फिल्म सोसाइटी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। पार साल और इस साल भी इसकी बड़ी आलोचना की गई है। इसके बारे में इस मंत्रालय ने एक समिति भी नियुक्त की थी। इस सोसाइटी के जो सैक्रेटरी थे, उनके खिलाफ बहुत सी बातें कही गई थीं, उनके खिलाफ बहुत से आरोप लगाये गये थे। यह कहा गया है कि वह त्यागपत्र देकर चले गये हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद उस पर क्या कार्रवाई की गई है, इसका हमें कुछ पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सैक्रेटरी के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई करने का विचार कर रही है? लोगों की जानकारी के लिये अगर उस समिति की रिपोर्ट को इस सदन के पटल पर रखा जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं कुछ बातें समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जनवरी से दिसम्बर, १९६२ में डिसप्ले विज्ञापनों पर सरकार ने ३५ लाख ८७ हजार ३५० रुपये खर्च किये। इसमें से १७ लाख ८ हजार ७८७ रुपये केवल अंग्रेजी समाचारपत्रों को विज्ञापन देने पर खर्च हुये। इसका मतलब यह हुआ कि आधे से ज्यादा रुपया अंग्रेजी के समाचारपत्रों पर खर्च किया और अंग्रेजी के अलावा भारत में तेरह और जो भारतीय भाषायें हैं और जिन के समाचार पत्र निकलते हैं, उन पर बहुत कम खर्च किया गया। हम लोगों को यह देखना चाहिये कि क्या भारतीय समाचार-पत्रों को मजबूत बनाने का यह तरीका है। उधर क्लासिफाइड विज्ञापनों के ऊपर अंग्रेजी समाचार-पत्रों के पनपने की नीति देखने में आती है। सन् १९६२ में क्लासिफाइड विज्ञापनों पर २६ लाख ७९ हजार ११६ रु० खर्च किये गये। उनमें से केवल अंग्रेजी के समाचारपत्रों को १७ लाख ९८ हजार रु० दिये गये और बाकी १३ भारतीय भाषाओं को ८ लाख ८४ हजार ९४७ रु० क्लासिफाइड विज्ञापनों के लिये दिये गये।

सन् १९६२-६३ की रिपोर्ट से हमें यह बतलाया गया है कि सरकार एक चीफ प्रेस ऐडवाइजर नियुक्त करने जा रही है। मेरे विचार में यह काम प्रिंसिपल इन्फार्मेशन आफिसर कर सकते हैं। देखने में आया है कि सरकार नये अफसर नियुक्त करने के लिये नये-नये बहाने निकालती है। प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो में इसका प्रमाण मिलता है। यहां पर एक ओर हमें बड़े अफसरों की भीड़ मिलती है और दूसरी ओर प्रामाणिक संवाददाताओं को दी जाने वाली सुविधायें दिन प्रतिदिन कम की जाती हैं।

अब मैं कुछ रेडियो प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूं। इस का जो स्तर है वह बहुत संतोषजनक नहीं है। उस का खास कारण यह है कि कलाकारों को अच्छी फ़ीस नहीं दी जाती है। इस वजह से उस का स्तर गिरता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जो वार्ताकार जायें आज उनका ठीक से ख्याल किया जाय और उनको अच्छी फीस दी जाय। वार्ताकारों में सरकारी अधिकारियों की बहुलता रहती है, यह अच्छा नहीं है।

मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे समय दिया इस के ऊपर बोलने का।

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर): उपाध्यक्ष महोदय, चीन के अचानक जारहाना हमले ने सारी कौम को एक नये रास्ते पर डाल दिया और हमें एहसास हुआ कि पिछले अर्से में हम में कुछ खामियां थी, कुछ कमजोरियां थी, जिनके दुरुस्त करने की हमें जरूरत थी। किसी भी मुल्क की तरफ से इस तरह के अचानक जारहाना हमले का जवाब देने के लिये, जिस मुल्क पर हमला हो उस के पास दो चीजें निहायत जरूरी हैं। एक तो फौजी ताकत है और दूसरी है राय आम्मा का मुनज्जम होना और अवाम का इत्तहाद। जब तक अवाम मुनज्जम न हो, उनमें एकता न हो, वह मुनज्जम तरीके से मुल्क के पीछे न हो, लीडर के पीछे न हो, हमारा काम नहीं चल सकता है। उस की फौज सिर्फ मुकाबला कर सकती है हमलावरों का। जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है, वह एक अलग मौजूअ है जिस पर वक्त अगर हुआ तो मैं कुछ बाद में अर्ज करूंगा।

[श्री समनानी]

दूसरा जो जरिया है राय आम्मा के मुनज्जम होने का और अपने दामन में अवामी ताकत को बांधने का, उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग के ऊपर है। मैं समझता हूं कि जब हम तरजीहात मुकर्रर करते हैं कि किस-किस को ज्यादा तरजीह दी जाय और किस को कम दी जाय जंग के जमाने में, तो यह समझते हैं कि दूसरा मुल्क हम पर जंग ठूंस दे तो उस जमाने में तरजीह हर बात को होती है, जिस तरह से कि हमारी कौम ने करके दिखलाया। छोटे क्लर्क से लेकर अफसर तक और गरीब मजदूर से लेकर मनोपोली वालों तक, जिन का जिक्र आया है चाहे आप उनको जो भी कहिये, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, सबने अपना-अपना हिस्सा अदा किया।

इस वजारत के तहत मुख्तलिफ शोबे हैं, अगर उनकी तारीफ की जाय तो हम लोगों के लिये, खास कर जो कांग्रेस के मेम्बर हैं, जो वक्त मुकर्रर किया गया है, वह बहुत कम है। यह वजारत है जिसने अपने महदूद जराय के बावजूद हमें चीन के हमले की वजह से जो चैलेंज मिला उसको पूरी तरह कबूल किया और उन सही मानों में कबूल किया जिसकी हमें जरूरत थी। इसका जिक्र तो मैं बाद में करूंगा। कि उन्होंने क्या-क्या किया, लेकिन जहां कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उनकी तारीफ करें, वहां हमको यह देखना चाहिये कि कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनमें कमजोरियां हैं। मैं मिनिस्टर साहब को बार-बार मुबारकबाद देते हुये भी पहली बात तो पब्लिकेशन्स डिवीजन के मुताल्लिक यह कहूंगा कि पब्लिकेशन्स डिवीजन के जो इदारे हैं उन पर काफी खर्च होता है। यह कुछ किताबचे हैं जो उन्होंने नवम्बर या दिसम्बर में छापे हैं लेकिन वह मुझे सिर्फ कल रात को मिले, इसलिये कि आज ग्रांट्स पर बहस हो रही थी और हमें याद आ जाय कि यह भी एक डिवीजन है जिसके मुताल्लिक हमें कुछ कहना चाहिये।

मैं जनाब की तवज्जह दिलाऊंगा कि यह उर्दू की चीजें हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो उर्दू के वास्ते बिल्कुल फेनेटिक हैं, दीवाने हैं और चाहते हैं कि सिवा उर्दू के कोई जबान दुनियां में बाकी न रहे। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि जिस जबान को एक आइनी शक्ल देते हैं उसे महज दिखावे के लिये, खानापूरी करने के लिये और फुजूलखर्ची के लिये हम इस्तेमाल करें। अगर उन किताबचों को शाया न किया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां पर मेरे पास चन्द चीजें हैं जो कि मैं जनाब की खिदमत में पेश कर रहा हूं।

"अमन के महाज पर चीन की फरेबकारी" यह एक बहुत कीमती डाकुमेंट है जिसको छापा गया है। अगर जनाब बिलखुसूस सफा ६ और ७ को मुलाहजा फरमायें, उसके मुकाबले में मैं दूसरी छपी हुई चीज रखता हूं जिसका नाम है "बराय फरोख्त एक ट्राली"। ट्राली की फरोख्त को पब्लिश करने के लिये जो मैटीरयल इस्तेमाल किया गया है, इश्तहार की जो किताबत की गई है, जिस तरह से उसे लिखा गया है उसको आप देखिये और इस चीज को देखिये जिससे आप को कौम को बेदार करना है।

इसी तरह से दूसरा किताबचा है "कौम जाग उठी" इसकी छपाई के मुकाबले में मैं उसी मिनिस्ट्री का इश्तहार पेश कर रहा हूं जो किसी अखबार में शाया हुआ है। उसका जो प्रोडक्शन है वह भी इसके साथ रख रहा हूं। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से इसके भी सफा ६ या ७ को आप मुलाहजा फरमायें। मैं रेकार्ड के लिये पेश करता हूं, जिस के किसी लफ्ज का पता ही नहीं चलता है। नवम्बर या दिसम्बर में यह उन लोगों को दिया गया जो उर्दू जानते हैं। उन तक कौमी पैगाम पहुंचाना है। लेकिन उनको आज २१ मार्च को दे रहे हैं। वह भी इसलिये पहुंच रहा है कि कल बहस की जाये और हमारी तारीफ जरूर की जाय कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह

मिनिस्ट्री निकाल रही है "चीन के चैलेन्ज का जवाब"। यह जवाब मैंने नवम्बर में देखा। मेरे हाथ में यह बैलगाड़ी बेचने का इश्तहार है। आप इसके प्रोडक्शन को देखिये और उसके प्रोडक्शन को देखिये। मालूम होता है कि कातिबों को ट्रेनिंग के लिये इस डिवीजन में बिठलाया हुआ है। उसमें "चोटियों" को "पीनियों" लिखा हुआ है और लफ्ज–दफाई सरगर्मियों को, डिफेंस की सरगर्मियों को, "वफाई सरगर्मियां" लिखा है। यह इनका प्रोडक्शन है जिसे यह जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। यही चीजें जारिहत की वजाहत के लिये नक्शे पेश किये गये हैं। उर्दूदां तबके के लिये। आप यकीन कीजिये कि जिस जमाने में उर्दू पत्थर स्लेटों पर छापी जाती थी उस वक्त जिस तरह से इसकी छपाई होती थी उसके प्रोडक्शन से भी यह प्रोडक्शन बुरा है। उसमें जो मोटे मोटे अल्फाज में लिखा जाता था कि मां बच्चे को दूध पिला रही है, उससे भी यह प्रोडक्शन बुरा है, यह ऐसा मालूम होता है जैसे कि पचास साल पहले की जो जुगराफिया थी चौथी या पांचवीं जमात के लिये उस जुगराफिया से यह नक्शे निकाल कर पेश कर दिये गये हैं। आज उर्दू प्रिंटिंग इंडस्ट्री काफी डेवेलप हो गई है। इस मिनिस्ट्री की तरफ से जो दूसरी चीजें शाया होती हैं वह इतनी काबिले दीद हैं, इतनी ऐट्रैक्टिव चीजें हैं कि खुद बोलती हुई चीजें मालूम होती हैं। मेरा इशारा उन चीजों की तरफ है जो कि इस वजारत ने हाल में पोस्टर और अपीलें वगैरह शाया की हैं, जो वजीरे आजम की अपीलें या दूसरी अपीलें शाया की हैं पैसे के लिये, गोल्ड के लिये और सेविंग्स के लिये।

यह कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन का इन्तिजाम नहीं है। लेकिन मैं नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी २१ तक काफी घूमा हूं। मैंने देखा है कि जगह-जगह दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं और वह इंसान के जज्बात को अपील करते हैं कि उसका फर्ज है मुल्क के लिए। सोने के बारे में जो पोस्टर हैं वे ऐसे हैं कि अगर किसी के पास सोना नहीं होगा कि तो वह सरकार के पास उसको देख कर पैसा जरूर पहुंचाएगा। तो ये चीजें यह मिनिस्ट्री कर रही है।

हिन्दी में क्या प्रोडक्शन हो रहा है इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं हिन्दी पढ़ नहीं सकता, लेकिन उर्दू के प्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखे हैं।

इस वक्त बचत के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि किन अमूर पर और किन चीजों पर बचत की जानी चाहिए। अगर मैं कहूं कि आज हमको हवाई जहाज या हथियार नहीं खरीदने चाहिएं तो मैं सबसे बड़ा गद्दार हूं। अगर मैं कहूं कि डिफेंस पर खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए तो इससे बड़ा मुल्क का दुश्मन नहीं हो सकता। जब हम तरजीहात मुकर्रर करते हैं तो हमको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि किसको प्रायरिटी देनी है और अगर इस मुहकमे को आप टाप प्रायारिटी नहीं देंगे और इसके अखराजात की तरफ तवज्जह नहीं देंगे तो आपको जो प्रोग्राम देने चाहिएं आप नहीं दे पायेंगे।

जम्मू काश्मीर का रेडियो स्टेशन है। जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है मैं ने बार-बार कहा है और मैं निहायत फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपने उस चैलेंज को इस खूबी से लिया और चन्द मिनटों में एक इनक्लाब बपा कर दिया और ऐसे प्रोग्राम निकाले कि जिसने उनको सुना उसने तारीफ की। उस वक्त यही आपका मुहकमा था जो कि जंग के बारे में, उस इमरजेंसी में लोगों को सही हालात दे रहा था।

लेकिन हमारे यहां एक खिलौना है श्रीनगर रेडियो और जम्मू रेडियो स्टेशन। श्रीनगर से लेह और करगिल के इलाकों के लिए प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाता है, लेकिन पता नहीं कि वहां तक उस की आवाज भी पहुंचती है या नहीं। इसी तरह जम्मू रेडियो के साथ बदरवा इलाके के लिए यूनिट है जो कि वहां से करीब १५० मील है, लेकिन शायद उसकी आवाज ६४ मील तक भी नहीं सुनी जा

सकती। इसी तरह से नेफा में चीनियों ने घेरा डाल रखा है और वहां से चीनी रेडियो हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और नेफा की मुकामी जबानों में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन हमारे यहां के ट्रांसमिटर ऐसे हैं कि मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उनका प्रोग्राम नहीं सुना जा सकता, दूसरे मुल्कों की तो बात ही क्या है। इसलिए जरूरी है कि इस महकमे को टाप प्रायरिटी दी जाए। इसको फरामोश करने का वही नतीजा होगा जो कि उस जंग का सामना न करने से हुआ है जो कि आजादी मिलने के बाद से हमारे सामने है। चीन की जंग तो आज हमारे सामने आयी है, लेकिन जब से हम आजाद हुए हैं हमारे सामने फाकामस्ती, जहालत, गुरबत वगैरह की जंग मौजूद है और इस जंग में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कारामद साबित हो सकती है तो यह मुकहमा। लेकिन हमने उस वक्त भी इसको नजरन्दाज किया और आज भी इसको नजरन्दाज कर रहे हैं। आज जब जंग हमारे सामने है तो हमें इसके मुताल्लिक खास तवज्जह देनी चाहिए।

यहां सवाल उठाया गया कि प्रेस कन्सलटेटिव कमेटी प्रेस की पूरी तरह नुमायन्दगी नहीं कर सकती। यह लम्बा मामला है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा ख्याल है कि एडीटर्स गिल्डी के नुमायन्दों से बेहतर कंसल्टेटिव बॉडी और कोई नहीं हो सकता। आज यहां सरमायेदार प्रेस बैठा हुआ है और आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद वह चल रहा है। प्रेस कमीशन की सिफारिशात के बावजूद वह चल रहा है। प्रेस कमीशन की सिफारिशात के बावजूद वह चल रहा है। अगर एडीटर्स कान्फरेंस के नाम पर इस सरमायेदार प्रेस के चार नुमायन्दे कंसलटेटिव कमेटी में ज्यादा हो जाते हैं तो क्या वह नुमायन्दगी नहीं कर सकती? वही एक बाडी है जो सही नुमायन्दगी कर सकती है और आगे कर सकेगी।

आखिर में मैं इस मिनिस्ट्री ने जो कुछ किया है उसके वास्ते मिनिस्टर साहब को और आफिसर्स को मुबारकबाद देता हूं। मैंने यह कंसलटेटिव कमेटी में भी कहा था कि जो कुछ काम ब्रोशर्स और पैम्फलेट निकालने का किया गया है अगर उसका मुकाबला हमारी प्रिंटिंग इण्डस्ट्री से किया जाए तो उसके लिए मुमकिन नहीं था। एक्स्ट्रा और गैर-मामूली एफर्ट से वह काम किया गया है, लेकिन यह एफर्ट अभी तमाम नहीं हो चुका, सारी जरूरत पूरी नहीं हो गयी, इससे आगे बढ़ने की भी जरूरत है। और यह जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब मिनिस्टर साहब कैबिनेट की तवज्जह इस तरफ खास तौर से दिलाएं। हम लोग तो उनके साथ हैं।

जनाब हरवानी साहब ने कहा कि इस वक्त हम सब को मिल कर चलना है और सब को मिल कर इस तरह ईंटें लगानी हैं कि एक एवान बन जाए। लेकिन बाज वक्त ऐसा होता है कि एक ईंट एक तरफ लगायी जाती है तो दूसरी गलत जगह लगा दी जाती है। एक तरफ आप चाहते हैं कि छोटे अखबार जो कि लोगों की जबान में छपते हैं और लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाते हैं तरक्की करें, लेकिन दूसरी तरफ इसी मिनिस्ट्री ने एक सरकुलर जारी कर दिया है कि क्योंकि न्यूज प्रिंट की कमी है इसलिए न तो सेंट्रल गवर्नमेंट और न स्टेट गवर्नमेंट अपने एडवरटाइजमेंट दें। आप देखें कि कहां तो न्यूजप्रिंट की कमी और कहां एडवरटाइजमेंट इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटे अखबार हैं वे कुचल

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

दिए जाएं, उनको न सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवरटाइजमेंट मिलेंगे और न स्टेट गवर्नमेंट के, और जो बड़े अखबार हैं, जिनके मुताल्लिक हम रोज यहां धुंआधार तकरीरें करते हैं, उनको एडवरटाइजमेंट किसी न किसी तरह पहुंच जाते हैं। तो मैं निहायत अदब के अर्ज करूंगा कि जो सरकुलर आपने निकाला है उसको वापस ले लें।

जहां तक न्यूज प्रिंट का ताल्लुक है यह सही है उसकी कमी है लेकिन उसकी वजह से जो छोटे परचे निकल रहे हैं उनका गला घटना जम्हूरियत के खिलाफ होगा :

जसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया जब तक इस मुहकमे को टाप प्रायरिटी नहीं दी जाएगी और इसकी और इसके अफसरों को हौसला अफजाई नहीं की जाएगी जिन्होंने दिन रात काम किया है, तब तक तमाम चार्जे पूरी नहीं हो सकतीं।

आपने प्रेस रजिस्ट्रार को कुछ टन न्यूजप्रिंट का कोटा दे दिया है, लेकिन वह तमाम परचों के लिए जो निकल रहे हैं नाकाफी है। उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा चाहे दूसरी जगह कमी कर दें।

मैं फिर मिनिस्टर साहब को और उनके अफसरों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे इसी तरह काम करते रहेंगे और इस मुहकमे को टाप प्रायारिटी दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ खामोशी से काम नहीं चलेगा।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालन्दा) : सभापति महोदय, जब से चीनी हमला हुआ है, उसके बाद से अगर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की नीति में कहीं कोई परिवर्तन दिखाई देता है, तो वह आकाशवाणी का विभाग है। आकाशवाणी ने जो सराहनीय कार्य किया है, निश्चय ही उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिये, और उसके कर्ताधर्ताओं को बधाई दी जानी चाहिये।

जहां तक इसके दूसरे विभागों का सम्बन्ध है कहीं पता नहीं पड़ता कि हमारे देश पर विपत्ति आई हुई है और उसका मुकाबला करने के लिए हमने कोई बहुत जोरदार कदम उठाया है।

प्रकाशन विभाग के सम्बन्ध में अभी एक उदाहरण दिया गया है कि किस ढंग से वह कार्य करता है। यह कहा गया है कि उसने अपने काम को उचित ढंग से नहीं किया है। जहां तक अंग्रेजी में या कुछ हद तक हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित करने का काम है, उसकी तरफ तो ध्यान दिया जाता है लेकिन दूसरी भाषाओं में भी अच्छे साहित्य का प्रकाशन उचित समय पर हो और भाषा की शुद्धता और छपाई भी ठीक हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रचार के लिए हिन्दी या उर्दू का झगड़ा पैदा करने के लिए ऐसी नीति अपनाई गई जिसको हिन्दी का सरलीकरण नाम दिया गया और इसकी वजह से बहुत सी गलतफहमी पैदा हुई। उर्दू या दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए या उन्हें उचित और गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि उनमें अच्छे साहित्य का उचित ढंग से प्रकाशन हो। इसकी तरफ प्रकाशन विभाग ने तथा हमारे मन्त्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाए।

अब एक उदाहरण मैं फिल्म्ज डिवीजन के बारे में देना चाहता हूं। चीनियों ने हमारी भूमि में जो प्रवेश किया, उसकी फिल्म उन्होंने बना ली है और उस फिल्म को उन्होंने अपने देश में ही नहीं दिखाया बल्कि विदेशों की राजधानियों में भी उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे फिल्म्ज डिवीजन ने कुछ भी नहीं किया। वह सोता ही रहा है। अभी तक एक भी ऐसी डाकुमेंटरी फिल्म नहीं बनाई गई है जिसमें भारतीय सिपाहियों की वीरता, उनके शौर्य या उनके कारनामों का विवरण हो जिसको देख कर हमारी जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आकाशवाणी ने जो नीति अपना रखी है, वही नीति सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के दूसरे विभागों को भी अपनानी चाहिये और उनको भी इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

अभी पिछले रोज जब सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की परामर्शदात्री परिषद् की बैठक हो रही थी, उसमें माननीय मन्त्री महोदय ने ऐसा कहा था कि हां इस देश में एमरजेंसी कहीं दिखाई नहीं पड़ती और यह पता नहीं चलता कि सचमुच हम इस स्थिति में से होकर गुजर रहे हैं। बार बार हमारे प्रधान मन्त्री जी ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि चीन से भारत की लड़ाई एक दो दिन में खत्म नहीं होने वाली है, जो समस्याहै, एक दो दिन या एक दो साल में हल नहीं होने वाली है, यह बहुत

लम्बे समय तक चलने वाली है। इसलिए अगर हम अपने प्रयत्नों में अपने कार्यों में शिथिलता ला देते हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य अभी चाह रहे थे तो निश्चय ही हम चीन के जाल में फसेंगे और हमारे सामने जो समस्या है, उसका हम उचित रूप से हल नहीं निकाल सकेंगे, उसका हम उचित रूप से मकाबला नहीं कर सकेंगे।

आकाशवाणी के जो अन्य महत्वपूर्ण महकमे हैं, उनके सम्बन्ध में भी दो एक बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि यह जो समाचार दर्शन का कार्यक्रम है, यह बहुत ही मनोरंजक रहा है और लोगों ने उसे काफी पसन्द किया है। दूसरा कार्यक्रम गरुड़ और सांप है जिसकी ओर भी मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की भी काफी प्रशंसा की जाती रही है। खास तौर से इस कार्यक्रम में विचारों को बहुत ऊंचे स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है और चीन और भारत का जो सवाल है, जो समस्या है, उसको इस रूप में इसमें उपस्थित किया जाता है जिसकी वजह से हम बहुत गहराई तक जा कर इस मामले को समझने में सफल होते हैं और काफी हमें इससे प्रेरणा भी मिलती है।

एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण काम आकाशवाणी ने किया है। उसने रवि शंकर, ओंकार नाथ ठाकुर, श्रीमती एस० सुब्बालक्ष्मी जैसे कलाकारों को लेने का प्रयत्न किया है। इसके लिये आकाशवाणी बधाई की पात्र है।

कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जिन में त्रुटियां रह गई थीं और उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है। उनसे ऐसा लगता है कि या तो लापरवाही से काम लिया गया है या चुस्तैदी तथा दूरदर्शिता नहीं दिखाई गई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने पूरी जिम्मेवारी नहीं दिखाई है। मैं दो एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अकसर हमने इस को अनुभव किया है कि विदेशी समाचार एजेंसियां, बी० बी० सी० या चाइना न्यूज एजेंसी से चीनी खतरे के बारे में या चीन के आगे बढ़ने के बारे में या और किसी बारे में हमें खबरे मिल जाती हैं लेकिन आकाशवाणी से हमें उसकी खबर नहीं मिल पाती है। यह एक प्रकार से बहुत ही गम्भीर बात है, जिसकी ओर जल्दी ध्यान जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा कश्मीर): तभी आप धन्यवाद दे रहे थे?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: धन्यवाद तो दिया ही जाएगा।

मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि समाचार विभाग के अधिकारियों ने किस प्रकार से अपनी अक्षमता का परिचय दिया है। जब साइप्रस के उपराष्ट्रपति डा० कुच्चुक दिल्ली पहुंचे तो दूसरी सुबह गुजराती बुलेटिन में कहा गया कि वह आने वाले हैं। ताज्जुब की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क लिये यह कहा जाए जब कि वह आ चुके हैं कि आने वाले हैं। एक और उदाहरण में देना चाहता हूं। जब भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद २८ तारीख की सुबह बीमार पड़ गए तो उनके सम्बन्ध में उनकी मृत्यु के पहले तक आकाशवाणी से कोई समाचार नहीं दिया जा सका। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसा एक व्यक्ति जो इस देश के सबसे ऊंचे पद पर रहा हो उसकी तरफ भी आकाशवाणी में जो समाचार संग्रह करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान न जाए। इसके विपरीत जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो बहुत ही कम महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है और हम उन में अपना काफी समय लगा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके रुख में परिवर्तन की आवश्यकता है।

दो तीन बातें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नीति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। मूलभूत जो नीति है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है, लोकसत्तात्मक व्यवस्था कायम करने का। उस लक्ष्य के होते हुये लोक भाषाओं को हमें महत्व देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे हमें ऐसे कदम बढ़ाने पड़ेंगे जिससे अंग्रेजी का स्थान इस देश की भाषायें ले लें। जब तक ऐसा कदम हम नहीं उठाते हैं तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं। हर आदमी इसको अनुभव करता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है और अगर वह अपने इस कार्य को पूरी सफलता के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ यदि नहीं निभाता है तो हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेंगे।

बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले रोज मद्रास में भाषण देते हुये हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा था :—

"सरकार के ध्यान में एक अनुमोदित कलाकार द्वारा आरम्भ किया गया कार्यक्रम है ; किसी सार्थ अथवा वस्तु के बारे में सीधे प्रसार की आज्ञा नहीं दी जायगी।"

१४ मार्च, के 'हिन्दू' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि वह आकाशवाणी को व्यावसायिक रूप देना चाहते हैं। जहां तक मैं समझा हूं हमारे प्रधान मंत्री अकसर इसके विरुद्ध अपना मत व्यक्त करते हुये आए हैं। अगर हम चाहते हैं कि सचमुच में समाजवादी व्यवस्था यहां कायम हो और उसी तरफ हम कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी जो घोषित नीति है, उसके यह कदम बिल्कुल विपरीत जाएगा। हम चाहते हैं कि सरकार के हाथ में वे चीजें भी आ जायें जो उसके हाथ में आज नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर इसको व्यावसायिक रूप दिया जाए तो यह कहां तक हमारी उस घोषित नीति से मेल खायेगा इसकी आप समझ सकते हैं। आज सरकार के अधिकार में दैनिक समाचार पत्र नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो निष्पक्ष रूप से इस देश की जनता के सामने सरकार के विचारों को रखने का या और चीजों को रखने का जो माध्यम है उस माध्यम को हम ऐसा रूप दे दें तो मैं समझता हूं कि वह अपनी महत्ता को ही खो देगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन बातों की तरफ सरकार ध्यान दे।

अन्त में मैं इस आपात काल के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, खास कर आकाशवाणी द्वारा, उसका मुकाबला करने के लिये जो कदम उठाये गये उनके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : संकट काल में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसके साथ इस मंत्रालय का भी दायित्व है कि वह हमारे नैतिक मूल्यों का न केवल रक्षण करे बल्कि उनमें वृद्धि करें। जब वह इस उद्देश्य में असफल होगी तो उसकी आलोचना की जायेगी।

यह उचित है कि "नाइन आवर्स टू रामा" फिल्म पर इस देश में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। किन्तु सरकार को यह बात बताना चाहिये कि उन्होंने इस फिल्म के कथानक को स्वीकृति तथा इसके निर्माताओं को प्रारम्भ में सुविधायें ही क्यों दी। अब सरकार ने यह दलील दी है कि फिल्म अपने मूल कथानक से बहुत दूर चली गई है। मेरे विचार से यह तर्क निराधार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आपातकाल में मंत्रालय ने अपने कर्त्तव्य की पूर्ति बड़े शानदार ढंग से की है। रेडियो में चीनी प्रचार का पुरजोर तरीके से खंडन किया गया है। तथापि हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि इस क्षेत्र में अभी भी चीन हमसे बहुत आगे है। सरकार को ज्ञात होना चाहिये कि हमारे सीमान्त में चीनियों ने ६१ ट्रांस्मीटर बिछाये हुये हैं।

यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 'हिज वाइस' नामक एक नया ट्रान्समीटर काठमांडू के इलाके में लगाया जा रहा है। अभी तो वह केवल वाणिज्यिक प्रचार इत्यादि के लिये है तथापि संभव है बाद में उसका राजनैतिक उपयोग होने लगे। इससे भारत को सतर्क रहना चाहिये। इससे सीमान्त के साथ वाले क्षेत्रों में हमारे 'ब्राडकास्ट' का स्वर धीमा हो जायेगा। इस कारण यह अत्यावश्यक है कि अधिक शक्तिशाली "ट्रांसमीटर' लगाया जाये।

यह खेद की बात है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय तिब्बत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिकों रिपोर्ट में लिखित सामग्री को सूचना तथा प्रसार मंत्रालय को उपलब्ध करने के मामले में सहयोग नहीं दे रहा है। सरकार के सैद्धांतिक विद्वान उस प्रचार की रूपरेखा के बारे में फैसला करें जिसे उन्होंने चीनी अतिक्रमण के बारे में अपनाया है।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों को गांवों के लिये उपयोगी बनाया जाये।

भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत छोटे समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वे सरकार के विरुद्ध नैतिक प्रचार करते हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही तभी करनी चाहिये कि जबकि उनके प्रचार से चीन का मुकाबला करने की दृढ़ इच्छा में कमी आने का भय हो।

समाचार पत्र की नीति को मालिकों के प्रभाव से सुरक्षित रखा जाये।

एक प्रस्तावित दैनिक समाचार पत्र की पहिले ही २५००० प्रतियों के प्रकाशन के लिये ब्यूजप्रिंट दिया गया है। प्रेस में एकाधिकार की भावना समाप्त की जाये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समाचार पत्रों के पंजीयन तथा कागज के लिये कोटा आदि के लिये पंजीयन इत्यादि को जम्मू व काश्मीर पर भी लागू किया जाये।

अखिल भारतीय आकाशवाणी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये।

†श्री करणी सिंहजी (बीकानेर) : सूचना तथा प्रसारण विभाग मंत्रालय का देश की जनता के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में प्रमुख हाथ है।

१६४७ में आकाशवाणी के ६ स्टेशन थे और २.२५ लाख रेडियो लाइसेंस थे, और आज ३१ स्टेशन और ३० लाख रेडियो लाइसेंस दिये गये हैं। मुझे आशा है कि इस संख्या में वृद्धि होती रहेगी। संकट काल में जिस प्रकार आकाशवाणी द्वारा कार्य सम्पादन किया गया है उस के लिये मंत्रालय बधाई का पात्र है।

टेलीविज़न और रेडियो पर जो नये शिक्षा कार्यक्रम जारी किये गये हैं, उन के लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमें अधिक शक्तिशाली ट्रान्समीटर लगाने चाहियें ताकि उन से

† मूल अंग्रेजी में

हमारे ब्राडकास्ट विश्व भर में सुने जा सकें। यदि समाचारानुसार किसी देश द्वारा हमें १००० किलोवाट का शक्तिशाली ट्रांसमीटर दिया जाये और उस के साथ कोई शर्तें न हों, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहियें। जहां तक पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे सीमान्त का प्रश्न है, हमें इस के साथ साथ ट्रांसमीटरों की एक कड़ी लगानी चाहिये, जिस से चीनियों के जबर्दस्त प्रचार का मुकाबला किया जा सके। इस सम्बन्ध में हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकेंगे कि चीनियों के प्रचार का पूरा मुकाबला किया जायेगा।

हमारे देश की नीतियों को अन्य देशों में गलत समझा जाता है इस कारण कि वहां के लोगों को भारत के बारे में बहुत कम जानकारी पहुंच पाती है। हमें विदेशी प्रचार के द्वारा शेष विश्व को यह बताना चाहिये कि भारत प्रविधिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में पीछे नहीं है।

हमारे बड़े बड़े नगरों में जमीन के नीचे भी ट्रांसमीटर लगाने चाहिये, ताकि हवाई हमलों की सूरत में ये काम करते रहें।

सस्ते रेडियो सेटों का उत्पादन तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। यदि मंत्रालय कुछ आवश्यक पुर्जों का आयात करने दे, तो ऐसा किया जा सकता है।

हमें प्रत्येक गांव में एक रेडियो सेट लगाने का लक्ष्य पूरा करना चाहिये। चूंकि हमारे सभी गांवों में बिजली नहीं है, इस लिए वहां ट्रांसिस्टर रेडियो सेट संभरित करने के प्रश्न पर सावधानी से विचार किया जाये। यदि इन के लिए लाइसेंस फीस ५ रुपये प्रति वर्ष कर दी जाये या सारे जीवन के लिए थोड़ी सी फीस निश्चित कर दी जाये, तो बहुत उपयोगी होगा।

सरकार को अब इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये कि क्या आकाशवाणी जैसे बड़े संगठन को एक निगम बनाने का समय नहीं आ गया है।

यह खेद का विषय है कि भारत जैसे बड़े विकसित होने वाले देश में टेलीविज़न की उपेक्षा की गई है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में टेलीविज़न स्टेशन खोले जाने चाहियें। मुझे विश्वास है कि हमारे नवयुवक बहुत अच्छे टी० वी० कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं; यदि उन को उचित अवसर दिये जायें।

बम्बई में एक बड़ा टी० वी० स्टेशन लगाने के विषय में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। यदि विदेशी फर्मों को भारत में टी० वी० पर प्रोग्राम और विज्ञापन पेश करने दिया जाये, तो हमें आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है।

यह हर्ष का विषय है कि हमारी समाचार फिल्मों का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। मेरा सुझाव है कि इन फिल्मों में अपने देश को जानो' का तथा क्रम शुरू किया जाये, ताकि देश के एक भाग के लोग दूसरे भाग के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रत्येक फिल्म में दो तीन मिनट परिवार आयोजन के विषय पर भी लगाने चाहियें। स्लाइडों में भारत के राष्ट्रीय झंडे को उचित स्थान देना चाहिये।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अधिक रोचक और मनोरंजक बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये अधिक लोकप्रिय बन सकें।

विविध-भारती कार्यक्रम को चौबीस घंटों का कार्यक्रम बना देना चाहिये। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस के ४४ करोड़ लोगों में से कोई न कोई तो किसी समय भी सुनना पसन्द करता होगा।

†श्री धर्मलिंगम (तिरुवन्नामलाई): मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि डा० गोपाल रेड्डी के मंत्री बनने के बाद भी इस मंत्रालय के अधीन होने वाले कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इस मंत्रालय के कार्य संचालन में बहुविधि सुधार की आवश्यकता है ।

सारे तामिल भाषा प्रसारणों में 'आकाशवाणी' के स्थान पर 'वनोली'' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये । यह मांग बहुत बार की गई है किन्तु अभी तक स्वीकार नहीं की गई। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने इस शब्द के प्रयोग का समर्थन नहीं किया है ।

तमिल कार्यक्रम सुनने के लिए हमें कोलम्बो, न्यु यार्क और मास्को सुनना पड़ता है । यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे अपने स्टेशन होते हुए हमें बाहर के स्टेशनों को सुनना पड़ता है । आकाशवाणी को वाणिज्यक रूप देने में कोई हानि नहीं है । ऐसा करने से यह आत्म-धारित संगठन का रूप धारण कर लेगा । कोयम्बटूर में रेडियो स्टेशन की स्थापना जल्दी करनी चाहिये और मदुरै में एक और स्टेशन स्थापित करने की संभाव्यता पर विचार किया जाना चाहिये ।

विविध भारती में तमिल कार्यक्रमों को अधिक समय दिया जाना चाहिये क्योंकि विदेशों में हिन्दी भाषियों की तुलना में अहिंदी भाषियों की संख्या अधिक है ।

आकाशवाणी में युवक कलाकारों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । राजनैतिक विचार-धाराओं के कारण कलकारों के प्रति विभेद नहीं करना चाहिये ।

स्टाफ कलाकारों की सेवा की शर्तों में सुधार करना चाहिये । उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता, नगरपूरक भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि की सुविधाएं दी जानी चाहियें । इन को वर्ष के अन्त तक यह फीस में वृद्धि नहीं दी जाती और उन्हें तीन साल के ठेके के स्थान पर एक साल का ठेका दिया जाता है ।

आजादी के १६ वर्ष बाद भी भारतीय भाषाओं में अनाउंसरों को अंग्रेजी भाषा के अनाउंसरों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता ।

फिल्म उद्योग देश में काफ़ी विकसित हो गया है । मैं केन्द्रीय सरकार से कहूंगा कि वह राज्य सरकारों को सलाह दे कि वे स्टूडियो फिल्मों के वितरण और सिनेमाघरों का, जो उन के क्षेत्र में हैं, राष्ट्रीयकरण करे । इस से राजकोष को काफी आय होगी ।

फिल्म सेंसर बोर्ड का काम बिल्कुल संतोषजनक नहीं है । कोई नियम या विनियम नहीं है और फिल्मों का सेंसर बोर्ड के सदस्य अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं ।

विरोधी पक्षों के सम्मेलनों के समाचार फिल्म बनाने में सरकार बहुत पक्षपात से काम लेती है ।

सरकार को छोटे समाचारपत्रों का समर्थन करना चाहिये । यह समर्थन ऋण, छपाई की मशीनें, किराये पर देकर, छपाई का कागज और सरकारी विज्ञापन देकर किया जा सकता है । सरकार को विरोधी पक्ष के समाचारपत्रों का अधिक समर्थन करना चाहिये क्योंकि वे लोक मत का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

---

*मूल तामिल के अंगेजी अनुवाद अनूदित ।

†मूल अंग्रेजी में

मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्रालय के जो अंग हैं उन्हें वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाये और उन्हें सत्तारूढ़ दल के लाभ के लिए प्रयोग न किया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : मैं एक निदेश देना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी में न बोल कर किसी और भाषा में बोलना चाहें, तो उन्हें अपने भाषण से तीन घंटे पहले उस का अनुवाद दे देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जब भी कोई सदस्य अनुवाद की प्रति भेजें, तो वह साफ़ कागज़ पर और नियमित रूप में होना चाहिये। माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं किया, जो कि बड़े खेद की बात है।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मेरा सुझाव है कि किसी माननीय सदस्य को, जो उस भाषा को जानते हों, यह गारंटी देनी चाहिये कि भाषण ठीक है। नहीं तो कौन जान सकता है कि क्या बोला गया है?

†श्री बे० गोपाल रेड्डी : मैं ने उन का भाषण समझा है, उसमें कोई चीज़ आपत्तिजनक या असंसदीय नहीं थी।

श्री गु० सिं० मुलाफिर (अमृतसर) : मुझ से पहले जिस मैम्बर साहब ने तकरीर की है, उसको तो मैं समझ नहीं सका हूं, लेकिन बाकी दोनों तरफ से जितने भी साहिबान बोले हैं, उन सभी ने मिनिस्टर साहब को उनके काम पर तथा उनके कार्यकर्त्ताओं को उनके काम पर मुबारिकबाद दी है। मैं भी इस मुबारिकबाद में अपने को शामिल करना चाहता हूं।

एक बुनियादी बात की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जिस वक्त हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी तकरीर में टैलीविजन की बात की। इसको सुन कर मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। जेल में राजनीतिक कैदियों को अठारह सेर दाना पीसक को दिया जाता था। एक बार ऐसा वाका हुआ कि हमारे एक साथी की चक्की का जो ऊपर तो पाट था वह टूट गया और वह दाना न पीस सका। जब मुशक्कत देखने के लिये साहब आया हीं उसने उज्र किया कि मेरी चक्की का ऊपर का जो पाट है वह टूटा हुआ है इसलिये मैं दाना पीस नट सका हूं। उस साहब ने कहा कि हमने तो दाना पूरा लेना है, हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं कि पा टूटा हुआ है कि साबुत है। इस बात को सुनाने का मेरा मंशा यह है कि जब तक पाट ठीक न हो चक्की ठीक न हो, तब तक पूरा और अच्छा दाना नहीं पीसा जा सकता है। इसी तरह से जो काम इस मिनिस्टरी ने किये हैं या आल इंडिया रेडियो के कार्यकर्त्ताओं ने किये हैं, वे फलीभूत तभी हो सकते हैं जब उनके पास पूरी तरह से हथियार हों, पूरे इंस्ट्रुमेंट्स हों।

इस वक्त एमरजेंसी है। आल इंडिया रेडियो ने इस मामले में बड़ी होशियारी से काम लिया है। थोड़े समय में उसने अच्छी आर्गेनाइजेशन बना ली है। और हर चीज का ध्यान रख कर जितनी जरूरियात एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रापेगंडा की होती है उनको पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन वह उस में पूरे तौर पर सफल नहीं हो सकता है, पूरे तौर पर उसको कामयाबी नहीं मिल सकती है। दूसरे मानों में यह समझिये कि उस सारी मेहनत का फायदा नहीं हो सकता है उस वक्त तक जिस वक्त तक कि जिस परपज के लिये काम किया जाता है और पूरी चीज जो हम करना चाहते हैं और जहां तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंचाते हैं। उस सूरत में हमारी जो मेहनत है, उसका कोई फायदा नहीं हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मु० सिं० मुसाफिर]

इस लिये जरूरी है कि इस मिनिस्ट्री के लिये, इस काम के लिये अगर कुछ खर्च बढ़ाना भी पड़े तो वह बढ़ाया जाय। एक तरफ तो शक्तिशाली ट्रांस्मिटर हमारे पास नहीं हैं, दूसरी तरफ चीन के पास सामान ज्यादा है। उनके ट्रांस्मिटर बड़े शक्तिशाली हैं और इसलिये वह अपना प्रोपेगैन्डा दूसरी कंट्रीज में बड़ी अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। हम उसकी तरदीद करना चाहते हैं लेकिन जब हमारे पास उस तरह के पावरफुल ट्रांस्मिटर्स ही नहीं हैं तो हमारी मेहनत कुछ हद तक बिल्कुल बेफायदा हो जाती है। इसलिये यह जो बुनियादी बात है उस की तरफ हमें पूरी तौर पर ध्यान देना चाहिये। बेशक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट दुगुना हो गया है, मगर मैं समझता हूं कि यह मिनिस्ट्री भी, यानी आल इंडिया रेडियो, डिफेंस का ही काम कर रहा है। डिफेंस वाले गोला और बारूद फेंकते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट जो हैं उनके गोले भी कम असरअन्दाज नहीं हैं। वह दिलों पर मार करते हैं, और तीन तरह की मार करते हैं। अपना तो दिल बढ़ाते हैं, दुश्मन के दिल को थर्राते हैं और जिन मेम्बर साहबान के दिल में गलतफहमी है उसे वह गोले बदलते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सब से पहले इधर ध्यान देना चाहिये कि हमारे जो ट्रांस्मिटर्स हैं वह शक्तिशाली हों, ख्वाह वह कीमत देकर खरीदे जायें, या अपने दोस्त मुल्कों से उधार लेकर इस्तेमाल किये जायें। जिस तरीके से भी हो, मेरा ख्याल है कि हमें उनको लेने में संकोच नहीं होगा। इस तरफ हम को जल्दी ध्यान देना चाहिये।

मैंने आज हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर पढ़ी कि कुछ तजावीज ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने की हैं। एक्स्टर्नल प्रोग्राम को और बार्डर के प्रोग्राम के लिये गौहाटी से। उससे हमें और तसल्ली होती है। लेकिन यह अखबार की बात है, पता नहीं कहां तक सच्ची हो। मैं समझता हूं कि अमली तौर पर यह काम होना चाहिये। यह बुनियादी बात जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो हमारे मेहनत करने वाले हैं उनके काम का नतीजा बहुत तसल्लीबख्श नहीं हो सकता। मैंने उनकी रिपोर्ट और नोट्स पढ़े हैं और उनसे मुझ बड़ी खुशी हुई है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त जो हमारे इस काम के इंचार्ज हैं उनमें बात की पूरी तौर पर समझ है, उन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है और नब्ज को पहचान लिया है। सीधी बात यह है कि उनकी हौसला अफजाई के लिये इस बजट में कुछ इजाफा होना चाहिये ताकि जो हमारा मुफीद काम है वह ज्यादा अच्छी और ठीक तरह से हो सके।

एक बात मैं प्रोग्राम के मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि "इमेज आफ इंडिया" जो हफ्तेवारी प्रोग्राम चलता है आकाशवाणी से, वह एक बहुत मुफीद बात हो रही है। जब चीन ने प्रोपेगैन्डे के बाद हमारे रेडियो ने उनको ऐसी तरह से उल्टा जवाब दिया तो कुछकुछ पंजाब के लोगों के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि हमें इस ढंग से काम न लेना चाहिये। हमारे गीतकारों ने भी और दूसरे लोगों ने भी जो रेडियो पर तकरीर किया करते हैं, जब जोरदार लफ्जों में "चीन" "फीन" वगैरह कहा तो कुछ लोगों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा कहा। लेकिन यह जवाब तो दिया जा सकता है, जैसा किसी शायर ने कहा है :

"सभी मुझ से हीं कहते हैं कि नीची रख नजर अपनी
कोई उन से नहीं कहता न निकलो यूं अयां हो कर।

यह बात तो ठीक है मगर हमने इस बात का जरूर ख्याल रक्खा है। यह जो "इमेज आफ इंडिया" का प्रोग्राम है यह बड़ा सोबर है। इससे हम अपने देश के मुताल्लिक लोगों के मन में यकीन दिलाते हैं कि यह हमारे देश की खूबियां हैं। इस से एक तो हमारा काम ठीक बनता है दूसरे

लोगों के नजर में यह समझा जाता है कि हम अच्छे ढंग के लोग हैं और अच्छे तरीके पर काम करने वाले हैं ।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं । फोर्ड फाउंडेशन का डेलिगेशन आकाशवाणी के काम को देखने के लिये हमारे देश में आया था कि हम किस ढंग से प्रोपेगैन्डा करते हैं । मेरा ख्याल है कि उसने कोई न कोई रिपोर्ट जरूर डिपार्टमेंट को दी होगी । वह जो रिपोर्ट है अगर वह पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाये तो शायद उससे कुछ मुफीद चीजें निकलें क्योंकि इस वक्त जो हमारी पब्लिसिटी की टेकनीक है वह अच्छी तो है लेकिन हम उसे और भी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं । अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट आई हो तो मेरी राय है कि वह पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाय ।

श्री द्विवेदी ने यहां पर टेलिविजन का जिक्र किया अपने भाषण में कि चूंकि यह एक बहुत महंगी चीज है इसलिये अवाम के लिये तो टेलिविजन का इन्तजाम हो नहीं सकता । मगर मैं कहना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो के पास या जो इन्स्टिट्यूशन्स हैं जिनके पास टेलिविजन सेट्स हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ दिन में होता है । दिन के वक्त स्टूडेंट्स के लिये उनका इस्तेमाल होता है । शाम को वह टेलिविजन ट्रांस्मिटर्स बेकार रहते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं होता । इसलिये इसकी तरफ मैं मंत्री साहब की तवज्जह दिलाऊंगा कि वह टेलिविजन का इस्तेमाल शाम को भी करने की तरफ ध्यान दें ।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : हफ्ते में दो दफे होता है ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि गौहाटी के बार्डर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है उसी तरह से मैं समझता हूं कि उत्तर की साइड पर जम्मू और श्रीनगर को भी मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि लद्दाख की तरफ जितना प्रोपेगैन्डा करना चाहिये और तिब्बत तक के लोगों तक आप को जो खबरें पहुंचानी हैं उनके लिये जम्मू और श्रीनगर बहुत मुफीद हो सकते हैं ।

मैं मिनिस्ट्री का मश्कूर हूं कि उन्होंने पंजाब पर कुछ ध्यान दिया है । मंत्री साहब खुद गये थे जलन्धर । जैसाकि आज के अखबार से भी जाहिर है, शिमला का जो स्टेशन है उसको आप ने जरा मजबूत करने की कोशिश की है, पहाड़ी लोगों को वह प्रोग्राम सुनाने के लिये । उसके मुताल्लिक मैं एक ही बात कहना चाहूंगा । उधर लाहोल और स्पीती का जो इलाका है वह एरिया ऐसा है जिसकी आबादी थोड़ी है, लेकिन चूंकि स्पीती के इलाके पर चीन का खास असर रहता है इसलिये अगर शिमला से स्पीती की जबान में थोड़े से प्रोग्राम उनके लिये नश्र किये जायें तो यह बड़ा मुफीद साबित होगा ।

आल इंडिया रेडियो ने सारी जबानों के हजारों गीत तैयार किये हैं, पंजाबी के गीत भी तैयार किये हैं । मैं समझता हूं कि उन गीतों को नेफा तक पहुंचाने के लिये पंजाबी के प्रोग्राम को जरा ज्यादा बढ़ाना चाहिये ताकि जो हमारे जवान पंजाबी हैं वह उन गीतों को वहां पर सुन सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी मिनिस्ट्री को सारे कामों के लिये मुबारकबाद देता हूं ।

श्री मौर्य : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसार मंत्रालय के जो पिछले वर्ष के आंकड़े हैं उनके अनुसार हमारे देश में ८६ व्यक्तियों के बीच में एक अखबार और २१९ व्यक्तियों के बीच में एक रेडियो पड़ता है । इसका मुख्य कारण मैं केवल एक ही समझता हूं । जहां तक रेडियो सैट्स का सवाल है वे बहुत ज्यादा महंगे हैं और उनको एक गरीब आदमी, या किसान,

[श्री मौर्य]

या मजदूर या क्लर्क खरीदने में असमर्थ है। जहां तक अखबारों का सवाल है, अखबार या तो बहुत ज्यादा कीमती हैं, या वे गोरों की भाषा अंग्रेजी में हैं। यही दो कारण हैं जिनके कारण आज हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है। जैसी जानकारी आज बीसवीं शताब्दी में अनिवार्य है उससे हमारे देश का कि बहुत बड़ा अंग वंचित रह जाता है।

जहां तक सूचना और प्रसार मंत्रालय का संबंध है इस संकट काल में उन्होंने जो कुछ सेवा की है, और मुख्यतया वहां के कर्मचारियों ने जो सेवा की है, और वे कर्मचारी वह हैं जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, उन्होंने जो सेवायें की हैं उनके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। यहां नहीं उन्होंने थोड़े क्षणों में राष्ट्र को जाग्रत कर दिया। यह कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कह सकती उनके कारण देश एक हो गया। लोगों के, जनता जनार्दन के एक होने का मुख्य कारण हमारे सूचना और प्रसार मंत्रालय का विशेष प्रयत्न है। उसने अपने कर्त्तव्य का पालन बड़ी अच्छी तरह से किया है।

आकाशवाणी से कुछ विशेष कार्यक्रम इस संकटकाल में चलाए गए हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि उनको जारी रखा जाए क्योंकि अब भी संकटकाल है। यह बात हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे राजनीतिज्ञ भी कहते हैं कि अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि लद्दाख में तो वह बढ़ता चला जा रहा है। जब ऐसी बात है तो हम को ये प्रोग्राम

"हमारी प्रतिज्ञा, अपनी धरती अपना देश, देश की आवाज़, इंडिया एंड दी ड्रेगन"

चालू रखे जाने चाहिए, इनको रोक न जाना चाहिए, बल्कि इनको और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए।

जहां तक चीन का और भारत वर्ष का सम्बन्ध है, चीन के मुकाबले में भारतवर्ष के ट्रांसमिटर बहुत कमज़ोर हैं। हमारी आवाज़ बहुत ऊंची आवाज़ होकर पूरे विश्व में नहीं गूंज पाती। हालांकि हमारी आवाज में बल है, शक्ति है और सत्यता है। चीन की आवाज़ जिसमें न बल है, न शक्ति है और न सत्यता है आज केवल इस कारण सारे विश्व में गूंजती है कि उसके पास अच्छे ट्रांसमिटर हैं, और हमारी सच्ची बात दब जाती है। इसलिए मैं आपके द्वारा इस मन्त्रालय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ज्यादा ट्रांसमिटर लगवाए जाएं।

आज अहिंसा और रक्षा दोनों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। महात्मा गांधी और भगवान् गौतम बुद्ध की अहिंसा की नीति अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन अहिंसा परमोधर्म कह कर हम देश की रक्षा नहीं कर सकते। राजनीति को अहिंसा परमोधर्म के आधार पर आधारित करके हमें अपनी रक्षा को कमज़ोर नहीं करना चाहिए।

जहां तक दुश्मन का सवाल है, जिससे देश को खतरा है, वह अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां तक हमारे बजट का सम्बन्ध है उसमें इस विभाग के लिए उतना रुपया नहीं दिया गया जितना इस समय दिया जाना चाहिए था। सन् १९६२–६३ में इस विभाग के लिए ४,९१,९२,००० का बजट था, जबकि सन् १९६३–६४ के लिए केवल ५,६१,८८,००० ही दिया गया है। जो बढ़ोतरी की गयी है वह इस संकटकाल को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। हमको अपने प्रोपेगैन्डा पर ज्यादा खर्च करना होगा यदि हम संसार को अपनी सच्ची बात सुनना चाहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विभाग पर ज्यादा खर्च करना चाहिए और दूसरी जगहों पर इकानामी बरती जानी चाहिए और बहुत से हम जो ऐसे खर्च करते हैं जो आवश्यक नहीं हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए।

जो फिल्म डिवीजन है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। उसके दो अंग हैं, एक न्यूज़ रील से ताल्लुक रखता है और दूसरा डाकूमेंटरी फिल्मों से। जहां तक डाकूमेंटरी फिल्मों का सवाल है, वह

पहली अप्रेल से ३१ दिसम्बर, सन् १९६२ तक ७१ फिल्में बना चुका है। उनमें ५५ फिल्में सरकार द्वारा बनायी गयीं और १६ फिल्में विशेष व्यक्तियों और विशेष कम्पनियों द्वारा बनवायी गयीं। मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास फिल्में बनाने के साधन मौजूद हैं तो हमको विशेष व्यक्तियों या कम्पनियों से फिल्में बनवायाकर रुपया नाजायज तौर से खर्च नहीं करना चाहिए था। तमाम फिल्में सरकार द्वारा बनायी जानी चाहिए।

इस विभाग में धन का दुरुपयोग होता जिसके बारे में पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी ने जिक्र किया है। मेरे हाथ में इस समय पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की आठवीं रिपोर्ट है, उसमें लिखा है :

(लोक लेखा समिति आठवां प्रतिवेदन पृष्ठ १७०)

समिति इमारतों आदि के उद्घाटन समारोहों पर अत्यधिक धनखर्च करना उचित नहीं समझती। प्रशासनिक मन्त्रालय को इस पर खर्च करने के लिये दिये गये अधिकार पर नियन्त्रण होना चाहिये कि वे एक निश्चित राशि से अधिक खर्च नहीं करेंगे।

यही नहीं काफी रुपया विशेष व्यक्तियों के उद्घाटन आदि के अवसर पर चित्र लेने में और उनका प्रदर्शन करने पर भी खर्च किया जाता है, हीरो वरशिप के नाते। इस रुपए को बचाया जा सकता है।

मैं यहां पर कोई विशेष नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपकी आज्ञा उसके लिए नहीं है। पर एक फिल्म कम्पनी है जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। उस कम्पनी के कुछ सिनेमा भी हैं, लखनऊ में इलाहाबाद में और कानपुर में भी। इस फिल्म कम्पनी की डाइरेक्टर एक आदरणीय महिला हैं जो इस मिनिस्ट्री से सम्बन्धित एक विशेष व्यक्ति की धर्मपत्नी हैं। यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता। मैं यह नहीं कहता कि वे मिनिस्टर महोदय या डिप्टी मिनिस्टर महोदय इस पद से हटा दिए जाएं, बल्कि मैं चाहता हूं कि उनको किसी दूसरे मन्त्रालय में भेज दिया जाए। उनकी योग्यता को, उनकी शक्ति को, और उनकी ईमानदारी की मुझे शिकायत नहीं है। पर उनका इस मन्त्रालय में रहना ठीक नहीं मालूम होता। हमको एक अच्छा कनवेंशन बनाना चाहिए ।

आपने एक फिल्म कंसलटेटिव कमेटी बनायी है। उसका ढांचा देख कर मुझे हैरत हुई। मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन होंगे, डिप्टी मिनिस्टर साहब उसके डिप्टी चेयरमैन होंगे, पांच पब्लिक मैन होंगे और १५ फिल्म उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले होंगे जो कि उस काम को करते हैं और उस उद्योग को चलाते हैं। इसमें पब्लिक मैन के नाम पर सत्ता धारी वर्ग के लोग लिए जाएंगे और इसमें मैजारिटी उन लोगों की होगी जो कि इनकम टैक्स की चोरी करते हैं और बहुत सी परेशानियां पैदा करते हैं और ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनसे हमारे राष्ट्रका चरित्र गिरता चला जा रहा है। मैं उनके गानों की बात नहीं करना चाहता। लेकिन उनके गाने ऐसे होते हैं कि भाई बहिन, पति और और पत्नी और मां और बेटा उनको सथ बैठ कर सुन नहीं सकते। और उनमें दिखाए दृश्यों को देखना पसन्द नहीं करेंगे। इन फिल्मों का एक और नतीजा यह हो रहा है कि फैशन की आंधी भारतीय सभ्यता को बहाए लिए चली जा रही है। इन पर रोक लगायी जानी चाहिए। अगर उन पर रोक न लगायी गयी तो मुझे डर है कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ देश के लिए न हो जाये। इससे हमारे यहां क्राइम्ज भी बढ़ रहे हैं। जिस तरह से क्राइम्ज फिल्मों में वे देखते हैं उस तरह के क्राइम्ज करने की उनमें प्रवृत्ति भी आती है। हमारी कुछ समस्यायें हैं। उत्पादन अधिक करने की समस्या है, छुआछूत समाप्त करने की समस्या है, असमानता दूर करने की समस्या है, भ्रष्टाचार समाप्त करने की समस्या है। अगर इन समस्याओं को सामने रख कर, अगर इनको सिद्धान्त बना कर फिल्में बनाई जायें तो कितना ही अच्छा हो। प्यार और मुहब्बत की बातों को लेकर, भ्रष्टाचार और क्राइम्ज की बातों को लेकर जब फिल्में बनाई जायेंगी तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकेगा, उल्टे राष्ट्र को गड्ढे में आप धकेल देंगे।

एक फिल्म कंसलटेटिव कमेटी आपने बना रखी है। इसमें मैं समझता हूं राष्ट्रीय नेताओं का

[श्री मौर्य]

विरोधी दल के लोगों का या सत्ताधारी वर्ग के लोगों का जिनका जनता से सम्पर्क रहता है बहुमत रहना चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से अच्छी फिल्में बन सकेंगी।

एक फिल्म इनक्वायरी कमेटी १९५२ में बनी थी। उसकी रिकोमेंडेशन पर एक फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन २५ मार्च, १९६० को बनाई गई है। कहा गया था कि पांच करोड़ रुपये से इसका कार्य चलेगा। एक करोड़ अभी रखा जा सका है। यहां पर किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और .....

डा० बे० गोपाल रेड्डी : फिल्म वित्त निगम इस मन्त्रालय के अधीन नहीं है। वित्त मन्त्रालय के अधीन है। अतः यह इन मांगों के अन्तर्गत नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : यह फाइनेंस के नीचे आती है। उस वक्त आप इस पर बोल सकते हैं।

श्री मौर्य : इसको मैं छोड़ देता हूं।

इस मिनिस्ट्री में एक बोर्ड आफ फिल्म सेंसर्ज है। हमारे विधान के आर्टिकल १९ सब-क्लाज १(ए) में फ्रीडम आफ स्पीच की गारण्टी दी गई है, बोलने की आजादी की गारण्टी दी गई है। जहां यह है, वहां इस आजादी पर अंकुश लगाने की बात भी है। अगर कोई खराबी की बात की जाती है या गिरी हुई बात की जाती है तो उसके खिलाफ एकशन भी लिया जा सकता है, ऐसा प्राविजन भी उस में है। इस बोर्ड में एक उच्च कोटि के सरकारी अफसर हैं, जो इसके चेयरमैन हैं। इसमें नौ नान-आफिशल मैम्बर हैं। मेरा ऐतराज यह है कि इसमें कोई विरोधी दल का आदमी नहीं है सत्ताधारी वर्ग के तमाम लोग हैं। विधान के द्वारा जो हमें आजादी मिली हुई है, उसको कण्ट्रोल करने वाली यह एक ऐसी बाडी है जिसके फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में जाया नहीं जा सकता है। बहुत सी फिल्में जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध बनी हैं, असमानता के विरुद्ध बनी हैं, अराजकता के विरुद्ध बनी हैं, उनको इस बाडी द्वारा सर्टिफिकेट नहीं दिये गये हैं। एक आध उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक फिल्म में सफेद टोपी लगा कर कोई विशेष व्यक्ति रिश्वत ले रहा था आफिस के नाम पर, उसको फिल्म में से कटवा दिया गया। मैं थोड़े से आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जनवरी १ से मार्च, ३१, १९६२ तक इस बोर्ड ने ९२८ फिल्मों का निरीक्षण किया। २१ फिल्मों को इसने रिवाइजिंग कमेटी को रैफर किया। ४५७ को "यू" सर्टिफिकेट दिया गया और ३१ को "ए" सर्टिफिकेट दिया गया। ये सब फारेन फिल्में थीं। इण्डियन फिल्मों में ३०३ को "यू" सर्टिफिकेट दिया गया और एक को "ए" सर्टिफिकेट दिया गया। २३ फिल्मों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इनको इस बोर्ड ने पास नहीं किया, सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। उनमें कुछ में कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस पर कि ऐतराज किया जा सकता। उनमें मुहब्बत, प्यार आदि की बातें नहीं थीं, अश्लील बातें नहीं थीं जैसी कि विदेशी फिल्मों में हुआ करती हैं। उनमें राष्ट्र निर्माण की बात थी। उनको पास नहीं किया गया। यह सेंसर बोर्ड फंडेमेंटल राइट्स को कण्ट्रोल करता है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि इस में ऐसे लोग रखे जायें जिन पर राष्ट्र का पूरा विश्वास हो, विरोधी दलों का पूरा विश्वास हो, सत्ताधारी वर्ग का भी पूरा विश्वास हो, यह नहीं कि नौकरशाही उस पर छा जाये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष के अन्दर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस परिश्रम और ...

अध्यक्ष महोदय : अगर मैम्बर साहिबान इत्तिफ़ाक़ करें तो हम साढ़े छः बजे तक बैठ सकते हैं और चार पांच मैम्बर जो बोलना चाहते हैं, उनको समय दे सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जरूर बैठने के लिये हम तैयार हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह कह रहा था कि पिछले एक वर्ष में इस मंत्रालय ने जिस परिश्रम और सफलता के साथ अपने कार्य काप्सम्पादन किया है, उसके लिए मैं इसको बधाई देना चाहता हूं। कमियां किस विभाग या किस व्यक्ति के अन्दर नहीं हैं। कमियों को अगर लिखना शुरू कर दिया जाए तो "मदर इंडिया" की तरह से एक नई किताब बनाई जा सकती है। एक सार्वभौम दृष्टिकोण को देखते हुए हमें निर्णय देना चाहिये। अतः वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो प्रत्येक न्यायशील व्यक्ति इस परिणाम पर पहुंचेगा कि इस मंत्रालय ने इस बीच बड़ी मुस्तैदी के साथ, और बड़ी स्फूर्ति के साथ अपने कार्य का सम्पादन किया है।

चीनी आक्रमण के बाद देश में जब संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई तो मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि जब कि बहुत से मंत्रालयों ने, बहुत से दफ्तरों ने, बहुत से व्यक्तियों ने संकट की भावना को पूरी तरह से हृदयंगम नहीं किया, इस मंत्रालय ने बहुत अच्छे ढंग से इस बीच कार्य किया, खास करके आकाशवाणी ने इस बीच देश के अन्दर जो वातावरण पैदा किया, जनता को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, जवानों के अन्दर एक नया मनोबल पैदा करने की कोशिश की, डूबती हुई भावनाओं के अन्दर भी एक प्रकार से नए प्राणों का संचार करने के लिये जिस कुशलता से कार्य किया, उसके लिए मैं इसको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरा कार्य आकाशवाणी ने यह कियाहै कि चीनी चालों के ढ़ोल का पोल खोला है और संसार भर में समय समय पर उसने जो अपना कार्यक्रम प्रसारित किया, उसके द्वारा भी आकाशवाणी, मुझे कहते हुए कुछ भी संकोच नहीं होता है, पहले से भी अधिक लोकप्रिय हुई है। मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के बाद अब दूसरे स्थान पर एक प्रकार से सूचना और प्रसारण मंत्रालय आरूढ़ हो गया है अतः इसके महत्व को अब और भी अच्छी तरह से आंका जाना चाहिये। मेरे कानों में यह खबर आई है कि बहुत से अफसर साहिबान या हो सकता है कुछ और भी उत्तरदायी व्यक्ति इस बातका सुझाव दे रहे हैं कि संकट की स्थिति समाप्त हो रही है, इसलिये कुछ ढ़िलाई कर दी जाए। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर ध्यान नहीं देंगे। आज के समाचारपत्रों के अन्दर जिस तरह के चिन्ताजनक समाचार छपे हैं, उन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संकट की स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है, और कभी भी हमारे सामने पहले से भयंकर संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिये मैं अनुरोध करना चहता हूं कि आकाशवाणी के वर्तमान शैली कार्य को और प्रगति दी जाए, उस को और तीव्र किया जाए जिस-जिस तरीके से इस बीच कार्य हुआ है और हो रहा है, इस में और भी तेजी लाई जाए।

इस रिपोर्ट में मैं ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि कोहिमा और करसियांग में नये रेडियो स्टेशन खुले हैं और गोहाटी का जो स्टेशन है उसको पहले से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ये अच्छे और सुन्दर कदम हैं। एक दो बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। लद्दाख के लिये अभी तक जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वे श्रीनगरा से प्रसारित होते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उत्तराखण्ड का इलाक है या गढ़वाल, कुमायूं के डिविज़न हैं, उनके लिये लखनऊ से एक कार्यक्रम "उत्तराचल" के नाम से आरम्भ किया गया। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं इसको यथेष्ट नहीं समझता हूं। इसी से हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिये। लद्दाख में, लेह में पिछले दिनों कुछ संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल गया था। वहां पर बारह महीने लोग रह रहे हैं, हमारे सैनिक रह रहे हैं, कर्मचारी रह रहे हैं। इसलिये बारहों महीने वहां एक केन्द्र अच्छी तरह से

[श्री भक्त दर्शन]

स्थापित किया जा सकता है और चालू रह सकता है। लेह में, लद्दाखी भाषा के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये मैं चाहता हूं एक केन्द्र की स्थापना की जाए।

पिछले वर्ष भी मैंने अनुरोध किया था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए उस समय विचार करने की कुछ स्वीकृति भी दी थी कि जो उत्तर प्रदेश का हिमालय क्षेत्र है, इस में एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा। जहां तक मुझे पता है कि रामपुर में इस तरह का एक केन्द्र स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। पर हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वे इससे सहमत नहीं हैं, रामपुर से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। पहाड़ों के बीच में यह केन्द्र स्थापित होना चाहिये। हरिद्वार में या देहरादून में ही सही, उस क्षेत्र में इस केन्द्र को स्थापित किया जाना चाहिये। वहां से उन क्षेत्रों की भाषा और उनकी उपभाषाओं का यदि प्रसारण किया जाए तो ज्यादा कार्य हो सकता है।

दिल्ली केन्द्र से कुछ वर्षों से फौजी प्रोग्राम के अन्तर्गत गढ़वाली कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता रहा है। मैं इसके लिए मंत्रालय का बड़ा अनुगृहीत हूं क्योंकि उसका प्रारम्भ भी कुछ हद तक मेरे ही सुझाव पर किया गया था। लेकिन इतने वर्षों के प्रयत्न के बावजूद भी एक या दो बार ही हफ्ते में इसका प्रसारण होता है। यह दस मिनट के करीब का प्रोग्राम होता है। डा० केसकर साहब ने कई बार आश्वासन दिया है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि वे विचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की कोई और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये, स्तर भी इसका ऊंचा किया जाना चाहिये और इस कार्यक्रम के लिए अधिक समय भी दिया जाना चाहिये।

कुछ दिन पहले इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय उपमंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि दिल्ली में हमारा जो आकाशवाणी का ट्रांसमीटर है दिल्ली में जो कि शायद दो सौ किलावाट का है, इसका प्रसारण संसार के कौने-कौने में नहीं पहुंच सकता है। शायद उन्होंने कहा था "टु सम एक्सटेंट" कुछ हदतक वह सुनाई नहीं पड़ता है। हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में संसद सदस्यों का जो प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों नाइजीरिया गया था इत्तिफाक से उन्हीं दिनों चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। उन्होंने जो समाचार सुना वह भारतीय रेडियों पर सुनना चाहते थे लेकिन नहीं सुनाई दिया। बी० बी० सी० से उन्होंने वह समाचार सुना। इसी तरह सिंगापुर पूर्व की ओर मैं तो गया नहीं, लेकिन मुझे बतलाया गया कि वहां हमारे प्रसारण सुनाई नहीं पड़ते हैं। ऐसी हालत में जब कि हमारे प्रवसी भारतवासी सारे संसार में फैले हुए हैं, हमारे विदेशी दूतावास सब जगह हैं, हालांकि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगें समाप्त हो चुकी हैं, में समझता हूं कि हमारे विदेशी दूतावास लोगों को समझाने का कार्य जितनी योग्यता से उन को करना चाहिये था, नहीं कर पाये, इस वजह से कि उनको यहां से प्रोम्पटिंग नहीं होती थी, उन्हें पूरे समाचार नहीं मिल पाते थे इस लिये इस चीज़ की बड़ी आवश्यकता है। उस समय हमारे माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मंगाने की झंझट में कितान इन्तज़ार किया जायेगा, मुझे कुछ विश्वासनीय सूत्रों से मालूम हुआ कि संयुक्त राज्य अमरीका ने १००० कीलोवाट का एक ट्रांस्मिटर देने का प्रस्ताव रक्ख था। यह कहां तक सही है मुझे पता नहीं लेकिन कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है? क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने हमें १००० कीलोवाट शक्ति का ट्रांस्मिटर देने का कोई प्रस्ताव रक्खा था? यदि रक्खा था तो उसे क्यों अस्वीकार कर दिया गया?

इसके साथ ही साथ पिछले दिनों यह सुझाव दिया गया था कि सिंगापुर रेडियो स्टेशन से या बी० बी० सी० के द्वारा हमारा प्रसारण रिले किया जाय। मैं चाहता हूं कि जरा इस पर भी

प्रकाश डालने की कृपा की जाय कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्यों उसमें सफलता नहीं मिल पाई ?

इस मंत्रालय के संम्बन्ध में बोलते हुये पिछले वर्ष मैंने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया था जबकि हिन्दी को सरल करने सम्बन्ध के में माननीय मंत्री जी ने अपनी नीति की घोषणा की थी। हम लोगों में से बहुतों को उससे गहरा मतभेद था लेकिन हमें बड़ा सन्तोष है कि उस समय हम लोगों ने जो विचार प्रकट किये थे उन्हें हृदयगम किया गया, और उनके मूल्य को आंका गया। मंत्री महोदय ने बड़ी संजीदगी से इस दिशा में कदम उठाया। उन्होंने एक संसदीय समिति नियुक्त की और उसके बाद एक ऐडवाइजरी कमेटी भी माननीय श्री श्री प्रकाश जी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि उसमें बहुत दिग्गज लोगों को रक्खा गया है, जैसे कि श्री प्रकाश जी और हरिभाऊ उपाध्याय जी, लेकिन यह लोग अधिकांश बाहर के रहने वाले हैं और वे समय समय पर जल्दी जल्दी नहीं आ सकते हैं होना तो यह चाहिये कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको पत्रकार कला का अनुभव हो उसको रक्खा जाय। यह मैं इसलिये कहता हूं कि जो कवि है वह कविता तो जरूर लिख सकता है, लेकिन हिन्दी को जो टकसाली भाषा है, जो प्रवाहमयी भाषा है उसे अदा नहीं कर सकता है। इसी तरह से कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक बड़ी क्लिष्ट भाषा में कोई पुस्तक लिख सकता है....

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : सभी सदस्य प्रतिदिन हिन्दी प्रसारण सुनते हैं और अपनी राय महानिदेशक को भेजते हैं। लिखित विषय को सलाहकार समिति के सदस्य भी पढ़ते हैं अतः उन्हें मालूम रहता है कि हिन्दी प्रसारण में क्या किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : उनका सम्पर्क होगा, इसके लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि भाषा के टकसालीपन को निश्चित करने के लिये यदि सब से योग्य व्यक्ति कोई हो सकता है तो वह हिन्दी के पत्रकार हो सकते हैं चाहे "हिन्दुस्तान" की भाषा हो चाहे "नवभारत टाइम्स" की भाषा हो, जो दैनिक पत्र हैं उनकी भाषा आम लोगों के अन्दर पहुंच चुकी है, वह एक तरह से मंज गई है, टकसाली बन गई है, उसका स्तर निश्चित हो चुका है। अगर समिति के अन्दर ऐसे व्यक्ति रक्खे जायें जिनकी भाषा में प्रवाह हो, जो भाषा लिखने की अधिकारपूर्ण योग्यता रखते हों, तो ज्यादा उचित होगा।

इस सिलसिले में पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह बतलाया था कि हिन्दी में जो समाचार बुलेटिन दिये जाते थे, ऐसा मालूम पड़ता है कि अब कुछ दिनों से उन्हें केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों के जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हैं उनसे ही प्रसारित किया जाता है। कुछ दिनों पहले यह प्रथा थी कि जितने आकाशवाणी के केन्द्र थे करीब-करीब सभी से उनको प्रसारित किया जाता था। इसका क्या मतलब है ? क्या इसका कोई स्पष्टीकरण मंत्री महोदय देंगे ? क्या वे हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा बनाना चाहते हैं ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : यह सत्य नहीं है। अहिन्दी स्टेशन भी हिन्दी समाचार सुनाते हैं।

†श्री भक्त दर्शन : अयः मेरी जानकारी सत्य नहीं है। धन्यवाद।

अंतिम बात जो मुझे कहनी है वह समाचारपत्रों के सम्बन्ध में है जहां तक समाचारपत्रों की परामर्शदात्री समिति का सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि यह उचित दिशा में एक कदम है, लेकिन आये दिन माननीय मंत्री महोदय प्रेस परिषद् अर्थात् प्रेस कौंसिल के बारे में घोषणा करते रहते हैं जहां तक मुझे मालूम हुआ है उन्होंने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाया है,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

लेकिन अभी तक वह स्थापित क्यों नहीं हो रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता। एक बार प्रेस कौंसिल के बारे में एक विधेयक राज्य सभा में स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन चूंकि उस के बाद आम निर्वाचन आ गया इसलिये वह लैप्स हो गया। इसके बाद ऐसी कौन सी अड़चन आ गई कि उसे आगे नहीं बढ़ाया गया ? सरकार की ओर से यह कारण दिया जाता है कि जो समाचारपत्रों के मालिक हैं और जो श्रमजीवी पत्रकार हैं उन के बीच में कुछ बुनियादी मतभेद खड़ा हो गया है। तो क्या सरकार अपना यह कर्तव्य नहीं समझती है कि वह एक त्रिदलीय सम्मेलन, अर्थात् ट्राइपार्टाइट कांफरेंस बुलाये और उस को बुला कर उस मतभेद को समाप्त किया जाय, कम किया जाय ? आखिर हम मिल मालिकों के झगड़ों को समाप्त करते हैं या नहीं ? तो जो पत्रकार लोग है और जो समाचारपत्रों के स्वामी है, यह बहुत बड़े प्रभावशाली वर्ग हैं, जब तक उनके बीच में आपस में एकरसता नहीं होगी, समझौता नहीं होगा, मतैक्य नहीं होगा, तब तक यह गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसलिये में मंत्री महोदय से खास तौर से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस विषय में कुछ स्फूर्ति के साथ कदम आगे बढ़ाने की कृपा करें और जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना करें।

प्रेस रजिस्ट्रार की जो रिपोर्ट है वह हर साल आती है। पिछली रिपोर्ट ७ सितम्बर, १९६२ को इस सदन के पटल पर रक्खी गई थी। लेकिन पिछले दो तीन वर्षों से उस पर वाद-विवाद नहीं हो पाया। में मंत्री महोदय को इस के लिये दोष नहीं देता, इस सदन का कार्य ही ऐसा होता रहा है कि वाद-विवाद की फुर्सत नहीं मिली। पर में मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा और साथ ही संसदीय-कार्य मंत्री महोदय से भी इसके लिये अनुरोध करूंगा ताकि हम लोग विस्तारपूर्वक उस पर विचार कर सकें। उस रिपोर्ट में बतलाया गया कि सब भाषाओं के समाचारपत्रों के ग्राहकों की संख्या बढ़ी है लेकिन हिन्दी के समाचारपत्रों के ग्राहकों की संख्या घटी है, जिस हिन्दी को हम राष्ट्र भाषा के स्थान पर विभूषित करना चाहते हैं। यह चिन्ता का विषय है। इसलिये में निवेदन करूंगा कि प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर विचार करने का हमें अवसर दिया जाय ताकि हम उस पर विस्तारपूर्वक अपने विचार रख सकें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा जाता है कि जब कोई सेना अपने कर्त्तव्य पथ पर बढ़ रही होती है तो उसका श्रेय सेनापति को दिया जाता है। लेकिन मेरा अपना विचार इस प्रकार का है कि अगर उन सैनिकों की और कर्त्तव्यपथ पर बढ़ रहे सिपाहियों की पीठ न थपथपाई जाय तो वह कर्त्तव्य से पीछे हटना होता है। संकट काल में आकाशवाणी के अधिकारियों ते और कर्मचारियों ने जिस तत्परता तथा कार्यकुशलता का परिचय दिया है उसके लिये में आकाशवाणी के महानिदेशक और सामचार निदेशक के पीछे जितने उनके सहयोगी कर्मचारी हैं उन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्र की इस विपत्ति के समय उन्होंने बहुत आगे बढ़ कर अपनी कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है।

दूसरी बात जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि संकट काल में आकाशवाणी ने "समाचार दर्शन" हिन्दी वार्ताओं और देहाती कार्यक्रम के अतिरिक्त और भी विशेष योग दिया है। इस संकट की स्थिति में जो बाकी के तीन कार्यक्रम चलाये गये जिनमें "हमारी प्रतिज्ञा" तो प्रति दिन का कार्यक्रम है, "हमारी धरती, हमारा आकाश" और "गरुड़ और सर्प", इन तीन कार्यक्रमों को प्रायः सभी स्थानों में बहुत अच्छा स्वीकार किया गया। में तो यह चाहूंगा कि इन तीनों कार्यक्रमों को थोड़ा और भी बढ़ाया जाय। यदि ऐसा किया गया तो बड़ा अच्छा होगा। मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि अब तक के कार्यक्रम अच्छे नहीं थे, मगर देश की स्थिति और राष्ट्र के वातावरण को ध्यान में रखते हुये उन को और भी उपयोगी बनाने का यत्न होना चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है।

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आकाशवाणी ने लगभग १,००० समर गीतों का संग्रह किया है ।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : और भी ज्यादा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय मंत्री महोदय के कथन से प्रतीत होता है कि और भी ज्यादा हैं । लेकिन उसमें जो थोड़ी सी कमी है वह यह कि उनकी जो धुनें हैं वे अधिकांश सिनेमा की धुनों के ऊपर हैं, जबकि भारतवर्ष में इस प्रकार की अपनी वीररस की पुरानी धुनें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आल्हा की धुन होती है जो वीर रस की धुन है, महाराष्ट्र में पवाड़े की धुन होती है, आंध्र प्रदेश में बुर्रा कथा की धुन होती है, कर्नाटक में भी इसी प्रकार की चीजें हैं जिनमें वीर रस की अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से हो सकती है । अगर उन समर गीतों की धुनों को आप जनसाधारण के कानों तक पहुंचायें तो में समझता हूं कि वह बहुत अच्छा होगा । उसके लिये भी आकाशवाणी को भी सोचना चाहिये ।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : यह ढंग भी है हिन्दी में ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बहुत धन्यवाद । लेकिन फिर भी में समझता हूं कि इन पुरानी धुनों से सैनिकों को जो प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है वह और अधिक उपयुक्त होती है अपेक्षाकृत उन फिल्मी धुनों के ।

दूसरी बात, जिस को मेरे कई मित्रों ने कहा, आकाशवाणी के समाचारों को विदेशों तक पहुंचाने के सम्बन्ध में है । इस के लिये शक्तिशाली ट्रांस्मिटर्स की आवश्यकता है । मैं अपने उन साथियों के स्वर में स्वर मिला कर एक विशेष बात और कहना चाहता हूं, और वह यह कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की बहस परसों चल रही थी, उस में सब से बड़ी बात यह थी, और प्रायः संसद् के अधिकांश सदस्यों की इस विषय में एकमति थी, कि हमारा प्रचार विभाग विदेशों के अन्दर बहुत न्यून है । उस का एक बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार की ओर से जितने विदेशों में या हमारे राजदूतावासों के साथ प्रचार विभाग हैं वह सारे के सारे उन देशों को अंग्रेजी के अन्दर समाचार देते हैं । यदि वे उन देशों की भाषाओं में समाचारों को दें, जैसे अरब वालों को अरबी में, जर्मनी वालों को जर्मन भाषा में और फ्रांस वालों को फ्रेंच भाषा में दें तो मैं समझता हूं कि इन समाचारों का अधिक उपयोग हो सकता है । मेरा यह सुझाव जहां वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को है वहां यही सुझाव आकाशवाणी को है कि अगर हमें पड़ोसी देशों की सहानुभूति अपने संकट काल में प्राप्त करनी है तो उन को अधिक से अधिक उनकी ही भाषाओं में शक्तिशाली ट्रांस्मिटरों द्वारा अपने समाचारों और अपने विचारों का परिचय दें । यह अधिक उपयुक्त होगा ।

एक थोड़ी सी दुखद बात और है कि चीन ने, उससे हमारा सीमा विवाद हो रहा है उसके सम्बन्ध में पूरी तरह अपने वृत्त चित्र तैयार किये हैं, लेकिन भारत सरकार का यह विभाग अभी तक कोई इस प्रकार का वृत्त चित्र तैयार नहीं कर सका है जिसमें सारी स्थिति की जानकारी दूसरे देशों को उनकी भाषाओं में दी जा सकें, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह भी अत्यन्त आवश्यक है ।

एक बात मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूं । जब यह संकटकालीन वातावरण चल रहा था उस समय आकाशवाणी से ८-५५ के ऊपर एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था "आज की वार्ता" । मेरा खयाल है कि यह अंग्रेजी के टापिक फार टुडे का लगभग शब्दानुवाद होता है । अगर ऐसी बात नहीं है तब तो मैं समझता हूं मैं भूल करता हूं लेकिन जो हिन्दी के अच्छे पत्रकार हैं वे अपना मौलिक विचारधारा दे सकते हैं । अगर उसका प्रबन्ध किया जाये तो अधिक उपयुक्त

[श्री काशवीर शास्त्री]

होगा क्योंकि वह कार्यक्रम सारे देश में बड़ी रुचि से स्वीकार किया गया और उसके प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा है ।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पीछे आकाशवाणी ने हिन्दी के सरलीकरण का कार्यक्रम चलाया था और जिसके प्रति देश में काफी क्षोभ उत्पन्न हुआ था और उस आधार पर आपके मंत्रालय ने विचार किया । तो कहीं अभी भी तो ऐसी स्थिति नहीं है ? जहां तक मेरा अपना अनुमान है, बिना किसी बदनीयती के, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे इस विभाग के जो मंत्री हैं उनकी अपनी हिन्दी, जो कि हैदराबादी हिन्दी है, उसे छोड़कर जो हिन्दी करनाटक में, केरल में, मद्रास में और आन्ध्र राज्य में, तैलंगाना के इलाके को छोड़ कर, समझी जाती है वह संस्कृत निष्ठ हिन्दी है । इसका सब से बड़ा प्रमाण करनाटक राज्य के भतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हनुमंतैया जी का वह वक्तव्य है जो कि उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी के सामने दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी हिन्दी जिस में ८० प्रतिशत संस्कृत के शब्द हों दक्षिण भारत में सुगमता से समझी जा सकती है । तो संविधान में जब एक व्यवस्था निर्धारित कर दी गयी है, एक मार्ग बना दिया गया है तो उसका अनुसरण क्यों नहीं किया जाता । क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी को वह हिन्दी का रूप पसन्द नहीं इसलिए कैबीनेट के दूसरे मंत्री भी उसी मार्ग पर चल कर हिन्दी की आलोचना करें यह बात संगत नहीं है । अगर आप दक्षिण भारत में जाकर पता लगायेंगे तो आप को मालूम होगा कि वहां के लोगों को संस्कृत निष्ठ हिन्दी समझना सुगम होता है ।

जहां तक समाचार सेवा विभाग का सम्बन्ध है, जो हिन्दी के समाचार हिन्दी भाषा भाषी राज्यों, जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, को दिये जाते हैं वे अंग्रेजी के माध्यम से हैं । मेरा सुझाव है कि आकाशवाणी में हिन्दी टेलीप्रिंटर सर्विस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे समाचार हिन्दी में ही आयें और उनको संक्षिप्त करके प्रसारित किया जाये । ऐसा हो तो अधिक उपयुक्त होगा । अभी यह होता है कि समाचार अंग्रेजी में आते हैं और फिर उनका अनुवाद हिन्दी में किया जाता है और उनको प्रसारित किया जाता है । मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे ऐसी मेरी आशा है ।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं । हमारे माननीय मित्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने कहा और हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि हम अपने रेडियो से कोई कमर्शियल सरविस आरम्भ नहीं करना चाहते । लेकिन आपके मद्रास और त्रिचुरी के दो वक्तव्य मद्रास के हिन्दू में प्रकाशित हुए हैं उनसे पता चलता है कि आप आकाशवाणी से कोई स्पांसर्ड सरविस के नाम से कमर्शियल सरविस जारी करना चाहते हैं । मेरा अपना विचार है कि आकाशवाणी की पवित्रता को किसी आर्थिक लाभ में पड़कर नष्ट न किया जाये और उसको ज्यों का त्यों रखा जाये तो अधिक उपयुक्त होगा । हम को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आकाशवाणी की उस पवित्रता पर आंच आये ।

जहां तक आपके विभाग की ओर से विज्ञापनों को देने का सम्बन्ध है आपने स्वयं अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि हमारी अपनी इच्छा है कि जो भारतीय भाषाओं के पत्र हैं उनको थोड़ा और उठाया जाये लेकिन आप के विभाग का जो विज्ञापन देने का ढंग है वह यह है कि ६० प्रतिशत विज्ञापन अंग्रेजी पत्रों को दिये जाते हैं . . . .

एक माननीय सदस्य : ७० प्रतिशत ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे मित्र ने मुझे सुधारा, ७० प्रतिशत विज्ञापन अंग्रेजी पत्रों को दिये जाते हैं और केवल ३० प्रतिशत समस्त भारतीय भाषाओं के पत्रों को दिये जाते हैं । यह अन्याय है।

अन्त में मैं दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं । एक तो यह कि जिस तरह प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की अंग्रेजी को न्यूज सरविस है और आप उनको सहयोग देते हैं, तो भारत में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को समाचार देने वाली जो हिन्दुस्तान समाचार न्यूज सर्विस है उस को भी पुष्ट किया जाय और वह भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि के माध्यम से समाचार दे जैसे कि हिन्दी भाषा पत्रों को देती है । अगर ऐसा किया जाये तो मैं समझता हूं कि इससे देश को बहुत बड़ी सेवा होगी ।

जहां तक फिल्म सेंसर बोर्ड का सम्बन्ध है मैं उसके सम्बन्ध में दो ही संकेत देना चाहता हूं । श्री मौर्य ने आप को उसके बारे में विस्तार से बताया है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन शब्दों को कहने में लज्जा का अनुभव होता है कि जब देश की सीमा पर शत्रु खड़ा है और भारतवर्ष में वीरता और जागरण के वातावरण के संचार की आवश्यकता है, उस समय हमारा फिल्म सेंसर बोर्ड ऐसे फिल्म स्वीकृत कर देता है जो चरित्र गिराते हैं जिनके गाने ऐसे हैं :

"उड़ें जब जब जुल्फें तेरी कुंवारियों का दिल मचले"

यह गाना नया दौर का है ।

दूसरे फिल्म का एक गाना इसी प्रकार है जिस में लड़का एक लड़की से कहता है :

"तेरे पीछे फिरते फिरते हो गया पूरा साल रे,
गोरे गोरे मुखड़े वाली पूछ कभी तो हाल रे"

उसका लड़की भी इस प्रकार उत्तर देती है :

"एक साल में लगा है रोने आशिक बड़ा कमाल रे,
फिरा था लैला के पीछे मजनू तो चौदह साल रे ।"

ऐसे चित्र देख कर और ऐसे गाने सुनकर हमारे युवकों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका ध्यान सेंसर बोर्ड क्यों नहीं रखता । यह बड़े दुःख की बात है कि ऐसे फिल्म पास कर दिये जाते हैं । सूचना और प्रसारण मंत्री को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, विशेषतः इस संकट-कालीन स्थिति में तो यह चीज और भी अधिक आवश्यक है । इस ओर शीघ्र ही विशेष ध्यान दिया जाये ।

श्रीमती कमला चौधरी (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विषय में बोलते हुए प्रत्येक मेम्बर ने मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया और रेडियो के कलाकारों को भी बधाई दी । वास्तव में जब चीन का आक्रमण हुआ तो उस समय बहुत जल्दी देश में उपयुक्त वातावरण बनाने का श्रेय आकाशवाणी को है । आकाशवाणी ने ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किये जिन में वीरों के गीत, वीर गाथायें और साहसिक गाथायें हुआ करती थीं जिससे लोगों के मन में यह भाव पैदा हुआ कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य है । इन कार्यक्रमों से हम को देश में उपयुक्त वातावरण बनाने में बड़ी सुविधा मिली । और इससे रक्षा कोष एकत्र करने में भी बड़ी सहायता मिली । लेकिन आज यह सोच कर कि चीन से हमारी अब हथियारों की लड़ाई नहीं हो रही है इस कार्यक्रम को समाप्त न कर दिया जाये । हमारी लड़ाई समाप्त हो गयी है ऐसी बात नहीं क्योंकि आज के युग में शस्त्रों के युद्ध से भी अधिक महत्व प्रचार का है । आज भी हमारे देश में आपत्कालीन स्थिति की घोषणा है । लेकिन चारों तरफ अगर देखें तो कहीं भी आपत्कालीन परिस्थिति नजर नहीं आती है । इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ये जो

[श्रीमती कमला चौधरी]

कार्यक्रम हैं इनको इसी प्रकार कायम रखना चाहिए। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा आदि जो कार्यक्रम चल रहे हैं इनको बढ़ाने की जरूरत है। मेरा अपना विचार है कि इन में कुछ तबदीली की जरूरत है।

एक बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चीन रेडियो द्वारा बड़ा भद्दा प्रचार हमारे विरुद्ध हुआ जिसकी भाषा बड़ी अश्लील थी। हमारे आकाशवाणी ने उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया लेकिन उसने अपनी भाषा की शालीनता को कायम रखा और इस प्रकार एक अच्छा उदाहरण दुनिया के सामने रखा। मैं समझती हूं कि इस समय जो यह कार्यक्रम है, इस में कुछ तबदीली करने की जरूरत है। जिस वक्त हमारी सीमाओं पर आक्रमण की स्थिति थी, उस समय इस बात की जरूरत थी कि हम वीर रस का चारों तरफ प्रसार करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश की जनता जो बड़ी शंकित है, उसको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है, उसके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव है कि शायद अब कोई आक्रमण नहीं होगा और जो कुछ चीनी सरकार को लेना था उसको उसने ले लिया है और अब निश्चित हो कर बैठ जाना चाहिये, उसकी इस शंका को दूर किया जाये और उस के दिलों और दिमागों में जो दुश्मन के प्रति रोष था, जो गुस्सा था, उसको बनाये रखा जाये। मैं समझती हूं कि आज इस प्रकार के कार्यक्रम की जरूरत है जिससे कि देश का मनोबल बना रहे।

अब मैं प्रकाशन विभाग द्वारा जो पुस्तकें निकाली जाती हैं, जो पैम्फलेट निकाले जाते हैं, उन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इस तरह के ये पैम्फलेट हैं जिन से अच्छा वातावरण बनाने में बहुत मदद मिली है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार की है जो गांवों में रहती है और उस तक आप की ये पुस्तकें इत्यादि पहुंच नहीं पाती हैं। इन पुस्तकों आदि की बात को तो आप छोड़िये, समाचारपत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः जनता बड़ी शंकित है। जनता तक पहुंचने का हमारे पास एक मात्र आकाशवाणी ही साधन हो सकता है। ऐसी सूरत में मैं समझती हूं कि हमें आल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम बढ़ाने चाहिये। रेडियो सेटों को भी हमें वहां सुलभ करना चाहिये। ग्रामों में जहां जहां पर पंचायत घर हैं, रेडियो हैं, वहां बहुत बड़ी संख्या में जनता एकत्र हो कर आपके कार्यक्रमों को सुनती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। मैं अनुभव करती हूं हमारे इस विभाग से जो पत्र निकलते हैं, शायद १७ से अधिक निकलते हैं, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिन्दी में और कुछ अन्य प्रान्तीय भाषाओं में। वे पत्र भी तभी सफल समझे जाते अगर उन्होंने और जो विख्यात पत्र हैं, जोकि अपने देश में निकलते हैं हिन्दी में या अंग्रेजी में, ये उनका स्थान ले लेते। अभी हमारे समनानी साहब उर्दू के पत्रों का जिक्र कर रहे थे। मैं कहना चाहती हूं कि हिन्दी के पत्र भी हैं जो निकलते हैं। हिन्दी आजकल है, बाल भारती है। बाल भारती तो ऐसा पत्र है जो बहुत उपयोगी समझा जाता है। लेकिन इसकी प्रतियां इतनी कम संख्या में छपती हैं, कि आप देश की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस विभाग में इन पत्रों के ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है। इन सब को बन्द करके पब्लिकेशंज़ डिविज़न का जो खर्चा है वह प्रसार के काम में लगा दिया जाये तो हमारा यह कार्य पूरा हो सकता है। मैं इसकी विरोधी नहीं हूं कि वे पत्र क्यों निकलते हैं। अगर वे निकलते हैं तो उनको अपना कार्य पूरा करना चाहिये। मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहती हूं। आज जितने भी हमारे देश में समाचारपत्र निकलते हैं वे सब पूंजीपतियों के हाथ में हैं। कोई भी ऐसा पत्र नहीं है जिससे कि हमारी जो नीति है, जिस तरह से हम देश का निर्माण करना चाहते हैं, देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, उसका हम प्रचार कर सकें। कितना ही अच्छा हो अगर सारे पत्रों को बन्द कर दिया जाये और इतना सारा खर्च करने के बजाय दो दैनिक और दो साप्ताहिक

पत्र, एक एक हिन्दी और एक एक अंग्रेजी में निकाले जायें यदि ऐसा किया जाता है तो मैं समझती हूं कि हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। यह एक राष्ट्रीय मांग है और मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

थोड़ा बहुत मुझे इसका भी अनुभव है कि जो पत्र निकलते हैं, उनकी छपाई का खर्चा, उनके आफिस का खर्चा बहुत अधिक पड़ता है। अगर आप जांच करें तो शायद इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि आप के पब्लिकेशंज डिविजन का खर्चा बहुत बढ़ा है और इतना होने पर भी न समय पर पत्र निकलते हैं, न समय पर मिलते हैं। बहुत अच्छा पारिश्रमिक लेखकों को, साहित्यकारों को दिया जाता है लेकिन फिर भी लोग और अखबारों में लिखना पसन्द करते हैं, आप के अखबारों में लिखना पसन्द नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है ? इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। यह भी एक विचारणीय विषय है।

विविध भारती के कार्यक्रम के बारे में एक बात मैं कहना चाहती हूं। इसके कार्यक्रम बहुत रोचक होते हैं। आज के युग में, इस आपत्कालीन स्थिति में सिनेमा के रिकार्ड काट कर कुछ और भी गीत आने चाहियें। जब युवक हमारा बैठता है और उसको आवाज आती है, "जरूरत जरूरत है, श्रीमती की, कलावती की" तो बालकों के कैसे विचार उसके बन सकते हैं, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। आज हमारे देश में आपत्कालीन स्थिति है और देश को हमें चीनी मुकाबले के लिए तैयार करना है। देश का मनोबल बनाने की जरूरत है, देश का चरित्र बनाने की जरूरत है। इस तरह के रिकार्ड अगर कम कर दिये जायें, तो बहुत अच्छा हो। संगीत का हमारे रेडियो से बड़ा विस्तार हो रहा है। मुझे खुशी है कि शास्त्रीय संगीत में भी इधर हमारी तरक्की हुई है। लेकिन जब बच्चे लिखने पढ़ने बैठते हैं और उनके कानों में इस तरह की आवाज आती है "बन्द पलक में प्यार, खुली पलक में झूठा गुस्सा" तो अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। इस में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है।

फिल्म सेंसर बोर्ड के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। इस की प्रति वर्ष बड़ी कटु आलोचना होती है। लेकिन दुःख की बात है कि आज तक हमारे चल चित्रों में कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी एक माननीय सदस्य ने आपके सामने कहा है कि मां, लड़की और बच्चा अगर एक साथ बैठ जायें, तो उन गानों को सुन कर शर्म मालूम होती है। इस को हंसी में उड़ा देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिये। यह एक गम्भीर विषय है। अगर आने वाली पीढ़ियों को बनाना है और उनके भावों का भारतीय संस्कृति से उन्हें ओतप्रोत करना है तो समाज में इस समय जो अव्यवस्था है, बड़ा हल्कापन है, निम्नस्तर आ गया है, उसे दूर करना होगा और उसकी कलाओं को सुरक्षित रखना होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि वह कृपा करके इस तरफ बहुत जल्दी ध्यान दें और इस सैंसरशिप बोर्ड में कुछ कलाकारों और कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जिन को भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, रखें। यदि ऐसा किया जाय तभी देश का सुधार हो सकता है।

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री बड़े और श्री सोय अनुपस्थित हैं अतः अब श्री य० ना० सिंह।

†श्री य० ना० सिंह (सुन्दरगढ़) : आपात्काल में चीनियों द्वारा निरंतर भारत विरुद्ध प्रचार के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। यद्यपि आकाशवाणी उस प्रचार का मुकाबला करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है किन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री य० ना० सिंह]

मीडियम वेव प्रसार केन्द्रों की अपेक्षा शार्ट वेव केन्द्र या अधिक शक्तिशाली मीडियम वेव केन्द्र स्थापित करने चाहिये क्योंकि मीडियम वेव केन्द्रों को थोड़े फासले तक सुना जा सकता है।

यद्यपि उड़ीसा में सम्बलपुर और जयपुर में दो प्रसार केन्द्र खोले गये हैं किन्तु राउरकेला में जो कि डेढ़ लाख की आबादी का एक बड़ा नगर बन गया है एक केन्द्र स्थापित करना चाहिये ताकि वहां के श्रमिक उससे अधिक लाभ उठा सकें।

पहले शनिवार को राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व के शास्त्रीय संगीतज्ञों का कार्यक्रम सुनाया जाता था जिसको लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे किन्तु अब उस में परिवर्तन कर दिया गया है जो कि कार्यक्रम की अवनति का द्योतक है।

चलचित्रों का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है अतः उसके निर्वाचन बोर्ड में लोगों के ऐसे प्रतिनिधियों को लेना चाहिये जो इस में अभिरुचि रखते हों क्योंकि वे लोगों के कल्याण को दृष्टिगत रख सकते हैं।

चलचित्रों के कलाकार और पृष्ठभूमि के गायक एक एक चलचित्र में लाखों रुपये कमाते हैं किन्तु वे संविदा में कम राशि दिखा कर कर अपवंचना करते हैं।

कच्ची सामग्री के अभाव के कारण निर्माताओं का अत्याधिक कठिनाई अनुभव हो रही है। सरकार को चल चित्र जांच समिति स्थापित करनी चाहिये।

†श्री पु० रु० पटेल (पाटन) : गत वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आपातकाल सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत कर के जो व्यय किया है उसका मैं मंत्रियों को बधाई देता हूं।

इस कार्यक्रम से लोगों को प्रेरणा मिली है और गांवों में भी लोग प्रतिरक्षा निधि जमा करने लगे हैं।

आकाशवाणी के कार्यक्रम अच्छे स्तर के हैं किन्तु अहमदाबाद से प्रसारित किसानों के कार्यक्रम से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आपात काल में किसानों से राष्ट्र के नाम पर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वे अधिक अनाज उपजायें और किसान आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों के संदेश प्रसारित करने चाहिये।

कच्छ की यह समस्या है कि वहां के लोग पाकिस्तान के प्रसारण को अधिक रुचि से सुनते हैं क्योंकि पाकिस्तान का प्रसारण कच्छ की ओर सिंध में होता है। अतः हम पाकिस्तान के प्रचार का मुकाबला करने के लिये क्या कर रहे हैं? मेरा सुझाव है कि कच्छ में एक शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र स्थापित करना चाहिये। सिंध के क्षेत्र को इस से लाभ होगा।

अहमदाबाद का प्रसारण केन्द्र मीडियम वेव केन्द्र है जो सूरत में भी नहीं सुना जाता जबकि गुजराती लोग सारे देश और अफ्रीका तथा एशिया में फैले हुए हैं। भले ही हम हिन्दी जानते हैं किन्तु महिलाएं और बच्चे अपनी भाषा में कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। अतः गुजरात में एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि सूरत या अन्य उपयुक्त स्थान पर भी केन्द्र खुलना चाहिये। सिनेमा उद्योग में भी हमें प्रगति करनी चाहिये क्योंकि इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा कश्मीर) : मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सदस्यों द्वारा दी गई बधाई से भ्रम में न पड़ जायें क्योंकि आकाशवाणी के कार्यक्रम में भले ही कुछ लाभदायक परिवर्तन हुआ है किन्तु अन्य केन्द्रों के कार्यक्रम में अभी वही त्रुटियां हैं जिनका उल्लेख गत अधिवेशन में किया गया था?

कल मैंने समाचार सुने जिसमें सिक्कम के महाराजकुमार के विवाह का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया था जबकि अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को छोड़ दिया था। क्या यह समाचार इतने अधिक महत्व का था?

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् के वाद-विवाद के प्रसारित समाचार में सदस्यों के कामों का ही उल्लेख किया जाता है और यदि श्री भागवत झा आजाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कहते हैं तो इसे महत्वपूर्ण समाचार नहीं समझा जाता, सभा के सभी दृष्टिकोणों का उल्लेख इस प्रसारण में होना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि आकाशवाणी में काम करने वाले कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था होनी चाहिये।

"विजय की ओर" नामक प्रदर्शनी के लिए मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं। प्रसन्नता है कि सीमान्त प्रदेश को महत्व दिया जाने लगा है। मेरा सुझाव है कि यह प्रदर्शनी सारे भारत में दिखाई जाय।

प्रलेख चलचित्रों में "सोने के बाण्ड खरीदिये" जैसे चित्र प्रशंसनीय हैं किन्तु इनमें और सुधार होना चाहिये। चित्र प्रदर्शन के उपरान्त राष्ट्रगान का कार्यक्रम अच्छा है किन्तु यह स्लाइड अच्छी होनी चाहिये और यह कार्यक्रम सारे देश में होना चाहिये।

अन्त में मैं प्रसारण केन्द्रों के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने पर पुनः बल देता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री कल उत्तर देंगे।

[इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २२ मार्च १९६३/१ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।]

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २१ मार्च, १९६३

फाल्गुन ३०, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उतर	२३०९—३८
तारांकित प्रश्न संख्या	
५१६ शाहदरा (दिल्ली) में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२३०९–१०
५१७ माताटीला परियोजना	२३१०—१२
५१८ ग्रामीण जल सम्भरण के लिये अग्रिम परियोजनायें	२३१२—१४
५२० बड़े नगरों में गन्दी बस्तियां	२३१४—१७
५२१ उधार कार्यक्रम	२३१७–१८
५२२ आपात जोखिम बीमा	२३१९—२१
५२३ सिंगापुर में परिवार नियोजन सम्मेलन	२३२१–२२
५२४ आयुर्वेद और एलोपेथी की चिकित्सा पद्धति	२३२२—२४
५२५ नई दिल्ली में जमीन की नीलामी	२३२४—२६
५२७ औषधियों का विज्ञापन	२३२६—२८
५२८ राज्यों में पीने का पानी	२३२८—३१
५२९ विदेशी मुद्रा	२३३१
५३० आसाम में बाराक नदी पर बांध	२३३२–३३
५३१ राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति	२३३३—३५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
३ उप-चुनावों के दौरान साम्यवादियों की रिहाई	२३३५—३८
प्रश्नों के लिखित उतर	२३३८—५८
तारांकित प्रश्न संख्या	
५१९ अमरीका से औषधियों का आयात	२३३८–३९
५२६ सर्जरी सम्बन्धी प्रदर्शन	२३३९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५३२ मडिकल कालिज २३४०–४१
५३३ स्लीपरों का पाकिस्तान वह जाना २३४१
५३४ दक्षिण के राज्यों में बिजली का आवंटन . . . २३४१–४२

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०२० बीकानेर में आयकर निर्धारण २३४२
१०२१ दिल्ली में मिण्टो रोड पर होटल २३४२
१०२२ छाती के रोगों के इलाज के लिये यन्त्र . . . २३४२–४३
१०२४ उड़ीसा में नगरपालिकाओं को पीने के पानी का सम्भरण . २३४३
१०२५ इन्द्रावती नदी (उड़ीसा) पर बांध . . . २३४३–४४
१०२६ उड़ीसा में आयुर्वेद का विकास २३४४
१०२७ बालीमाला बांध परियोजना २३४४
१०२८ उड़ीसा में यॉज, क्षय और कुष्ठ रोग . . . २३४४–४५
१०२९ आधुनिक ढंग की खेती करने से सम्बन्धित अध्ययन दल . . २३४५
१०३० दिल्ली क्षेत्रों का विकास २३४५–४६
१०३१ अफीम का उत्पादन और निर्यात २३४६
१०३२ व्यपगत बीमा पालिसियां २३४६–४७
१०३३ हथकरघा उत्पादकों का निर्यात २३४७–४८
१०३४ फरीदाबाद का विद्युत् सन्यन्त्र २३४८
१०३५ पंजाब में देहाती आवास २३४८–४९
१०३६ पश्चिम जर्मनी द्वारा गैर सरकारी पूंजी विनियोजन . . २३४९
१०३७ भारत के बड़े नगरों में लोक स्वास्थ्य . . . २३४९–५०
१०३८ सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान . . . २३५०
१०३९ इडिक्की जल विद्युत् परियोजना २३५०–५१
१०४० भारतीयों द्वारा विदेशों से लाई गई वस्तुएं . . . २३५१
१०४१ नहरुआ रोग २३५१–५२
१०४२ सर्प विष के बारे में आयुर्वेदिक अनुसन्धान . . . २३५२
१०४३ डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में प्लाटों की बिक्री . . २३५२–५३
१०४४ जवानों के लिए रक्तदान २३५३

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उतर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०४५	पाली में आयकर कार्यालय	२३५३–५४
१०४६	गर्भस्थ बच्चे	२३५४
१०४७	यमुना नदी पर बांध	२३५४
१०४८	कांस्टीट्यूशन हाउस में भोजन व्यवस्था का ठेका . .	२३५५
१०४९	स्वायत्त निकायों को ऋण	२३५५
१०५०	२४०० लाख डालर अमरीकी ऋण के लिए करार . .	२३५५–५६
१०५१	महाराष्ट्र की तापीय-विद्युत् योजनायें . .	२३५६–५७
१०५२	केरल में ग्राम विद्युतीकरण . .	२३५७–५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२३५८

(१) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, संस्था १९५६ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक लेखे की एक प्रति, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०१ में प्रकाशित केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन तथा आय) संशोधन नियम १९६३।

(दो) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत, दिनांक ९ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०४।

राज्य सभा से संदेश		२३५८–५९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा १३ मार्च, १९६३ को पास किये गये विनियोग विधेयक, १९६३ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा १६ मार्च, १९६३ को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३ के बारे में राज्य

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें . . . . . २३५९—२४१३

(१) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(२) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, २२ मार्च, १९६३/१ चैत्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा; तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।

GMGIPND—LS III—3226 (Ai) LSD—21-5-63—160.

	पृष्ठ
श्री समनानी	२३८७—९१
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	२३९१—९३
श्री हेम बरुआ	२३९३–९४
श्री कर्णी सिंहजी	२३९४–९५
श्री धर्मलिंगम् .	२३९५—९७
श्री गु० सिं० मुसाफिर .	२३९७—९९
श्री मौर्य .	२३९९—२४०२
श्री भक्त दर्शन	२४०२—०६
श्री प्रकाश वीर शास्त्री .	२४०६—०९
श्रीमती कमला चौधरी .	२४०९—११
श्री य० ना० सिंह	२४११–१२
श्री पु० र० पटेल .	२४१२
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा	२४१२–१३
दैनिक संक्षेपिका	२४१४—१७

LS. 41. XV. 24. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।